हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 मार्च, 1997

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 20 मार्च, 1997

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(12)1
सदन के चार सदस्यों के निलंबन पर पुर्नविचार करने संबंधी मामला उठाना	(12)2
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(12)6

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(12)17
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(12)20
सदन के चार सदस्यों के निलंबन पर पुर्नविचार करने संबंधी मामला उठाना	(12)22
वाक आउट	(12)24
बिल्ज– (1) दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996	(12)24
स्थगन प्रस्ताव की सूचना	(12)25
वाक आउट	(12)28
दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)	(12)28
बैठक का समय बढ़ाना	(12)58
दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)	(12)59
वाक आउट	(12)67
दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)	(12)68
वाक आउट	(12)70

दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)	(12)70
(2) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल 1997	(12)72
बैठक का समय बढ़ाना	(12)72
दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल 1997 (पुनरारम्भ)	(12)73
(3) दि इंडियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1997	(12)74
(4) दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997	(12)75
बैठक का समय बढ़ाना	(12)78
दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997 (पुनरारम्भ)	(12)78
वाक आउट	(12)78
दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997 (पुनरारम्भ)	(12)79
(5) दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997	(12)80
(6) दि पंजाब ऐक्साइज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1997	(12)82

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 20 मार्च, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो0 छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Construction of Roads of Julana Constituency

***240. Sh. Sat Narain Lather:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to start the construction work of the following sanctioned roads of Julana constituenty :-

(i) Daihar to Bawana

(ii) Bawana to Igrah; and

(b) if so, the time by which the construction work is likely to be started/completed ?

Public Works Minister (Sh. Dharamvir Yadav):

(a) Yes. Sir.

(b) Work on these roads will be resumed during 1997-98 and efforts shall be made to complete the same by the end of 1998 subject to availability of funds.

श्री सत नारायण लाठरः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और इसके साथ साथ यह भी जानना चाहूंगा कि इनमें से एक सड़क पर मिट्टी डली हुई है और दूसरी सड़क पर मिट्टी डालने का काम बकाया है तो इन दोनों सड़कों को जल्दी से जल्दी कब तक बना दिया जाएगा ?

श्री धर्मबीर यादवः अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों का इस साल के अन्त तक काम पूरा हो जाएगा।

श्री सत नारायण लाठरः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

राव नरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जून 1996 में भारी बारि ा के कारण महेन्द्रगढ़ जिले की जो सडकें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, वे सडकें कब तक रिपेयर करा दी जाएंगी ?

श्री धर्मबीर यादवः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदे ा की सभी सड़कों का सर्वे कराया जा रहा है बाढ़ के कारण जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी मरम्मत भीघ्राति ीघ्र करा दी जाएगी।

Construction of New Road from Luhari to Bhandari

***234. Sh. Krishan Lal:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a new road from village Luhari to village Bhandari (District Panipat) by the Haryana State Agricultural marketing Board; and

(b) if so, the time by which the said road is likely to be completed ?

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राव नरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मार्किटिंग बोर्ड द्वारा हर एक विधायक के क्षेत्र में दो दो या तीन तीन नई सडकें बनाने का सरकार इरादा रखती है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सदन के चार सदस्यों के निलंबन पर पुर्नविचार करने संबंधी मामला उठाना

श्री जय सिंह राणा: स्पीकर साहब, समता पार्टी के माननीय सदस्यों ने विरोध प्रकट करने के लिए अपने अपने मुंह पर पट्टी बांधी रखी हैं। पटटी इसलिए बांध रखी हैं क्योंकि इनको इस बात का डर है कि यदि ये बोलेंगे तो आप इनको नेम

कर दोगे। आप इनको यह वि वास दिलाएं कि यदि ये बोलें तो आप इनको नेम नहीं करेंगे ताकि ये मुंह के ऊपर से पटटी खोल कर बोल सकें।

श्री अध्यक्षः मैं समता पार्टी के माननीय सदस्यों को यह पूरा वि वास दिलाता हूं कि आज ये चार घंटे तक जितना मर्जी बोलें लेकिन अनपार्लियामैंट्री भाशा न बोले।

श्री जय सिंह राणाः स्पीकर साहब, आप यह वि वास दिलाएं कि आप इनको नेम नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्षः मैं इनको नेम भी नहीं करूंगा चाहे ये दो बार नियमों का उल्लंघन भी कर दें। अब इनकी मर्जी है ये बोलें या न बोलें।

श्री जय सिंह राणाः स्पीकर साहब, जब इनका कोई सदस्य बोलता है तो आप उसको नेम कर देते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, क्वै चन आवर को चलते हुए पांच मिनट हो गए हैं। मैं इस पांच मिनट के अनुभव पर कह सकता हूं कि सदन और अध्यक्ष यह महसूस करें कि क्या विपक्ष के बगैर सदन पूरा हो सकता है। विपक्ष के बगैर सदन कभी पूरा नहीं हो सकता। ट्रैजरी बैंचिज को तो तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वह अपने स्वभाव से ज्यादा सवाल पूछना चाहे तो अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पटटी इसलिए बांध रखी है

कि इनके आनरेबल मैम्बर्ज को नेम किया गया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इनकी पटटी उतरवाने के लिए आप इनको कहें।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): ये पटटी सारी उम्र बांधे रहें, इससे इनकी बातें थोडे ही छिप जायेंगी।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता से यह कहना चाहता हूं जिस तरह से सदन के सदस्यों को नेम किया गया था उनका सदन की बाकी पूरी कार्यवाही के लिए निलंबन किया गया है, वह ठीक नहीं है। यह तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई वि ोश बात कही जाये और आपके आदे ा न माने जायें तो उन हालात में आप उन्हें गुस्से में या नियमों को अनुसार सदन की कार्यवाही से एक दिन के लिए तो निकाल सकते हैं लेकिन पूरी अवधि के लिए निकाल दें, यह अच्छा नहीं है। कल मैं बाहर खडा था तो हमारे एक साथी के बारे में कहने लगे कि तेरे लिए भी पेपर तैयार कर रखे हैं, यह कोई अच्छी रिवायत नहीं है।

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर्ज तो यह कह रहे हैं कि समता पार्टी के सदस्य जो मर्जी बोले जाएं इनको बोलने दिया जाये इनके लिए कोई कानून कायदा या सभ्यता नहीं होनी चाहिए। जिन दो नेताओं को निकाला गया है वे हर बात में चेयर पर ऐस्प र्न करते रहे। ये चाहे सारी उम्र पटटी बांधे रहें, मेरे पर कोई फर्क नहीं पडता। ये गाली दें, जो जी में आये कहते रहैं, इनको नेम न किया जाये क्या यह कभी हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले सै ान में देखा होगा कि हरियाणा विधान सभा के रिकार्ड में ऐसी बात नहीं हुई होगी कि आपने इनके नेता को नेम किया हो। नेम करेन के बाद वे हाउस से बाहर नहीं गए और आपको हाउस तीन बाद ऐडजर्न करना पडा। उनको आपने तीन बार हाउस छोड कर चले जाने के लिए कहा। लेकिन वे नहीं गए। आखिर जब उनको निकाला गया तो वे जाते जाते मा र्ल और स्टाफ के साथ धक्का मुक्की करते हुए घूंसे मारते गए। वाच एण्ड वार्ड वालों को खून भी निकल आया था। उन्हें ऐसा करने की हम इजाजत दे दें ? हम बिल्कुल नहीं देंगे। बे ाक ये पटटी बांधे रहें।

श्री अध्यक्षः माननीय साथियों ने सदन के अन्दर मौन रखा है। गवर्नर एड्रैस से लेकर अब तक जो डिबेट हुई है उसके बारे में आंकडें मैं सदन के अंदर बता देता हूं। मुझे सिर्फ दो मिनट का समय लगेगा। सदन की इत्तलाह के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यह आज तक का रिकार्ड है कि गवर्नर एड्रैस पर 598 मिनट डिबेट हुई है जिसमें ट्रैजरी बैंचिज को 231 मिनट और अपोजी ान को 367 मिनट मिले। बजट पर 496 मिनट की बहस हुई है जिस पर ट्रेजरी बैंचिज वाले 195 मिनट और अपोजी ान वाले 301 मिनट बोले हैं। डिमांडज फार ग्रान्टस पर यह एक रिकार्ड है कि 226 मिनट की डिबेट हुई है For your information, from the inception of the State. इतनी लंबी डिबेट नहीं हुई। ट्रेजरी बैंचिज वाले 14 मिनट और अपोजी ान वाले 212 मिनट

बोले हैं। ऐप्रोप्रिये ान बिल्ज पर 104 मिनट की डिबेट हुई जिसमें से ट्रेजरी बैंचिज वाले 26 मिनट और अपोजी ान वाले 78 मिनट बोले हैं। मैं विपक्ष के चौधरी बीरेन्द्रं सिंह जी को बताना चाहता हूं कि ये अपनी पार्टी के समय को भी देख लें, अपोजी ान को कभी भी इतना समय नहीं मिला था। न आपकी पार्टी के राज के समय में और न इनकी पार्टी के राज के समय में क्या 1987–1991 तक कभी अपोजी ान को इतना अधिक समय मिला है ? ये साथी जो पटटी बांधे बैठे हुए हैं इनके राज में 1987 से 1991 के दौरान अपोजी ान वालों का बोलना तो दूर अंदर आना भी मु कल था। फिर भी मैं माननीय साथियों से कहूंगा कि वे माननीय सदन के सदस्य हैं और पअने अपने हल्के को रिप्रैजैंट करते हैं। वे सदन की डिबेट में हिस्सा लें, पार्लियामैंट्री भाशा बोलें। if they will be un ruly and unparliamentary then I will be pained to take the last resort which I don't want.

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, आपकी यह बात बिल्कुल ठीक है कि आपने बोलने के लिए पूरा टाईम दिया है लेकिन आपको पता है कि किस तरीके से चौधरी भजन लाल जी को हाउस में नेम किया गय है। मैं पार्लियामैंट के अंदर 5 साल तक रहा हूं और काफी लम्बा समय इनका भी वहां पर रहा है, मुझे याद है कि इस 5 वर्श के टाईम में पार्लियामैंट में किसी भी मैम्बर को नेम नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर जिस प्रकार से मो ाल लेकर आए हैं वह अनप्रैसिडैंडिट है, आज तक ऐसा कभी

भी नहीं हुआ है। इस सारे मामले को आप अपने लैवल पर टैकल कर सकते थे। अगर आपको यह लग रहा था कि उनका विहेवियर ठीक नही है या अनपार्लियामैंट्री लैंग्वेज का यूज हुआ है तो यह आपके जुरिस्डिक ान में था यह आपकी परिधि में आता था जो हुआ है। This is most unfair and un precedented. When there is some commotion then the Parliamentary Affairs Minister would come out with a resolution and because of brute majority he would get it passed. Sir, this should not be done because it curtails your powers. This is what I wanted to say, Sir.

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी कहते हैं कि पार्लियामैंट में कोई मैम्बर कभी नेम नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है नेम पार्लियामैंट में भी होते रहे हैं और यहांपर किस प्रकार से नेम होते रहे हैं यह भी हमने देखा है और आपने भी देखा है। बजट पर डिस्क ान चल रही थी। श्री ओम प्रका ा चौटाला बार बार किताब लेकर खडे हो जाते और कहने लगते कि इसमें किसानों की सबसिडी बन्द कर दी गई, बिजली के लिए पैसा नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, फाईनैंस मिनिस्टर की स्पीच के पेज 25 पर पूरी चीज एक्सप्लेन कर रखी है। पिछले साल कृशि के लिए 125 करोड रूपये रखे गए थे लेकिन इस बार 150 करोड रूपये रखे गए हैं। इसके बावजदू भी बार बार हाउस में खडे हो जाना, किताब पढने लग जाना और यह कहना कि सरकार हाउस को गुमराह कर रही है, क्या यह उचित है ? अध्यक्ष महोदय, वे हाउस को खुद गुमराह करें और हाउस को गुमराह करने का दोश

हमारे सिर मढें हम इस बात को कैसे टौलरेट कर सकते हैं। इतना ज्यादा टाईम इनको मिला यह सारा मामला आपके सामने है। बोलने के लिए इनको इतना टाईम दिया गया लेकिन ये लोग हमें ही बोलने न दें यह कहां की पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी है ? अध्यक्ष महोदय, अधिकार सब को है लेकिन किसी दूसरे के अधिकारियों को ऐनक्रोच करने का अधिकार किसी को नहीं है।

श्री अध्यक्षः चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा है कि यह अनप्रैंसिडैंटिड है। मैं इनकी याददा त के लिए बताना चाहूंगा कि 1991 में कांग्रेस की सरकार बनकर आई थी और आप मंत्री थे। आज भी आप कांग्रेस में हैं। पिछली बार मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी के काल में पार्लियामैंटरी मिनिस्टर ने हमें यहां से कितनी बार और कैसे कैसे निकाला यह आप भी जानते हैं। वैसे आप भी कुछ समय बाद हमारे पास ही बैठते थे।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ): अध्यक्ष महोदय, बीरेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं कि लोकसभा में कभी किसी को नेम नहीं किया। मैं इनको बताना चाहूंगा कि वहां पर एक मैम्बर बागड़ी होते थे उनको वहां से वाच एण्ड वार्ड स्टाफ ने उठाकर बाहर फैंका था। उनको तो अन्दर ही नहीं आने दिया जाता था और वे बाहर बैठे रहते थे।

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को मैं यह बताना चाहूंगा कि जब भी

सदन में गर्मा गर्मी हुई उस वक्त ये भाायद यहां पर मौजूद ही नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा था कि कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से श्री ओम प्रका ा चौटाला हमारी तरफ आंखें निकालते थे और धमकाने की कोि ा ा करते थे। बीरेन्द्र सिंह जी आपको पता है कि जब अध्यक्ष महोदय अपनी सीट पर खडें हों तो सबको बैठ जाना चाहिए लेकिन चौधरी भजन लाल जी खडे रहते और स्पीकर साहब को बातें कहते रहते। इसी तरह से जब राजकुमार जी ने बात कही तो उसको भी कहते बैठ जा तेरे को भी देख लूंगा। इस तरह धमकियां देते थे। यहां पर ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यहां पर इन्होंने एक प्रिविलेज मो ान भूगर मिल के बारे में मेरे खिलाफ दे दिया कि मैंने यहां पर पानीपत मिल बंद करने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, ये सदन को गुमराह करते हैं। आप रिकार्ड देख लें मैंने अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं कही है। ये प्रैस के भाईयों के पास जाकर गलत बात करते हैं। हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो ये कहते हैं।

श्री अध्यक्षः कर्ण सिंह दलाल जी बैठ जाएं मैं इसका जवाब जीरो आवर में दे दूंगा।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने ऐसी कोई गलत बात कही हो तो यह रिकार्ड में देख लिया जाए। अगर यह बात सत्य हुई तो मैं इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन में देखा होगा कि जब इनको अपनी बात बोलनी होती है वह तो ये सब बोल जाते हैं जब उसका जवाब सुनने की बारी आती है तो ये यहां से वाक आउट कर जाते हैं। इन्होंने आज तक कोई भी जवाब नहीं सुना। मैं गवर्नर ऐड्रैस पर जवाब दे रहा था तो ये वाक आउट कर गए थे। ये गाली देना तो जानते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं सुन सकते। आज तक ये किसी भी बात का जवाब सुनने के लिए यहां पर बैठे हों तो बताएं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री जय सिंह राणाः .....

श्री अध्यक्षः ये जो भी बोल रहे हैं, उसको रिकार्ड न किया जाए। राणा साहब, आप तीसरी बार चुनकर आए हैं और हर पार्टी से आपका संबंध भी रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसा न कहें और अब आप बैठें।

श्री जय सिंह राणाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक पार्टी का संबंध है मैं पहले दो बार आजाद चुनकर आया हूं और अब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर एम0एल0ए0 बनकर आया हूं।

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। अब अगला सवाल होगा।

तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Repair of Roads from Kheri-Sadh to Karor

***265. Sh. Balwant Singh:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to repair the road from village Kheri-Sadh to village karor in Rohtak district; and

(b) if so, the time by which the said road is likely to be repaired ?

Public Works Minister (Sh. Dharamvir Yadav):

(a) Yes. Sir.

(b) The repair work on this road will be completed by 31-5-97 subject to availability of funds.

श्री सत नारायण लाठरः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पहले बाढ के कारण जो सडके क्षतिग्रस्त हो गयी थीं और जिन पर अब वाहन या रेढे चल नहीं सकते हैं, क्या ऐसी सडकों की रिपेयर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि है तो कब तक इनकी मरम्मत हो जाएगी ?

श्री धर्मवीर यादवः अध्यक्ष महोदय, हम ऐसी सभी सडकों की रिपेयर भीघ्र करवाने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, पिछले कई दिनों से आपके विभाग से संबंधित कई प्र न यहां पर आए हैं। मेरा भी आपसे यही जानने का विचार है कि जो रोडज 1995 की बाढ में

सारे प्रदे ा में नश्ट हो गयी थीं और जिनकी आज तक भी मरम्मत नहीं हो पायी है इसलिए विपक्ष के और सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों को इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि सारे प्रदे ा में उनके हल्कों की सडकों पर 1995 की बाढ के बाद से आज तक मरम्मत नहीं हो पायी। मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से इनकी मरम्मत नहीं हो पायी लेकिन यहां पर आपके विभाग से संबंधित रोजाना दो या चार प्र न इस बारे में जरूर आते हैं। आप भी इस बार को लेकर चिन्तन ील महसूस होते हैं और आपका इनके बारे में जवाब भी ठीक सा ही होता है। क्या आप सारे सदन को यह वि वास दिलाएंगे कि जो रोडज 1995 की बाढ में क्षतिग्रस्त हो गयी थीं तथा जिनको उस समय की सरकार ठीक नहीं करवा सकी थी, उनको कब तक आप ठीक करवा देंगे ?

Sh. Dharamvir Yadav: Mr. Speaker, Sir, on account of heavy rains, there was extensive damage of roads in District Rohtak and other parts of Haryana. अध्यक्ष महोदय, जितनी भी रोडज उस समय डैमेज हुई थीं उन सभी की हम एक सूची बनवा रहे हैं और बहुत भीघ्र ही उनकी रिपेयर भाुरू की जायेगी। अप्रैल के पहले सप्ताह से यह काम भाुरू हो जाएगा और मैं ऐसी आ ाा करता हूं कि 30 जून के पहले पहले इन सभी रोडज की रिपेयर करने की हम कोि ा ा करेंगें। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ रोडज बच जाएंगी तो उनकी भी हम सितम्बर के मध्य के पहले पहले रिपेयर करवा देंगे।

श्री सतनारायण लाठरः अध्यक्ष महोदय, कुछ रोडज जो बहुत बडी हैं और कुछ लिंक रोडज हैं पहले जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार होती थी, तब ही उन सडकों के किनारे किनारे मिटटी डलवायी गयी थी। लेकिन अब ऐसी सडकों के किनारों पर दो दो फुट गहरे गढढे हो गये हैं लेकिन पिछली किसी भी सरकार ने इन गढढों को भरने के लिए मिटटी नहीं डलवायी। आज ऐक्सीडैंट का मेन कारण यही है कि अगर कोई गाडी साईड देती है तो वह सडकों के नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से ऐक्सीडैंट हो जाते हैं। क्या मंत्री जी के नोटिस में ऐसी बात है अगर हां तो तब तक ऐसी सडकों के किनारों पर मिटटी डलवाए जाने की योजना है ?

श्री धर्मवीर यादवः अध्यक्ष महोदय, हम सडकों की मैटलिंग के साथ साथ उनके अर्थवर्क के काम को भी पूरा करेंगे।

श्री देवराज दीवानः अध्यक्ष महोदय, सोनीपत से गोहाना जाने वाली सडक एवं सोनीपत से रोहतक जाने वाली सडक 1995 की बाढ की वजही से टूट गयी थीं। आज इन दोनों सडकों की बहुत बुरी हालत है। क्या इन सडकों को बनाने की भी इनकी कोई योजना है ? इसके अलावा मैं इनसे यह भी जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय जो सडकों की रिपेयर होती थी उसमें एक रस्सी बिछा कर उसके लेवल तक एक एक इंच तक रिपेयर कर दी जाती थी तो क्या अब भी सरकार इन सडकों की

ऐसी ही रिपेयर करेगी या इससे अच्छी रिपेयर करने का उसका प्रस्ताव है ?

श्री धर्मवीर यादवः स्पीकर सर, जिन सडकों का ये जिक्र कर रहे हैं तो इन सडकों पर अप्रैल में रिपेयर भाुरू करवा दी जाएगी और 30 जून से पहले पहले यह काम हो जाएगा। जहां तक इन्हौंने कहा कि रिपेयर अच्छी होनी चाहिए तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि स्पैसिफिके ान के मुताबिक ही रोडज की रिपेयर होगी। मैं आ ाा करता हूं कि हमारी रिपेयर की हुई सडकें कम से कम पांच साल नहीं टूटेंगी।

Construction of New Anaj Mandi at Ambala Cantt.

***270. Sh. Anil Vij:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct new Anaj Mandi at Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which the said Anaj Mandi is likely to be constructed ?

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल):

(क) जी हां।

(ख) अनाज मण्डी की भूमि अभी हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड को स्थानान्तरण नहीं हुई है। अनाज मण्डी का निर्माणभूमि का कब्जा लेने के दो वर्श के भीतर कर दिया जायेगा।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्र न का उत्तर 'हां' में दिया और साथ ही यह आ वासन भी दिया कि भूमि ट्रांसफर के दो वर्श के भीतर अनाज मंडी का निर्माण कर दिया जाएगा इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो भूमि ट्रांसफर का मामला है इसमें पिछली गवर्नमैंट ने लोगों की जैनुयन डिमांड के प्रति भी जो एपैथैटिक एटीच्यूड रखा पिछले 5–6 साल से भूमि ट्रांसफर का मामला सरकार से सरकार के बीच चल रहा है और एक म्यूनिसिपैलिटी ने जमीन देनी है और मार्किटिंग बोर्ड ने जमीन लेनी है उसमें इतनी दिक्कत की क्या बात है कि 5–6 साल से यह मामला लटका रहा। मैं जानना चाहूंगा कि इस जमीन के ट्रांस्फर के लिए क्या कोई समय सीमा मंत्री जी नि चत करेंगे जिससे यह भूमि ट्रांस्फर हो जाए और अनाज मंडी बन सके।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं और ये स्वयं भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अम्बाला सदर में जमीन है वह वहां की नगरपालिका की जमीन है और सडक से दूसरी जमीन का स्तर काफी नीचा है। कई दफा हमारे अधिकारियों ने और विज साहब ने भी सबने खूब प्रयास किये हैं और मैं इन्हें आपके माध्यम से

आ वासन देता हूं कि महीने दो महीने में हम जमीन की तबदीली का मामला तय कर देंगे।

श्री कैला I चंद्र भार्मा: अध्यक्ष महोदय, नांगल चौधरी में अनाज मंडी की जमीन ऐक्वायर हुए 4–5 साल हो गए हैं और दुकानों की नींव भी भर रखी है और पटटे भी बांध रखे हैं लेकिन उसके बाद काम रूका हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें आगे ये क्या करने जा रहे हैं वे पटटें ही बंधे रहेंगे या खोल कर आगे काम किया जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो नांगल चौधरी के बारे में जिक्र किया है इसके बारे में मैं जानकीर मंगा लेता हूं उसके बाद वहा पर क्या मामला है। उसके बारे में माननीय सदस्य मुझसे कभी भी मिल लें मैं पूरी जानकारी दे दूंगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रिवाडी की जो अनाज मंडी है उसकी चारदीवारी का पैसा मंजूर हो चुका है। चार दीवारी न बन पाने की वजह से वहां काफी दिक्कत है प I घुस जाते हैं जिससे किसानों और व्यापारियों को काफी समस्या होती है क्या उस चारदीवारी को पूरा करने की कार्यवाही कराएंगे ?

श्री कर्ण सिंह दलाल: माननीय कैप्टन अजय सिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके अपने भाासन काल में

कंस्ट्रक ान में और दूसरे कामों में धांधली होती रही। जहां तक हमारे मार्किटिंग बोर्ड का सवाल है मैं रिवाडी की अनाज मंडी की चारदीवारी के बारे में पता करवा लेता हूं क्योंकि वहां इनकी अपनी सरकार के समय में काम नहीं हुआ। मैं पता करवा लेता हूं अगर कोई बात ठीक होगी तो हम करने की कोि ा ा करेंगे।

10.00 बजे।

श्री दिलू रामः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के सीवन कस्बे में जो कि बहुत बडा तथा पुराना कस्बा है, लोगों की मण्डी की मांग काफी दिनों से चली आ रही है। यह अनाज मण्डी की मांग 1979 से आज तक चली आ रही है और अनाज मंडी के लिए 22 एकड जमीन भी ऐक्वायर हुई। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट से स्टे ले आये लेकिन स्टे केवल 4 एकड जमीन का ही है और 18 एकड जमीन खाली पडी है। मुझे पता लगा है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से पैसा भी आ गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वहां पर काम कब तक भाुरू करवायेंगे ?

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जैसा इन्होंने कहा कि इस मण्डी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है जैसे ही कोर्ट का फैसला हो जायेगा उसके बाद हम विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्षः यह सब ज्यूडिस केस है।

श्री सत नारायण लाठरः अध्यक्ष महोदय, बास (हिसार) की अनाज मंडी कई सालों से बनी पडी है और उसे चालू नहीं किया जा रहा है। दूसरे मेरे जिला जींद में पुरानी अनाज मंडी और रोहतक रोड पर नई अनाज मंडी है। किसानों को दोनों मंडियों में जाना पडता है। तो यह नई अनाज मंडी कब तक चालू करेंगे। मंत्री जी कृपया जवाब दें।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि ये इस बारे में अलग से प्र न दे दें तो विस्तार से बता सकता हूं।

श्री सतपाल सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चरखी दादरी की सब्जी मण्डी जो कि भाहर के बीच में है उसे ि ाफ्ट करके भाहर से बाहर ले जाने का प्रोग्राम 8–10 साल से चल रहा है और सैक ान चार का नोटिस भी जारी हो गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सब्जी मंडी को बाहर ले जाने का कब तक प्रोग्राम है क्योंकि इससे भाहर में बडी गंदगी रहती है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सतपाल सांगवान जी ने बिल्कुल ठीक कहा है उनकी सलाह पर हम जल्दी ही कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री रामभजन अग्रवालः अध्यक्ष महोदय, भिवानी सब्जी मण्डी में दो साल से भौड बने हुए हैं। लेकिन वे सब्जी के रिटेल

डीलरों को अलॉट नहीं किए गए हैं जिससे सरकार का 50–60 हजार रूपये महीने का नुक्सान हो रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये भौड सब्जी के रिटेल डीलर्ज को अलाट किये जायें। दूसरे, लोहा और लकडी मंडी बनाने का काम पहली अप्रैल से भाुरू करना था लेकिन उनके प्लाट अभी तक अलॉट नहीं किये गये हैं, उसके बारे में बतायें।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने पिछली दफा भी सदन को बताया था कि प्लाट अलॉटमैंट करने की पिछली सरकार के समय में जो पौलिसी थी उसमें कोई कमी थी उसकी वजह से सारे हरियाणा के आढती कचहरी या अदालत का सहारा ले लेते थे। हम बहुत जल्दी एक नई पौलिसी इस प्रदे ा में लागू करने जा रहे हं जिससे सभी आढतियों और किसानों को फायदा होगा। रही बात लोहा और लकडी मंडी की, यह मंडी बोर्ड का विशय नहीं है।

श्री आनन्द कुमार भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बल्लभगढ अनाज मंडी को भाहर से बाहर ि ाफ्ट करने का कार्य काफी दिनों से चल रहा है लेकिन अभी तक ि ाफ्ट नहीं हो पाई है। उसे कब तक ि ाफ्ट करायेंगे और क्या अनाज मंडी में अनाज के व्यापार के अलावा और काम भी हो सकता है क्योंकि वहां और भी दुकानें बनी हुई हैं।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो इन्होंनें दिक्कत बताई है वह बिल्कुल ठीक है। पिछली सरकार ने इस इलाके के साथ जान बूझ कर ज्यादतियां कीं और इस इलाके की समस्याओं को दूर नहीं किया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बारे पौलिसी सरकार के विचाराधीन है और जल्दी ही कोई फैसला लेकर इनकी समस्याओं को दूर करने की कोि ा ा करेंगे।

श्री जगदी ा नैय्यरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे हल्के में गये थे तथा इन्होंने वहां पर गांव खामी में सब यार्ड बनाने के लिए हां की थी, यह बात कहां तक अमल में लाई गई है ?

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि मैं खामी गांव में गया था। यह जिला फरीदाबाद का सबसे बडा गांव है। इसके आसपास के गांवों के किसानों को अपनी उपज लेकर बहुत दूर जाना पडता था। वहां पर मैंने यह बात कही थी कि खामी के लोग हमें जमीन उपलब्ध करा दें, वहां पर हम मार्किट कमेटी का सब यार्ड बना देंगे।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पानीपत अनाज मंडी का फ र्ा दो फुट ऊंचा है। वहां पर किसानों को अपना अनाज वगैरह डालने में काफी दिक्कते आती हैं। क्या इस मामले में

सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि किसानों की समस्याएं दूर हो सकें ?

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में सारे प्रदे ा में जहां कहीं भी नई या पुरानी अनाज मंडियां थीं और उनमें जो भी समस्याएं थीं चाहे फ र्ा ऊंचे होने की है, या फ र्ा नीचे होने की है, इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। जहां तक इनकी अपनी मंडी की बात है, अगर इनकी बात जायज होगी तो उसको ठीक कर देंगें।

श्री अध्यक्षः यह जो आप सब यार्ड बनाते हैं और जो इससे भी छोटे यूनिट होते हैं, क्या उनको बनाने के लिए मार्किटिंग बोर्ड कोई सूओ मोटो सर्वे करता है ? लोगों की आव यकताओं को ध्यान में रखते हुए सब यार्ड या मंडी वगैरह का निर्माण किस आधार पर किया जाता है ?

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग इस बात की जानकारी हासिल करता है कि सब यार्ड कहां खोला जाना चाहिए, मार्किट कमेटी कहां खोली जानी चाहिए और परचैंज सैंटर कहां खोला जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आवक उस सब यार्ड की हो सकती है तथा जो उत्पादन उस गांव के सब यार्ड के आसपास होता है, इन सब बातों का अनुमान लगाना होता है। अगर वह अनुमान ठीक आता है तो हरियाणा सरकार का राज्य

विपणन बोर्ड वहां पर सब यार्ड, परचेज सैंटर या मार्किट कमेटी खोलने पर विचार करता है।

श्री हर्श कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि श्री जगदी ा नैय्यर ने खामी गांव में सब यार्ड खोलने की बात कही है, वह मेरा ही गांव है। मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर सब यार्ड तो पहले से ही है जो कि 3 साल से चल रहा है। वहां पर जरूरत उसका फ र्ा पक्का करने की है। उसके लिए जमीन भी ले रखी है। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि उसका फ र्ा कब तक बना दिया जाएगा ?

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, जब मैं वहां पर गया था तो वहां पर हुई जनसभा में यह बात नहीं आई थीं कि वहां पर सब यार्ड पहले ही बना हुआ है। उन्होंने तो सब यार्ड की बात कही थी, जिसके लिए मैंनें हां कही थी। अब जैसे कि श्री हर्श कुमार जी ने उसके फ र्ा बनाने की बात कही है, इसके लिए मैं आ वासन देता हूं कि वह हम बना देंगे।

तारांकित प्र न संख्या 299

(माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह इस समय सदनमें उपस्थित नहीं थे, इसलिए यह प्र न पूछा नहीं गया।)

Construction of Building of Anganwari Centre, Jasaur Kheri

***353. Sh. Nafe Singh Rathee:** Will the Minister for Social Welfare be pleased to state-the time by which the

building of Anganwari Centre in village Jasaur Kheri (District Rohtak) is likely to be completed ?

स्थानीय भाासन मंत्री (डॉ0 कमला वर्मा): श्रीमान जी, गांव जासोर खेडी (रोहतक) में आंगनवाडी केन्द्र के भवन का निर्माण दिनांक 30.4.97 तक पूरा हो जाएगा।

श्री जगदी ा नैय्यर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो आंगनवाडी सैंटर गांवों में खोले गये हैं, उनके कर्मचारियों को बहुत ही थोडा वेतन दिया जाता है। क्या उनका वेतन बढाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

डॉ0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि यह केन्द्र सरकार से स्पौंसर्ड स्कीम है और केन्द्र सरकार की ओर से इनका वेतन केवल 400 रूपये प्रतिमाह दिया जाता है। राज्य सरकार ने फिर भी इनके 200 रूपये बढा दिये हैं। इससे ज्यादा इनका वेतन बढाने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री कपूर चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मेरे क्षेत्र में ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें अभी तक कोई आंगनवाडी ि ाक्षा केन्द्र नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में तीन तीन चार चार गांवों में एक आंगनवाडी बनाई हुई है। इसलिए उन आंगनवाडी केन्द्रों में एक गावं से दूसरे गांव मैं महिलाओं और कन्याओं को आने जाने में बहुत दिक्कत

होती है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या हर गांव में आंगनवाडी केन्द्र खोलने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

डॉ0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अंदर 116 ब्लौक्स हैं और 13 लाख 533 आंगनवाडी सैंटर हैं। हर ब्लाक में हमने आंगनवाडी खोली हुई है। एक हजार की आबादी पर एक आंगनवाडी सैंटर खोला हुआ है। अगर माननीय सदस्य बताएंगे कि उनके क्षेत्र का कोई गांव आंगनवाडी सैंटर खोलने के नियम पूरे करता है तो वहां पर आंगनवाडी सैंटर खोल देंगे।

श्री हर्श कुमार: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया की यह बात ठीक है कि यह सैंट्रली स्पौंर्स्ड स्कीम है इसलिए उनको वेतन कम मिलता है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा प्रावधान करेगी कि जो आंगनवाडी वर्कर लगेगी वह उसी गांव की लगेगी। यह अलग बात है कि अगर उस गांव में मैट्रिक या आठवीं कक्षा की महिला न हो या रिजर्व कोटे की महिला न हो तो दूसरे गांव की लगाई जा सकती है। हमारे यहां पचासियों गांव ऐसे हैं जिनमें मैट्रिक और आठवीं कक्षा तक पढी हुई महिलाएं हैं और रिजर्व कोटे की भी हैं लेकिन उन गांवों में दूसरे गांवों या भाहरों की वर्कर्ज लगाई हुई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में इन्कवायरी करा करके क्या उन गांवों की आंगनवाडी में उसी गांव की महिला लगाने की कोि ा ा की जाएगी त्र

डॉ0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि उन्होंने क्या नार्म्ज बनाए हुए थे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि जिस गांव में आंगनवाडी सैंटर हो उसमें उसी गांव की महिला यदि मैट्रिक पास हो तो उसको लगाया जाए। आंगनवाडी वर्कर की एक छोटी सी नौकरी है। एक आंगनवाडी वर्कर को 400 रूपये सैंटर गवर्नमैंट की तरफ से दिये जाते हैं और 200 रूपये हम अपनी सरकार की तरफ से देते हैं। अगर माननीय सदस्य के हल्के के गांवों में कोई अनियमितता है तो वह मेरे नोटिस में लाएं हम उस पर विचार करेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, गोहाना समाज कल्याण विभाग के पास आंगनवाडी वर्कर्ज की 10 पोस्टें सैंक ान हो कर गई हैं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि उन पोस्टों को कब तक फिलअप कर दिया जाएगा।

डॉ0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, 20 आंगनवाडी सैंटर्ज पर एक सुपरवाइजर होती है और सुपरवाइजर के बाद एक प्रोग्राम आफिसर होती है वे दोनों आंगनवाडी वर्कर का इन्टरव्यू लेते हैं। हमारे पास जहां जहां तक वैकेन्सी आएगी उनका इन्टरव्यू लेकर उनको भर्ती किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया, मेरा आपसे एक सुझाव है और पराम र्ा है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि उसी

गांव की महिला को आंगनवाडी सैंटर में लगाया जाए क्योंकि उनको बहुत कम वेतन मिलता है इसलिए दूसरे गांव या भाहर से कोई आंगनवाडी वर्कर आकर किसी दूसरे आंगनवाडी सैंटर में लगे तो यह बात जस्टिफाईज नहीं है। क्या आपका विभाग इस बारे में या आप खुद इस बारे में सुओमोटो इन्कवारी कराएंगी कि किसी गांव की आंगनवाडी में किसी दूसरे गांव की या भाहर की वर्कर कैसे लगी और क्यों लगी ? क्या इस बारे में सुओमोटा इन्कवायरी करके कोई ऐक ान लेने का आपको कोई विचार है ?

डॉ0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी तक ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में नहीं आई हैग लेकिन अब मुझे कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में बताया है तो उस पर अव य विचार किया जायेगा।

Mr. Speaker: There are so many cases like this.

डॉ0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, ठीक है इसकी छानबीन कर ली जाएगी। अब हमने मैरिट का क्राइटेरिया भी रखा हुआ है। कई बार किसी गांव में मैट्रिक पास वर्कर नहीं मिलती है, तो उस गांव में दूसरे गांव की वर्कर को लगाया जा सकता है।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान: स्पीकर साहब, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि एक आंगनवाडी सैंटर में बच्चों को किस रे ो पर खुराक दी जाती है। मुझे पता लगा है

कि आंगनवाडी सैंटर के लिए जो खुराक जाती है वह सुपरवाइजर अपने घर में रख लेते हैं।

डॉ0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में आंगनवाडी सैंटर में एक बच्चे की खुराक के लिए 80 पैसे और महिला के लिए 95 पैसे फिक्स किए हुए थे। इस सरकार ने आने के बाद 95 पैसे एक बच्चे की खुराक के लिए और 115 पैसे एक गर्भवती महिला के लिए देने का प्रावधान किया है उस खुराक में विटामिन और कैलोरीज का वि ोश ध्यान रखा जाता है। मैं यह मानती हूं कि यह जो पैसा है, यह बहुत कम है। लेकिन मैं इनको बताना चाहती हूं कि सारा माल चैक होता है, लैबोरेटरी में टैस्ट होता है। टैस्ट होने के बाद उसको पावर परचेज कमेटी खरीदने की इजाजत देती है। उसके बाद ए0डी0सी0 के माध्यम से सारे सैंटरों में उस सामान को भेजा जाता है। अगर कहीं पर कोई कमी इनको दिखाई देती हो तो ये हमारे नोटिस में लायेंगे तो उसकी जांच करवा लेंगे। वैसे विभाग की तरफ से समय समय पर चैकिंगे होती रहती है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के वक्त में ही यह रा ि ा प्रति बच्चा और गर्भवती महिला की बढा दी गई थी। हमारे समय में ही हमने बच्चों पर खर्च की जाने वाली रा ि ा को 80 पैसे से बढा कर 93 पैसे और गर्भवती महिलाओं पर 93 पैसे की बजाये एक रूपया पांच पैसे कर दिया था।

श्री अध्यक्षः आप इनको वह स्पेसिफिक डेट बता दें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं ठीक कह रहा हूं। खुराक की यह रा ि ा हमारे समय में बढाई गई थी।

डॉ0 कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के आने के बाद हमने यह रा ि ा 20.12.96 को बढाई है। इनके समय में यह नहीं बढी।

Diet

***329. Capt. Ajay Singh Yadav:** Will the Minister for Education be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open a Diet centre in District Mohindergarh ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): नहीं, श्रीमान। महेन्द्रगढ़ जिले में महेन्द्रगढ़ में ही जिला ि ाक्षा एवं प्रि ाक्षण संस्थानई (डाईट) पहले से ही स्थापित है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का रिवाडी जिले में रिवाडी के अन्दर डी0आई0ई0टी0 सैंटर खोलने का कोई विचार है ?

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, यह डी0आई0ई0टी0 की योजना भारत सरकार की है। जिस समय हरियाणा के 12 जिले होते थे उन दिनों यह स्कीम 12 के 12 जिलों में होती थी चूंकि बाद मे ंचार नए जिले और बन गए। इन

चार नए जिलौं के लिए अपनी तरफ से प्रस्ताव बनाकर हमने भारत सरकार को भेजा हुआ है। ये चार जिले हैं रिवाडी, कैथल, यमुनानगर और पानीपत। इस समय हम इन 12 स्थानों पर तो अध्यापकों को प्रि ाक्षण दे ही रहे हैं साथ ही 10 जे0बी0टी0 की संस्थाओं में प्रि ाक्षण दे रहे हैं इसके अलावा 8 प्राईवेट संस्थाओं में भी हम अध्यापकों को प्रि ाक्षण दे रहे हैं, जिनको सरकार ने उपयुक्त समझा है।

श्री चन्द्र भाटिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ि ाक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या फरीदाबाद में लडकियों के लिए अलग से पोलिटैक्निक कालेज खोलने का विचार है क्योंकि इसके लिए 11 एकड जमीन भी ऐक्वायर की हुई है और बजट में भी इसके लिए 6 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर कब तक काम भुरू हो जायेगा ?

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल टैक्नीकल एजूके ान मंत्री श्री नारायण सिंह के विभाग से ताल्लुक रखता है लेकिन कुछ दिन पहले तक यह महकमा मेरे पास था, मुझे जो जानकारी है उसके आधार पर मैं इनको बताना चाहता हूं कि कुछ प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं परन्तु अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

राव नरेन्द्र सिंहः पिछले दिनों एजूके ान मंत्री जी अटेली में हमारे संजय कालेज में पधारे थे और मंत्री जी ने उसको सरकार के नियंत्रण में लेने का आ वासन दिया था। मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि क्या उस संजय कालेज का नाम बाबा खेतानाथा के नाम पर रखने का ये आ वासन देंगे क्योंकि यह उस इलाके के लोगों की मांग है ?

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि चौधरी बंसी लाल जी की सर means every word is a letter of the word. भाई नरेन्द्र सिंह जी ने जो सप्लीमैंटरी पूछी है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि संजय कॉलेज इनके स्वर्गीय पिता श्री बंसी सिंह के प्रयासों से तथा वहां के इलाके के लोगों के सहयेाग से बना है। उनकी कोि ा ा थी कि इस कालेज का सरकार अधिग्रहण हो लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया है। एक दो महीने में इस कॉलेज का सरकारी करण करने की कोि ा ा करेंगे ताकि इस इलाके के लोगों का भला हो सके। नांगल चौधरी गांव के लोगों को भी मैंने अपनी तरफ से कहा है और प्रस्ताव रखा है कि इस कालेज का नाम बाबा खेतानाथ के नाम पर रख दिया जाए। अगर वहां के लोग यह चाहते हैं कि इसका नाम बाबा खेतानाथ के नाम पर रखा जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी तक इस तरह की कोई बात सरकार के पास नहीं आई है जैसे ही इस बारे में प्रस्ताव आएगा तो उस पर भी तुरन्त विचार

करते हुए इसका नाम बाबा खेतानाथ के नाम पर रख दिया जाएगा।

श्री राज कुमार सैनीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ि ाक्षा मंत्री महोदय के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि अप्रैल मास से नई कक्षाएं स्कूलों में आरम्भ हो जाएंगी और ि ाक्षा मंत्री महोदय ने विभिन्न अवसरों पर कई स्कूलों को अपग्रेड करने का आ वासन भी दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय ि ाक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिन स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है क्या उन स्कूलों को अप्रैल से पहले अपग्रेड करने बारे सरकार विचार करेगी ताकि वहां पर नई कक्षाएं समय पर भाुरू हो सकें ?

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय राज कुमार सैनी जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जब से यह सरकार सत्ता में आई है तभी से हर हल्के से हर क्षेत्र से विद्यालयों का दर्जा बढाने की मांग आ रही है। इस बारे में सरकार ने पहले ही सर्वे करवाया है और हम प्रयास करेंगे जो स्कूल इस बार अपग्रेड होने हैं उनके मामलों को मई के पहले सप्ताह तक टेकअप करके फाईनल कर लिया जाए ताकि इसी सत्र में वहां पर क्लासिज भाुरू की जा सकें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ि ाक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि

जे0बी0टी0 ट्रेनिंग के लिए जो सीटस बच्चों को अलाट की जाती हैं उनका स्थान निर्धारित करने का क्राइटेरिया क्या है ? आमतौर पर देखा गया है कि रिवाडी के बच्चों को सिरसा में दाखिला दिया जाता है और सिरसा के बच्चों को कहीं और ऐडमि ान दे दिया जाता है। क्या वे इस बात पर विचार करेंगे कि जिस क्षेत्र का बच्चा हो, ऐडमि ान के वक्त उसको जो सीट अलाट की जाए वह उसके घर के नजदीक हो, क्या इस बारे में लडकियों के मामलों में वि ोश रूप से ध्यान देने के बारे में सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, जे0बी0टी09 के लिए ऐण्टरैंस टैस्ट होता है और इस बार करीब 30 हजार बच्चों ने जे0बी0टी0 ऐण्टरैंस टैस्ट में हिस्सा लिया। ऐण्टरैंस टैस्ट के रिजल्ट को पूरी तरह से कम्पयूटराईज्ड करवा कर बच्चों को दाखिला दिया गया है। दाखिले के समय जो फार्म लेते हैं उनमें बच्चों से 3 प्रॉयोरिटीज लेते हैं कि पहले नम्बर पर किस स्थान पर, दूसरे नम्बर पर किस स्थान पर और तीसरे नम्बर पर किस स्थान पर वे एडमि ान लेना चाहते हैं। उनके हिसाब से ही उनको स्थान देने का प्रयास करते हैं। छात्रों की दिक्कत को ध्यान में रखा जाता है और उनकी दी गई प्रायोरिटी को देखा जाता है। लडकियों के मामलों को वि ोश रूप से ध्यान में रखा जाता है और अगर कोई सीट खाली हो तो माईग्रे ान देकर भी उनको वांछित स्थान पर भेजा जाता है।

Opening of Girls High School, Chimni, District Rohtak

***374. Dr. Virender Pal Ahlawat:** Will the Minister for Education be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open a Govt. High School for girls in village Chimni, District Rohtak.

ि ाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): वर्तमान में विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री जगदी ा नैय्यर: अध्यक्ष महोदय, कई दिनों से मेरे दिमाग्र में एक सवाल घूम रहा है। मैं माननीय ि ाक्षा मंत्री महोदय का ध्यान होडल कॉलेज की ओर दिलाना चाहूंगा। इस कॉलेंज में मैं स्वयं भी करीब 5 वर्श पढा हूं। जब यहां पर ऐडमि ान होता है तो काफी लम्बे चौडे खर्च की लिस्ट छात्र को पकडा दी जाती है जो कि करीब 1750 रूपये तक की होती है। ऐडमि ान के लिए यह रा ि ा काफी ज्यादा हो जाती है। इसके साथ ही एक दूसरा तथ्य भी मैं ि ाक्षा मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि वहां पर डी0पी0ई0 की सुविधा नहीं है लेकिन फिर भी छात्रों से इसकी फीस ले ली जाती है और अच्छी खासी रकम सिक्योरिटी के रूप में भी ले ली जाती है जो छात्रों के साथ अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंसत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या छात्रों के साथ इसी प्रकार से अन्याय होता रहेगा या सरकार इस अन्याय को दूर करने के बारे में कोई विचार करेगी ?

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि अन्याय के बाद न्याय मिले इसलिए ही लोगों ने यह सरकार बनाई है। इन्होंने जो अन्याय वाली बात कही है वहां पर उन स्टूडैंटस को उस अन्याय से राहत दी जाएगी।

श्री सतनारायण लाठर: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में बराढखेडा गांव है वहां पर एक स्कूल में 18 कमरे हैं और उसकी जमीन भी 5 एकड है तो क्या ये वहां पर उस स्कूल का दर्जा बढाएंगे ?

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, अगर यह स्कूल नार्मज पूरे करता होगा तो इस बारे में हम विचार करेंगे।

Extension of Jind By-Pass

***350. Sh. Birender Singh:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to extend the existing Jind by pass from Gohana road to Patiala road ?

Public Works Minister (Sh. Dharamvir Yadav): Proposal fro extension of existing Jind by pass from Gohana road to Patiala road is under consideration.

Sh. Birende Singh: Sir, as usual the Minister has replied that the proposal is under consideration. I would like to know whether the funds are available and secondly .....

Mr. Speaker: There is sligth change in the reply.

Sh. Birender Singh: Sir, I would like to know what he means by consideration. Whether it is that the work would be taken up in the current financial year or it could be taken up after 1st April, 1997 ? Whether the work would be completed within the next financial year ? Furthermore, I want to know whether there is proposal to have this by pass in four lanes ?

Sh. Dharamvir Yadav: Sir, the proposal for construction of this bye pass was sent to the Govt. on 5th November, 1996 and the same was received back from the Govt. with a direction that the proposal will be considered in the next year i.e. in 1997-98. The proposal was again sent to the Govt. for consideration and roughly a period of 2 years will be taken for completion of this work.

Sh. Birender Singh: Sir, the next part of my question remains unanswered. In the seceond part of my question, I have asked whether there is proposal to have this by pass in 4 lanes ?

Sh. Dharamvir Yadav: At the moment, it is 2 lanes and not 4 lanes.

Sh. Birender Singh: Whether there is any proposal to start the acquisition proceedings of hte land for this purpose and whether the alignment work has already been started and whether there is also proposal to construct bridge over the Chinting canal which passes through Jind City. What is the progress in regard to the matter of acquision of land and alignment of this by pass ?

Sh. Dharamvir Yadav: The proceedings for the acquisition of the land will be started as and when approval from the government comes and it would take roughly two years to complete this work. So far as culverts and bridge are concerned, those will be constructed according to the requirement.

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी एक इंडस्ट्रियल वैल्ट है और वहां से काफी ट्रैफिक जयपुर और अलवर जाता है जिससे वहां पर ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। क्या इनके पास वहां पर कोई बाई पास बनाने का प्रपोजल विचाराधीन है जिसमें वहां पर ट्रैफिक जाम न हो ?

श्री धर्मवीर यादवः अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रपोजल विचारधीन नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, क्या ये इस बारे में विचार करेंगे ?

श्री धर्मबीर यादवः अध्यक्ष महोदय, ये इस बारे में हमें लिखकर भेज दें। हम इस बारे में सहानुभूति के तौर पर विचार अव य कर लेंगे।

श्री अध्यक्षः अब प्र न काल समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के

लिखित उत्तर

Repair of Govt. Hospital Ellenabad

***388. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to repair/reconstruct the building of Govt. Hospital, Ellenabad; and

(b) if so, the time by which the construction work of the said building is likely to be started/completed ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा महाजन):

(क) तथा (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की वि ोश मुरम्मत 1994–95 में की जा चुकी है। भवन का पुनः निर्माण करने की बजाए नए स्थान पर एक 30 बिस्तरों वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है जो कि 3 वर्श में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

Augmentation of Water Supply Schemes

***432. Sh. Ram Phal Kundu:** Will the Minister for Public Health be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to augment the water supply schemes of villages Muana, Rod, Malikpur and Danauli (Safidon Constituency) as the existing water supply scheme is not sufficient to meet out the requirment of above said villages ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ): जी नहीं।

Abolition of Octroi in the State

***439. Sh. Mani Ram:** Will the Minister for Local Government be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to abolish octroi in the State ?

स्थानीय भाासन मंत्री (डॉ0 कमला वर्मा): जी, नहीं।

Bringing of New Colonies in Municipal Limits, Panipat

***407. Sh. Om Parkash Jain:** Will the Minister for Local Government be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to bring the colonies adjacent to Panipat City within its Municipal limits ?

स्थानीय भाासन मंत्री (डॉ0 कमला वर्मा): ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Alleged Irregularity committed in the purchase of Road Rollers

***384. Sh. Ramji Lal:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) the number of road rollers purchased, if any, by the Haryana State Agricultural Marketing Board during the year 1995-96; and

(b) whether any irregularity committed in the said purchase has come to the notice of Govt. if so, the details thereof ?

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल):

(क) व (ख) 1995–96 में हरियाणा राज्य कृशि विपणन मण्डल के अनुरोध पर निदे ाक सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल द्वारा बोर्ड के लिए 14 रोड रोलरों की खरीद का आर्डर दिया गया। इस आर्डर के तहत 8 रोड रोलर नवम्बर 1996 में प्राप्त हुए। बाकी 6 रोड रोलरों का आर्डर रदद करने हेतु निदे ाक सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल को अनुरोध किया गया है। रोड रोलरों का आर्डर बिना बजट प्रावधान एवं बिना रोड रोलर चालकों के पदों के सृजन के दिया गया। साथ ही उस समय बोर्ड में उपलब्ध रोड रोलरों का भी पूर्णतया उपयोग नहीं हो रहा था।

Accounts of H.S.A.M.B.

***427. Sh. Satvinder Singh Rana:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-whether it is a fact the accounts of Haryana State Agricultural Marketing Board have not been audited since November, 1991; if so, the reasons thereof togetherwith names of officers/officials responsible for the said lapse ?

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): नहीं, श्रीमान जी,

Separation of Joint Ward Medical College, Rohtak

***446. Sh. Randeep Singh Surjewala:** Will the Minister of State for Medical Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to have separate wards for children and Tuberculosis patients at Medical College, Rohtak;

(b) whether it is a fact that the old building of children ward, Tuberculosis ward and old Intensive care unit of Medical College, Rohtak has falledn/collapsed; and

(c) if so, the time by which the buildings referred to in part (a) above are likely to be reconstructed ?

चिकित्सा ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार मढिया):

(क) ि ा ाु रोग एवं क्षय रोग तथा छाती रोग के लिए अलग वार्ड अक्तूबर 1974 से ही कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) वि ोश मुरम्मत का कार्य चल रहा है और जून 1997 तक पूरा होने की संभावना है। इसी बीच इन वार्डों को मुख्य भवन में बदला गया है जहां वे कार्य कर रहे हैं।

Construction of Grain Market

***437. Sh. Ram Phal Kundu:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-the time by which the construction work of new Grain market, Safidon is likely to be started/completed ?

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): नई अनाज मण्डी की चारदीवारी बन चुकी है। नई अनाज मण्डी सफीदों में अन्य विकास कार्यों की प्र ाासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मण्डी बोर्ड के विचाराधीन है और प्र ाासकीय स्वीकृति प्रदान होने के बाद इन विकास कार्यों को पूरा करने में लगभग दो वर्शों का समय लगेगा।

Fifth Pay Commission Report

***402. Sh. Ram Pal Marja:** Will the Minister for Finance be pleased to state-whether the State Govt. has received a copy of the 5th pay Commission Report set up by the Central Govt; if so, the details thereof together with the time by which the said Report is likely to be implemented by the State ?

वित्त मंत्री (श्री चरण दास): जी नहीं, अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित पांचवें वेतन आयोग की सिफारि ा राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

Rate of Sugarcane

***394. Sh. Jai Singh Rana:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-whether the Govt. is aware of the fact that the rate fixed by the Govt. for supplying sugarcane to the Sugar Mills is not being paid to the cane growers in the State ?

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): राज्य में चालू सभी 13 चीनी मिलें चालू पिराई सीजन के दौरान खरीदे गए गन्ने का हरियाणा राज्य गन्ना नियन्त्रण बोर्ड द्वारा सुझाया गया मूल्य देने के लिए सहमत हो गई है।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Shortage of Electricity

***32. Sh. Dev Raj Dewan:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of electricity in the State at present;

(b) if so, the steps so far taken or proposed to be taken to over-come the said shortage; and

(c) the time by which the 220 KV Grid Sub Station at Sonepat is likely to be commissioned.

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल):

(क) भारद ऋतु में वर्शा न होने के परिणामस्वरूप कृशि क्षेत्र की बिजली की मांग बढ रही है। वर्तमान समय में एक दिन में लगभग 60–70 लाख यूनिट बिजली की कमी का अनुभव किया जा रहा है। फरवरी 1996 में 316 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन प्राप्ति की तुलना में फरवरी 1997 के दौरान राज्य में औसतन 306 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन प्राप्त की है। क्षेत्र के सभी बिजली बोर्डों

द्वारा बिजली की बढी मांग के कारण ग्रिड पर सभी की पूर्ण मांग पूरा करने के लिए अतिरिक्त बिजली उपलब्ध नहीं है।

(ख) हरियाणा बिजली बोर्ड ने राज्य में कृशि क्षेत्र को 6 से 8 घंटे बिजली आपूर्ति सुनि ि चत करने के लिए उद्योगों तथा अन्य उपभोक्ताओं पर भारी बिजली कटौती लगाकर बिजली उपलब्धि को नियमित करने के लिए तात्कालिक उपाय किए हैं। विभिन्न स्रोतों से बिजली क्रय करके बिजली आपूर्ति की भरपाई करने के प्रयत्न भी किए गए हैं। जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 1997 में प्राप्त औसतन 285 लाख यूनिट बिजली की अपेक्षा दिनांक 7.3.1997 से प्रतिदिन 340 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध है। मध्यकालीन उपायों के रूप में बोर्ड अपनी निजी बिजली उत्पादन क्षमता को बढाने की योजना भी बना रहा है।

(ग) 220 के0वी0 उपमण्डल सोनीपत मैं कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य वर्श 1998–99 के दौरान पूरा होना सम्भावित है।

श्री सत नारायण लाठरः अध्यक्ष महोदय, कल मेरे एक अजीज साथ श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला बडे अच्छे ढंग से किसानों की बातें बता रहे थे लेकिन जब इनकी सरकार होती है तो ये किसानों की सारी बातें भूल जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी भजन लाल जी का राज था उस समय निसिंग में किसानों को मारा गया, टोहाना में किसानों का कत्ल हुआ, नारनौंद में किसानों का कत्ल किया गया, कादमां में किसानों को सरेआम

गोलियों से मारा गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार होती है तब रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाल, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी के साथ मिलकर चौधरी भजन लाल जी के खिलाफ हो जाते हैं और अब ये ऐसी बातें करते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, निसिंग की फायरिंग के बाद मैं और सुरजेवाला जी सबसे पहले एक राजनैतिक दल के रूप में वहां गये थे और हमने उस फायरिंग को कंडैम भी किया था।

श्री सतनारायण लाठरः अध्यक्ष महोदय, जब इनके राज में कोई किसानों की बात आती है तो ये किसानों पर गोलियां चलवाते हैं। जबकि आज मेरे अजीज साथी किसानों की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज किसानों की बातें करते हैं जो कभी खेत में गये नहीं। जिन्होंने कभी खेत का ढेला नहीं देखा और उनके खानदान तक को नहीं पता कि किसान क्या होता है ? अगर मेरे जैसा किसान का बेटा ऐसी बात करे तब तो ठीक है या अगर चौधरी बंसी लाल जैसा आदमी जिन्होंने खुद खेत में हल चलाया है, ऐसी बातें करें तब भाोभा देता है। अध्यक्ष महोदय, ये किसानों से हमदर्दी दिखाने की कोि ा ा करते हैं। अगर किसानों के साथ इनकी हमदर्दी होती तो जो पहले इनके 60 विधायक होते थे, आज वे 60 विधायकों से घटकर सिर्फ 9 विधायक न होते। यह किसानों की ही, मजदूरों की ही न हमदर्दी का नतीजा है।

आज ये विकास की बात करते हैं कि चौधरी बंसी लाल जी विकास नहीं करवा रहे हैं लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर इस हरियाणा प्रदे ा में किसी ने विकास किया है तो वह बंसीलाल जी ने ही किया है। आज से 25 साल या 26 साल पहले जो भी विकास किया है उन्होंने ही किया है चाहे वह सडकों की बात हो। (विघ्न) यह सब बंसी लाल जी का ही विकास दिख रहा है।

डॉ0 वीरेन्द्र पाल अहलावतः स्पीकर सर, हमको भी जीरो ऑवर में बोलने का समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्षः आपको भी बोलने का समय दिया जाएगा। अभी लाठर जी को अपनी बात कह लेने दें।

श्री सतनारायण लाठरः स्पीकर सर, जितनी गुंडागर्दी, जितना भ्रश्टाचार चौधरी भजन लाल जी के राज में था उतना कभी नहीं हुआ। इतिहास इस बात का गवाह है कि एक नवम्बर 1966 से जब से हरियाणा बना है इतना भ्रश्टाचार एंव गुंडागर्दी कभी नहीं हुई जितनी भजन लाल जी के समय में हुई है। जबकि ये आज गुंडागर्दी की बात करते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगौं को बताना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप सभी बैठिए। Let him complete. मैंने पहले ही आपको एक आ वासन दिया है कि आप जितना भी

बोलेंगे, मैं आपको टाईम दूंगा। अभी आप बैठिए। Please have patience. Mr. Lather, please complete within a minute.

श्री सतनारायण लाठरः अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवानः अध्यक्ष महोदय, अब आप इनकेक विहेवियर को देख ही रहे हैं। अभी कुछ देर पहले तो ये पटटी बांध रहे थे जिस पर लिखा था कि बोलना घातक है लेकिन अब ये किस तरह से बोल रहे हैं। ये अब प्रेस को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

सदन के चार सदस्यों के निलंबन पर पुर्नविचार करने संबंधी मामला उठाना

श्री अ ाोक कुमारः अध्यक्ष महोदय, पिछले चार दिन से इस महान सदन के अंदर हमारे विपक्ष के लीडर चौधरी ओम प्रका ा चौटाला जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री धीरपाल सिंह, साथी रमे ा खटक व कांग्रेस पार्टी के चौधरी भजन लाल जी को सदन की भोश अवधि के लिए निकाला गया। कल भी हमारी पार्टी के साथी श्री रामपाल माजरा और श्री बलवंत सिंह मायना ने आपसे और सदन के नेता से अपील की थी कि अगर विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने नहीं बैठा होगा तो फिर सदन के कोई मायने नहीं रहते, सदन की गरिमा नहीं रहती। सरकार कुछ कहे उसको कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई जवाब देने वाला नहीं होता। आज

इसके विरोध स्वरूप हमने अपने मुंह पर पटटी बांधी ताकि सरकार को पता लगे कि विपक्ष के क्या मायने होते हैं और उसका नतीजा आपने आज देखा कि विपक्ष की ओर से कोई बोलने वाला नहीं था तो सत्ता पक्ष की ओर से भी केवल दो सदस्यों ने सवाल पूछे। कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। (विघ्न) जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि विपक्ष को गालियां देनी आती हैं गालियां सुननी नहीं आती तो आज तो हम आपको सुन रहे हैं। (विघ्न)

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि गालियां देते हैं और जवाब सुनना नहीं जानते।

श्री अ ाोक कुमारः गालियां कहा था।

श्री अध्यक्षः अ ाोक कुमार जी, आप बहुत बढिया बोलते हैं आप कंट्रोवर्सी को अवाइड करें।

श्री अ ाोक कुमारः अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन में हुआ है इस तरह से कहीं नहीं हुआ। लोकसभा में 13 दिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद को चलने नहीं दिया लेकिन 13 दिन में किसी भी संसद सदस्य को सदन से निकाला नहीं गया। जैसे आज कई महत्वपूर्ण बिल आए हैं जैसे लोकपाल बिल है, और बिल हैं उन पर विपक्ष सामने बैठ कर चर्चा नहीं करेगा तो कोई मायना नहीं होगा इसलिए मेरा आपसे व सदन के

नेता से अनुरोध है कि जिन सदस्यों को निलंबित किया है उन्हें वापस बुलाया जाए।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री अ ाोक जी ने जो आपसे अनुरोध किया है उससे कम से कम you can draw inference that the Leader of the Opposition, the member and the leader of the Congress Legislature Party, who have been suspended from the rest of the session want to participate in the Legislative business of this August House. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा, अगर इनकी बात की सही इन्टरप्रिटे ान की जाए कि ये बोल कर चले जाते हैं और इनकी बात सुनने के लिए नहीं रूकते हैं तो मुख्य मंत्री जी भी चाहते हैं कि विपक्ष यहां बैठकर इनकी बात सुने। दलाल साहब आप पढे लिखे आदमी हैं। हरद्वारी लाल जी ने आपको एम0बी0ए0 में ऐडमि ान दिलवाया। दूसरा तो भाायद ही कोई इस हाउस मैं एम0बी0ए0 पास हो आप कम से कम उस डिग्री की तो भार्म रखो। आप कम से कम इतना जरूर करो कि आंध्र प्रदे ा में हैदराबाद में विधान सभा का सत्र चल रहा है वहां जो कांग्रेस विपक्ष में बैठती है सारी की सारी कांग्रेस को रैस्ट आफ दि सिटिंग (विघ्न) के लिए निकाला है।

श्री बंसी लालः हमने सारे नहीं निकाले हमने तो पढे लिखे आदमी रख रखे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और पार्लियामैंटरी अफेयर्ज से प्रार्थना करूंगा और बंसी लाल जी तो इस बात को मान ही जायेंगे क्योंकि ये लीडर ऑफ दि हाउस हैं कि the hon'ble members, who are interested to participate in the Legislative work of the Vidhan Sabha their suspension must be revoked. (Interruptions). स्पीकर महोदय, मेरा आपसे तथा सारे सदन से अनुरोध है कि उन आनरेबल मैम्बर्ज को इस सदन की कार्यवाही मैं भाामिल किया जाये क्योंकि लोकपाल विधेयक के बारे में विचार होना है जिसका दूरगामी असर पडेगा। यह विधेयक सारे राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए लाया गया है। इसलिए मैं दोबारा आपसे गुजारि ा करूंगा और जैसा कि हमारे आनरेबल मैम्बर श्री अ ाोक कुमार ने कहा उस पर विचार करें और उन आनरेबल मैम्बर्ज का सस्पैं ान रिवोक करें।

श्री भागीरामः अध्यक्ष महोदय, 3–4 दिन से हमें ऐसी घटना देखने को मिली कि हमारे ओपोजी ान पार्टी के चौधरी ओमप्रका ा चौटाला, चौधरी धीरपाल सिंह, खटक साहब और कांग्रेस के चौधरी भजन लाल जी को इस सदन की भोश अवधि तक इस हाउस से सस्पैंड कर दिया और अध्यक्ष महोदय, कल आपने हमारी पार्टी के श्री कृश्ण लाल पंवार को भी नेम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हम चेयर की बडी कद्र करते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मेरी आपसे विनती है कि मैंने सस्पैंड नहीं किया हाउस ने किया है। (विघ्न)

श्री भागीरामः नेम तो आपने ही किया।

श्री अध्यक्षः हो नेम मैंने ही किया था। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादवः नेत तो आपने ही किया वह भी सदन के सम्मानित सदस्य हैं।

श्री अध्यक्षः कप्तान साहब, आप तो बैठे रहें आप तीसरी बार चुनकर आये हैं। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो नेम करने की बात कही है कि वह भी सदन के सम्मानित सदस्य हैं।

श्री भागी रामः हम यह मान सकते हैं कि ऐसी परम्परा रहती है। परन्तु जब दलाल साहब रैजोल्यू ान पढ रहे थे तो उस रैजोल्यू ान की फोटोस्टेट कापी आपके हाथ में भी थी। दलाल साहब उस रैजोल्यू ान को पढ कर बैठे भी नहीं थे कि आपने झट से उन मैम्बर्ज को नेम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, 1977 से आज तक कभी किसी सदस्य को हमने ऐसे नेम और सस्पैंड होते नहीं देखा। मैम्बर एक बार बाहर जाते हैं और 10 मिनट या आधा घंटा में दोबारा हाउस में बुला लिये जाते हैं। लेकिन बडे दुःख के साथ कहना पडता है कि कृश्ण पाल को आपने नेम ही किया। आपने नेम करते ही मा र्ल की तरफ इ ाारा किया। अध्यक्ष

महोदय, हम कुर्सी की बडी कदर करते हैं। लाखों लोगों ने हमें चुनकर भेजा है। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, ये बार बार चेयर पर ऐसप र्न कास्ट करते हैं। इन्होंने कोई बात नहीं करनी वही रवैया रखना है जो पिछले सै ान में और इस सै ान में रखा है। अब ये वाक आउट करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। मेरा आपसे प्रार्थना है कि सदन की कार्यवाही चालू की जाये (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: भागीराम जी आप अपनी बात पूरी करिये।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, आपके मुंह से जब "नेम" भाब्द निकला तो उसी समय आपने मा र्ल की तरफ इ ाारा किया कि इनको बाहर निकालो। इस बारे में क्या पता है कि पहले से कोई प्लानिंग बना रखी हो। आपके मुंह से "नेम" भाब्द निकलने की देर थी, पुलिस को आदमी हाउस के अंदर कूद कूद कर आ गए थे। (ाोर)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात बिल्कुल निराधार है। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। (ाोर)

डॉ0 वीरेन्द्र पाल अहलावत: अध्यक्ष महोदय, पुलिस के आदमी कूद कूदकर अंदर आ गये थे (ाोर)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप सभी बैठ जाईये। (ाोर) डॉ0 वीरेन्द्र पाल जी आप तो बहुत पढे लिखे आदमी हैं। आपको इतनी

असत्य बात नहीं कहनी चाहिए कि पुलिस के आदमी कूद कूदकर अंदर आ गए थे। (ाोर)

वाक आउट

डॉ0 विरेन्द्र पाल अहलावतः अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं कि वे कूद कूदकर हाउस के अंदर आ गए थे। (ाोर) अध्यक्ष महोदय, अभी भून्य काल चल रहा है और आप हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित समता पार्टी के सभी सदस्य वाक आउट कर गये।)

बिल्ज–

(1) दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996

Mr. Speaker: Now the Chief Minister will move that the Haryana Lokpal Bill, 1996, as reported by the Select Committee, be taken into consideration at once.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Speaker, Sir, our Government has taken bold initiative for establishment of the institution of the Lokpal to bring about greater accountability and responsiveness on the part of highly placed functionaries. Widespread corruption, inefficiency and unresponsiveness on the part of important public servants is a malady which has affected our society very badly. In a democratice polity like

ours, there cannot be two opinions that every action by all the public servants should be taken only in furtherance of the priniciples enshrined in the Constitution of India and for the welfare of the common masses.

In order to ensure highest standard of efficiency and integrity in the public service and for making administration responsive to the people, our Govt. proposed to enact the Haryana Lokpal Act, 1977. Several other States of the country have already established this institution.

Therefore, I beg to move-

That the Haryana Lokpal Bill, 1996, as resported by the Select Committee, be taken into consideration at once.

(At this stage several members rose to speak)

Mr. Speaker: I request all the members to take their seats. I also request them to have patience.

Sh. Birender Singh: Sir, I wanted to say something during zero hour.

Mr. Speaker: Please take your seat. Zero hour is over.

Sh. Birender Singh: Sir, please listen to me. I have given a notice of adjournment motion and I want to know the fate of my that adjournment motion.

Mr. Speaker: Birender Singh ji, please take your seat. That adjournment motion is under consideration.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Lokpal Bill, 1996, as resported by the Select Committee, be taken into consideration at once.

स्थगन प्रस्ताव की सूचना

डॉ0 वीरेन्द्र पाल अहलावतः अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दि अपोजी ान और दूसरे माननीय सदस्य रैस्ट ऑफ दि सै ान के लिए सस्पैंड कर दिये गये हम उनको वापिस बुलाने के लिए आपसे रिक्वैस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप हमें बोलने के लिए समय ही नहीं दे रहे हैं। (ाोर)

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, आप बैठ जाएं। लोक पाल बिल एक अहम बिल है और यह मूव हो चुका है इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो माननीय सदस्य इस बिल के बारे में बोलना चाहें वह इस बिल पर बोल सकते हैं। You are all invited to speak.

आवाजें: हम आपसे सस्पैंड किए गए सदस्यों को हाउस में बुलाने के लिए रिक्वैस्ट कर रहे हैं। आप उन्हें हाउस में आने की इजाजत दें। (ाोर)

Mr. Speaker: Please take your seat.

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैंने आपके सचिवालय में एक काम रोको प्रस्ताव दिया है।

Mr. Speaker: That is under consideration. पहले आप इस लोकपाल बिल पर बोलें।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों को भारत के प्रधान मंत्री ने बुलाय है। आज पंजाब और हरियाणा का किसान 415 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भारत सरकार की किसी भी ऐजेंसी को अपना गेहूं नहीं बेचेगा।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं इनको इसका जवाब दे देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को बताना चाहूंगा कि मैंने प्रधान मंत्री जी को इस बारे में एक लैटर लिखा है। इसके साथ मैं यह भी बतान चाहूंगा कि परसों कैबिनेट सैक्रेटरी ने पंजाब और हरियाणा के चीफ सैक्रेट्रीज को बुलाया था। मैंने प्रधान मंत्री जी को जो पत्र लिखा है उसमें हमने यह मांग की है कि अगर आपने गेहूं का भाव 550 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नहीं किया तो किसान मंडियों में अपनी गेहूं नहीं लाएंगे क्योंकि जो व्यापारी लोग हैं वे उनके खेतों में खडी गेहूं को खरीदेंगे और महंगे भाव में बेचेंगे। मंडियों में किसान 415 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान अपनी गेहूं नहीं बेचना चाहेंगे इसलिए आप गेहूं का भाव 550 रूपये प्रति क्विंटल का करें। अध्यक्ष महोदय, अखबारों में यह छपा है कि पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्ज से प्रधान मंत्री जी बात करेंगे लेकिन अभी तक हमारे पास इस बारे में उनकी तरफ से कोई इनवीटे ान नहीं आया है। उनकी तरफ से इनवीटे ान आते ही हम वहां जाएंगे। आज फाइनैंस मिनिस्टर चिदम्बरम जी ने जो स्टेटमैंट दी है कि हम इसी भाव को कायम रखने के लिए गेहूं

इम्पोर्ट करेंगे। मैं समझता हूं कि उनकी यह स्टेटमैंट बडी अनफार्चूनेट है। अगर वे दूसरी कंट्रीज से गेहूं लाते हैं तो वह रूपया समुद्र में जाएगा और हमारी फारने एक्सचेंज जाएगी। यदि वह पैसा हमारे किसानों को देंगे तो वह पैसा हमारे दे ा में ही रहेगा इसलिए हमारे किसानों को यह पैसा मिलना चाहिए तो हम इस चीज पर फर्म है। हम इस चीज से पीछ नहीं हटेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंहः इसीलिए स्पीकर साहब, मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है। इस दे ा का अरबों रूपया दूसरी कंट्रीज में चला जाएगा। केन्द्र के वित्त मंत्री ने यह थ्रैट किया है कि इसी भाव को मेनटेन करने के लिए हम गेहूं आयात करेंगे। स्पीकर सहब, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जब वहां पर बात करने के लिए जाएंगे, उससे पहले सारे हाउस को कांफीडैंस में लेकर जाएं। ये वहां पर गेहूं के भाव के बारे में किसानों के हितों पर विस्तार से चर्चा करें।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं अपोजी ान के लीडर्ज से भी इस बारे में बात कर लूंगा और जो ये कहेंगे वही बात मैं मान लूंगा क्योंकि किसानों के भले में ये भी हैं और हम भी हैं। (थम्पिंग) अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार गेहूं इम्पोर्ट करने के लिए बाहर की कंट्रीज को जो पैसा देगी वह पैसा हमारे किसानों को मिलना चाहिए ताकि वह पैसा हमारे काम आए। यदि बाहर की कंट्रीज को वह पैसा जाएगा तो वह समुद्र में जाएगा। जहां से भारत सरकार गेहूं मांग रही है उस दे ा से वह गेहूं

सस्ता नहीं पडेगा। भारत सरकार जो फारेन एक्सचेंज खर्च करना चाहती है वह हमारे किसानों को सबसिडी दे दे।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया से सवा पांच सौ रूपये क्विंटल के हिसाब से गेहूं मांग रही है जबकि यहां के किसान से 415 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लेना चाहती है। इससे बडी ज्यादती किसानों के साथ और क्या हो सकती है ?

श्री अध्यक्षः बीरेन्द्र सिंह जी आपका एडजर्नमैंट मो ान मेरे पास 9 बजे आया है तथा that is under consideration. The Chief Minister has assured the House about it.

Sh. Birender Singh: That is right, Sir. But I want to know whether this would be considered finally tomorrow.

Mr. Speaker: I cann't say. This is under consideration.

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं कि यह ऐडजर्नमैंट मो ान बनता नहीं क्योंकि यह भारत सरकार और पंजाब सरकार के बीच की बात है। मैं सदन को यह आ वासन देता हूं कि इस बारे में मैं अपोजी ान से बात करूंगा और बादल साहब से भी बात करूंगा। हम किसानों के हकों की पूरी रक्षा करेंगे। हम हरियाणा और पंजाब के किसानों को लुटवाना नहीं चाहते। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी पिछले दिनों एस0वाई0एल0 के मामले में, पानी के मामले में और चण्डीगढ के मामले में एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया और जिसका हम सभी ने समर्थनप किया उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे इस एडजर्नमैंट मो ान पर बहस हो ताकि मुख्यमंत्री जी को ऐम्पावर्ड करके, इनको भाक्ति देकर के हम भेजें इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा भाुरू की जाये।

श्री बंसी लालः वैसे हमने सारी बात क्लीयर कर दी। हम बहस के लिए तैयार हैं, इसमैं ऐतराज की कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने आपके सामने सारी स्थिति स्पश्ट कर दी है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंहः आप हमारी इस मो ान पर बहस करवा लें।

श्री अध्यक्षः देखिए, सदन के अन्दर लीडर आफ दी हाउस ने यह आ वासन दिया है कि वह इस मुददे पर विपक्ष के नेताओं से बातचीत करेंगे। (विघ्न)

डॉ0 वीरेन्द्र पाल अहलावतः अध्यक्ष महोदय, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप विपक्ष के नेता चौधरी ओम प्रका ा चौटाला, भजन लाल, धीरपाल जी व रमे ा खटक को बुला लें क्यौंकि आज बहुत महत्वपूर्ण बिल पर बहस होनी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गेहूं के मूल्य पर बातचीत के लिए सी0एम0 साहब ने कह दिया है कि वह इस पर अपोजी ान के नेताओं से

बातचीत करेंगे। इसके लिए उनको हाउस में बुलाने की बात नहीं है। I request you to have patience.

श्री जसविन्द्र सिंह संधुः अध्यक्ष महोदय, आप चौटाला साहब, भजन लाल जी, धीरपाल जी व रमे ा खटक को तो वापस बुला लें। (ाोर)

Mr.Speaker: Please take your seat. I warn you.

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी से कहना चाहता हूं कि हमने तो यमुना गंगा के किनारों को भाक्ति दे दी है। यू0पी0 में हमने अपनी भाक्ति दिखा दी है। जरा मेरी इनसे रिक्वैस्ट है कि ये कुछ ताकत सीताराम में भी पैदा करें। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः देखिए, इस लोकपाल विधेयक पर सबसे पहले मैं समता पार्टी के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यदि वे इस पर बोलना चाहते हैं तो बोलें। भागी राम जी आप बोलें।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप पहले भजन लाल, धीरपाल जी व चौटाला साहब व रमे ा खटक जी को तो वापस बुलायें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। (ाोर एवं विघ्न)

11.00 बजे।

श्री जसविन्द्र सिंह संधुः हमारी पार्टी के सीनियर नेता चौधरी धीरपाल सिंह जी चौथी बार विधायक बन कर आए हैं।

इसी प्रकार पूर्व मुख्य मंत्री भजन लाल जी तथा हमारी पार्टी के युवा विधायक श्री रमे ा खटक जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अपोजी ान नहीं होगी तो इस बिल पर चर्चा का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि चौधरी ओम प्रका ा जी चौटाला और दूसरे साथियों को हाउस में आने की इजाजत देने की कृपा करें, यह मेरी सबमि ान है। (विघ्न एवं भाोर)

श्री अध्यक्षः भागी राम जी, अगर आप इस बिल पर योजना चाहते हैं तो आप बोलिये मैं आपको बोलने का मौका देता हूं। (विघ्न) मैं सभी को बोलने का मौका दूंगा इसलिए आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं भाोर)

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह सबमि ान करना चाहूंगा कि अगर विपक्ष के नेता और दूसरे निलम्बित साथियों को हाउस में बुलाए बिना इस पर डिस्क ान करते हैं तो यह बिल्कुल अनडैमोक्रेटिक बात होगी और इस बिल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा।

Sh. Bansi Lal: We are not going to be dictated by them. (Interruptions) Let me assure that we are not going to be dictated by them.

Mr. Speaker: No Interruptions please. Take your seat please.

कैप्टन अजय सिंह यादवः जब तक निलम्बित लोगों को हाउस में बुलाया नहीं जाता मैं इस बिल पर बोलने का इच्छुक नहीं हूं। (विघ्न एवं भाोर)

श्री अध्यक्षः मैंने सबसे पहले समता पार्टी के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है लोकपाल बिल पर अगर वे बोलने के इच्छुक हैं तो बोलें। अगर वे इस पर बोलना नहीं चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे मैम्बर को बोलने के लिए कहूंगा। (विघ्न एवं भाोर)

वाक आउट

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि हमारी पार्टी के नेता तथा विपक्ष के नेता तथा अन्य निलम्बित सदस्यों को हाउस में इस बिल पर डिबेट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाए (विघ्न एवं भाोर) निलम्बित सदस्यों को हाउस में न बुलाने के विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं। (विघ्न एवं भाोर)

(इस समय भारतीय राश्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य वाक आउट कर गए।)

श्री बलवन्त सिंहः अध्यक्ष महोदय, अगर इस बिल पर बहस में हिस्सा लेने के लिए विपक्ष के नेता तथा दूसरे निलम्बित सदस्यों को हाउस में नहीं बुलाया जाता तो हम भी इसके विरोध में वाक आउट करते हैं। (विघ्न एवं भाोर)

(इस समय समता पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य वाक आउट कर गए।)

दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, लोक पाल की नियुक्ति का जो बिल लाया गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि इस बिल पर बहस प्रारम्भ करने से पहले लीडर ऑफ दि अपोजी ान तथा हमारी पार्टी के नेता तथा श्री धीरपाल सिंह जी को हाउस में बुलाया जाता क्योंकि वे बहुत ही सीनियर और वरिश्ठ नेता हैं। (विघ्न) वे बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं चौधरी भजन लाल करीब 12 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। लीडर ऑफ दि अपोजी ान अगर हाउस में न हों और इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो तो उसके कोई मायने नहीं रह जाते इसलिए उनकी भी मौजूदगी हाउस में होनी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर ऑफ दि हाउस से कहूंगा कि वे इस बारे में एक बार फिर से पुनर्विचार करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, जहां तकि इस बिल का संबंध है, आमतौर पर यह देखा गया है जो लोग पावर में होते हैं वे पावर के न ो मैं पूरे सिस्टम को स्पॉयल कर डालते हैं उन लोगों पर चैक रखने के लिए यह बिल लाया गया है। पहले जो लोग राजनीति में आया करते थे वे

सो ाल सर्विस के लिए राजनीति में आते थे। मैंने अपने ही घर में अपने पिता जी को भी देखा है उनके अन्दर प्रिंसिपल्ज की बातें थीं। हमने कभी भी नहीं देखा कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल्ज के साथ समझौता किया हो लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे लाग राजनीति में आने लगे जिनकी बैकग्राउंड क्रिमिनल रही है जिसकी वजह से समाज सेवा के रूप में इल्लीगल और क्रिमिनल माफिया राजनीति में आ गया है। यह आपने यू0पी0 के अन्दर भी देखा कि फूलन देवी जीत कर आई और दूसरे भी ऐसे सदस्य हैं जो सेडिड बैकग्राउंड के हैं। वे भी यहां पर आ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछली बार जब हाउस में ये लोक पाल बिल आया था तो इसे सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया गया था। उस वक्त लीडर ऑफ दि हाउस ने आ वासन दिया था कि इसका जो पीरियड होगा वह तब से होगा, जब से हरियाणा बना है लेकिन अब इसमें 20 साल का पीरियड रखा है।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, इसमें तो सब पार्टियों के मैम्बर्ज थे और जो उन्होंने हमें लिखकर भेजा है हमने उसे मान लिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने ये कहा था कि जब से हरियाणा बना था उस वक्त से आज तक के सभी लोगों को इसके दायरे में लिया जाएगा। लेकिन अब इसमें पिछले 20 वर्श के पीरियड को ही दायरे में लिया गया है।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब इस कमेटी में आपकी पार्टी के धर्मबीर गाबा भी थे, खु र्शीद अहमद भी आपकी पार्टी में ही हैं वे भी सिलैक्ट कमेटी में मैम्बर थे। यह तो यूनानिमस रिपोर्ट आई है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के रिकार्ड की बात कर रहा हूं जो लीडर ऑफ दि हाउस ने कहा था उस बारे में बता रहा हूं। इस बारे में चाहें तो लीडर ऑफ दि हाउस ही बता दें। आज जिस तरह से डिफैक ान करवाया जाता है। आप रोज समाचार पत्रों में पढते हैं। आज ये हालात हो गए हैं कि चाहे म्यूनिसिपल कौंसिल हो, एम0पी0 हो या एम0एल0ए0 हो उनकी खरीद फरोख्त होती है।

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब जो बात कह रहे हैं ऐसी बात कहने से पहले इनको अपनी अन्तरात्मा में झांकना चाहिए, उसको झखझोरना चाहिए इनके जो सुझाव हैं वह बहुत ही अच्छे हैं और हम सुझावों से सहमत भी हैं लेकिन जो यह भ्रश्टाचार भ्रारू हुआ वह इनकी पार्टी के नेता चौधरी भजन लाल ने किया। क्या इस बारे में बोलने से पहले इन्होंने अपनी अन्तरात्मा को झखझोरा था।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, ये जो बात कह रहे हैं उसका इससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने समता पार्टी

के दो मैम्बर्ज का डिफैक ान करवाया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये इस तरह से मुझे बीच में इन्टरवीन न करें।

श्री अध्यक्षः आप दोनों बैठ जाएं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि लोकपाल बिल बहुत ही अहम बिल है आप सब कंट्रोवि र्यल बातों में जाए बिना इस पर अपने विचार रखें। I request the Members to avoid any type of controversy in the discussion on this Bill.

ि ाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब हम लोकपाल बिल सदन में लाए थे तो उस वक्त चौधरी भजन लाल और ओम प्रका ा चौटाला भी सदन में थे। इसके अलावा सभी मैम्बर्ज ने यह कहा था कि इस बिल में सभी धाराएं विस्तृत नहीं है। हमने उनके कहने पर इसको डैफर कर दिया था और इस सदन की एक सिलैक्ट कमेटी बनाई। डिप्टी स्पीकर जी की अध्यक्षता में इसमें विपक्ष के मैम्बर्ज और रूलिंग पार्टी के मैम्बर्ज भाामिल थे। सबने मिलकर इस पर विचार किया। इसमें बहुत ही अच्छे पार्लियामैंटेरियन खु ार्शिद अहमद और धर्मबीर गाबा जी भी थे सब ने मिलकर इस बारे में विचार विम र्श किया है। यह विपक्ष पक्ष की बात नहीं है यहां पर लोकपाल विधेयक की सबने मांग की है। सभी पोलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने घोशणा पत्र मैं इसके बारे में दिया था और सभी विधायकों की मांग इस बारे में रही है। किसी एक पार्टी से संबंधित यह मामला नहीं है। यह सबकी सामूहिक मांग है कि पूरी राजनैतिक व्यवस्था

को ठीक किया जाए। इसलिए इस बिल पर चर्चा करते समय कोई कंट्रोवर्सी तो आती ही नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। जो हमारा राजनैतिक ढांचा है उसको कैसे भविश्य में सुव्यवस्थित किया जाए, कैसे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी लायी जाए ? इस बिल को लाने का मुख्य मकसद यही है। सभी पार्टीज की सहमति के बाद हम इस बिल को लेकर आए हैं।

श्री अध्यक्षः मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए उन सभी सदस्यों के नाम आपको पढ कर सुना देता हूं जो सिलैक्ट कमेटी में थे। सभी पार्टीज के मैंम्बर इस सिलैक्ट कमेटी में थे और इसमें किसी ने भी कोई डायसैंटिंग रिमार्क नहीं दिया है। इस कमेटी में मैम्बर थे– श्री फकीरचन्द्र अग्रवाल, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, श्री कर्ण सिंह दलाल, श्री कंवल सिंह, श्री हरमिन्द्र सिंह, श्री भाि ा पाल मेहता, श्री खु र्ीद अहमद, श्री बलवन्त सिंह मायना, श्री मनीराम, श्री चन्द्र मोहन, श्री हर्श कुमार, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री जसवन्त सिंह, श्री सतपाल सांगवान, श्री नरेन्द्र भार्मा एवं श्री कपूर चन्द्र। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्यौंकि उस सिलैक्ट कमेटी में सभी पार्टीज के मैम्बर्ज थे और सभी व्यक्तियों ने एक राय से इस बिल के बारे में कहा है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, इस बिल में एक कमी है जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। जो यह बिल हमारे सामने आया है– हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 as reported by the Select Committee. सर, बिल में सबसे महत्वपूर्ण उसके

आब्जैक्टस एंड रीजन होते हैं। that is missing. We cannot go into the depth of the Bill until and unless copy of the objects and reasons are provided to us. But there is no statement of objects and reasons in the original Bill.

श्री अध्यक्षः मैं आप सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह बिल पिछले सत्र में सभी माननीय सदस्यों को मिल गया था और उसमें आब्जैक्टस एंड रीजंस एवं अन्य सारी चीजें थीं। वह डैफर किया गया था। यह बिल पहले ही सबको दिया जा चुका है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मैंने आपकी बात तो मान ली लेकिन जब सिलैक्ट कमेटी ने इस बिल को रि–ड्राफ्ट कर दिया है तो उसमें अमैंडमैंटस होते हैं। जब तक आब्जैक्टस एंड रीजंस हमारे सामने नहीं होंगे। How we can speak on the Bill.

श्री अध्यक्षः सिलैक्ट कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उसने आब्जैक्टस एंड रीजंस नहीं दिए।

Mr. Speaker: We should get a full copy of the Bill otherwise there is no use.

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं एक सबमि ान करना चाहूंगा कि यह जो बिल है, उसमें जो सिलैक्ट कमेटी ने अमैंडमैंटस बताएं हैं, वहीं हैं। पहले भी यह बिल सब मैम्बर्ज को सर्कुलेट कर दिया गया था। बिल में आबजैक्टस एंड रीजंस दिए हुए हैं। मैं यह बिल बीरेन्द्र सिंह को पढ कर सुना सकता हूं। मैं

इनको स्टेटमैंट ऑफ औब्जैक्टस एंड रीजंस और फायनैंि ायल मैमोरेण्डा इन दोनों की एक एक फोटास्टैट कापी करवाकर भिजवा दूंगा। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बलवन्त सिंहः स्पीकर सर, मैं भी आपको इस बिल के बारे में जो सिलैक्ट कमेटी में अमैन्ड हुआ है जानकारी देना चाहूंगा। सर, दो बार पहले जब इस कमेटी की मीटिंग बुलायी गयी तो दोनों ही बार इसका कोरम पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद फिर इसमें और मैम्बर्ज नौमिनेट किए गए थे। जब तीसरी बार इसकी मीटिंग हुई तो इस बारे में चर्चा चली कि इस बिल का दायरा कब से रखना है। जब से हरियाणा बना है तब से इसको लागू किया जाए या फिर पिछले बीस साल से लागू किया जाए। उस समय मैंने कहा था कि इसको पिछले बीस साल से लागू करने की बात मेरी समझ में नहीं आयी। तब से लागू करने का इसका क्या फायदा है। तो मेरे एक साथी कहने लगे कि आप बहुत बाद में बोले नहीं तो यह बात तय हो जाती। इसके अलावा लोकपाल की नियुक्ति करने के बारे मैंने यह कहा था। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मायना साहब, जब आप इस पर बोलेंगे तब यह बातें आप कहना। आप बैठ जाइए। कमेटी में क्या डिस्कस होता है क्या नहीं होता है। that is not to be discussed in the House because Committee is a House in miniature.

विकास मंत्री (श्री कंवल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मंत्री बनने से पहले मैं भी सिलैक्ट कमेटी का सदस्य था। (विघ्न)

Mr. Speaker: Now there should be not discussion about the working of the Committee. The Committee is a house in miniature.

श्री कंवल सिंहः सम्मानित सदस्य बलवंत सिंह जी वहां बैठे थे और इन्होंने खुद कहा कि 20 साल रखो। (विघ्न) हमने यह कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भाुरू से कहा है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंहः कंवल सिंह जी, आप ऐसी बात न कहो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने यह नहीं कहा।

श्री कंवल सिंहः मैंने यह कहा था कि जब से हरियाणा बना है तब से मानो। उसके बाद इन्हौंने कैलकुले ान की और उसमें ये फंस गए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कमेटी की रिपोर्ट यूनैनिमसली होती है committee is a house in miniature.

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, इसमें सैक ान 3 के तहत, जो कि लोकपाल की अपौइन्मैंट के बारे में है, इसमें मेरा सुझाव है कि उस पर चर्चा में अपोजी ान भाामिल हो, लीडर ऑफ दि अपोजी ान भाामिल हो ओर पार्टी के जितने भी लीडर हैं उनको भी इसमें भाामिल रहना चाहिए। लोकपाल को नियुक्त किया जाता है तो अपोजी ान को भी उस कमेटी में रखा जाता है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि लोकपाल मल्टी मैम्बर होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि इलैक ान कमि नर के

मामले में भी अमैंडमैंट करके उसे मल्टी मैम्बर बनाया है। मैं चाहूंगा कि लोकपाल के मल्टी मैम्बर होने के बारे में भी सरकार विचार करे। अध्यक्ष महोदय, एक इसमें कलॉज दी हुई है। कि 'if he is connected with any political party, severe his connection with it' जो इस लोकपाल के अंदर व्यक्ति लिया जाए वह किसी भी पौलिटीकल पार्टी से नहीं होना चाहिए। ऐसा किया जाएगा तो वह व्यक्ति किसी एक विचारधारा का होगा तो एक विचारधारा का व्यक्ति होना चाहिए। सैक ान 6 के तहत इसमें 70 वर्श की एज का दे रखा है मेरा सुझाव है कि एज 68 साल होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें यह बात भी है कि उसको सैकेण्ड टर्म भी दिया जा सकता है तो मेरा सुझाव है सैकेण्ड टर्म नहीं दी जानी चाहिए। इसमें केवल एक टर्म दी जाए। सैकेण्ड टर्म का इसमें प्रौविजन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक इसमें ब्लाज 7(2) के तहत बात कही गई है–

'The procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misconduct or incapacity of the Lokpal under sub-section (1) shall be provided in the Judges (Inquiry) Act, 1968....."

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासनी हुए)

मिसकंडक्ट की बात लोकपाल के मामले में वि ोश महत्वपूर्ण है। लोकपाल के तहत बाकायदा यह होना चाहिये कि मिसकंडक्ट के मामले में क्या कार्यवाही की जाये। जब यह सिलैक्ट कमेटी बनाई गयी थी उनको यह देखना चाहिये था कि लोकपाल

की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है अगर उसमें मिसकंडक्ट है तो इसके बारे में जरूर इस बिल में कोई न कोई बात होनी चाहिए। दूसरा मैंने जैसा कि पहले बताया कि लोकपाल के तहत जब से हरियाणा बना है उसकी अवधि होनी चाहिए। क्लाज 10(2) में दिया हुआ है–

"(2) Every Complaint involving an allegation or grievance shall be made in such form, and in such manner and shall be accompanied by such affidavit as may be prescribed. However, the Lokpal may dispense with such affidavit in any approrpiate case."

उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले मैं कहना चाहूंगा कि अगर एफिडेविट के बगैर कोई चीज ली जायेगी तो यह आम बात बन जायेगी ओर कोई कार्यवाही नहीं हो पायेगी। एफिडेविट होना बहुत जरूरी है और यह मेनडेटरी होना चाहिये कि अगर यह एफिडेविट फाल्स पाया गया तो जिस व्यक्ति ने कंप्लैंट की है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी क्योंकि इस तरीके से राजनैतिक तौर से कोई भी व्यक्ति चिटठी लिखकर भेज देगा। दूसरा मैं क्लाज 10(4) के बारे में कहना चाहूंगा कि इसमें फाईन केवल दस हजार रूपये रखा है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और दूसरे लोग हैं कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ कंप्लेट दे दे और यह पता लग जाये कि यह फाल्स कंप्लेंट है तो फाईन दस हजार की बजाये कम से कम 25 हजार रूपये होना चाहिए और तीन साल की सजा की बजाये कम से कम पांच साल की सजा होनी

चाहिए। इसके अलावा क्लाज 12 में जो प्रोसीजन in respect of inquiry उसमें यह सुझाव है कि इंक्वायरी कैमरे में नहीं होनी चाहिए। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो भी लोकपाल की इंक्वायरी हो वह बाकायदा पब्लि ा होनी चाहिए तथा लोकपाल की रिपोर्ट को गवर्नर महोदय के पास न देकर हाउस के अन्दर रखना चाहिये क्योंकि गवर्नर महोदय के पास न तो लोकपाल है और कई बार गवर्नर रिपोर्ट को अपने पास रख लेते हैं। जो भी लोकपाल की रिपोर्ट हो उसे इन टोटो हाउस के सामने और पब्लिक के सामने रखना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 16(1) (a) में यह लिखा है कि–

"That no allegation or grievance has been sustantiated either wholly or partly, he shall close the case and intimate the competent authority concerned, accordingly."

अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ सीरियस कंप्लेंट करता है और सीरियस एलीगे ान है और वे बाद में फाल्स पाये जाते हैं तो उस कंप्लेंट को क्लोज करने की बात नहीं है उस पर ऐसा होना चाहिये कि जिस व्यक्ति की कोई गलत कंप्लेंट होती है और वह फाल्स पाई जाती है तो जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की है उसके खिलाफ मानहानि का दावा करने की बात होनी चाहिए। इसके अलावा अपॉइन्टमैंट ऑफ स्टाफ के बारे में लिखा है कि–

"The Lok Pal may appoint in consultation with the State Govt. such officers and staff, as he may consider appropriate for the discharge function under this Act."

कंसल्टे ान से हो जाये और सरकार लोकपाल को स्टाफ का पैनल दे दे लेकिन लोकपाल को स्टाफ का चयन करने में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये ताकि लोकपाल चौइस के पढे लिखे आदमियों को चुन सके। इसमें यह एक खास बात है। Now I would like to refer clause 20 of this bill in which it is mentioned-

"No suit, proscecution or other legal proceedings shall lie against the Lokpal or against any officer or employee, agency or person acting on his behalf in respect of anything which is in good faith or intended to be done under this Act."

उपाध्यक्ष महोदय, यह "गुड फेथ" वाली बात समझ में नहीं आई है। इस क्लाज के तहत जो कोई भी आदमी कंप्लेंट कर देगा तथा कह देगा कि "गुड फेथ" में की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बिल आप पास करने वाले हैं, इसमें जो खामियां मैंने बताई हैं, उनको दूर किया जाए। इस समय हमारे नेता चौधरी भजन लाल जी तथा विपक्ष के नेता हाउस में मौजूद नहीं हैं और भी कई सदस्य मौजूद नहीं हैं। इसलिए जितने भी सदस्य इस समय हाउस में नहीं हैं, उनका इस समय उपस्थित होना बहुत जरूरी थी। यह बिल बहुत ही अच्छा बिल है क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि पिछली सरकारों के समय में जब से यह दे ा बना है, किसी भी बात पर या किसी भी मुददे पर कोई ट्रांपेरेंसी नहीं होती थी, चाहे कोई टैंडर की बात हो। हर चीज को सीक्रेट रखा जाता था, फाइलों में बंद करके रखा

जाता था। कहीं पर भी अकांउटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इसलिए यह जो लोकपाल बिल लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि इस बिल को एक अस्त्र न बनाया जाए तथा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इसको इस्तेमाल न किया जाए। इसको बाकायदा इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि पब्लिक लाईफ के अंदर हमारे जो लोग हैं, उनकी छवि बिल्कुल साफ रहे तथा इससे उनके ऊपर ऐ प्रै ार बना रहे। इस लोक पाल बिल से राजनीतिक लोगों के एक डर बनेगा जो कि आज के समय में खत्म होता जा रहा है। ये लोग आज अपने कर्त्तव्यों को भूले बैठे हैं तथा मनमाने तौर पर कार्य कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आई0ए0एस0 तथा आई0पी0एस0 अधिकारीगण जिनके बारे में पब्लिक सर्वेंट की परिभाशा दी गई है, के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है जो कि होना चाहिए था।

श्री बंसी लालः इस बारे मैं इस बिल में जिक्र किया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं भाब्दों एवं सुझावों के साथ मैं इस लोकपाल बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सदन के नेता चौधरी बंसी लाल जी ने जो हरियाणा लोकपाल बिल इंट्रोडयूज किया है, मैं उसके समर्थन मैं बोलने के

लिए खडा हुआ हूं। मुख्यमंत्री जी को मैं सारे सदन की तरफ से इस साहसिक कार्य के लिए बधाई देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बात कानून और व्यवस्था की है और कानून व्यवस्था से जुडे हुए मामले अगर इस सदन के सम्मानित सदस्यों के पास किसी तरफ से आएंगे तो उनका उल्लेख किया जाना जरूरी है। मैंने वह उल्लेख किया है जिसकी दरखास्त मेरे पास आई है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात आपके समक्ष कही है। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हैं इसमें कोई दोशी है या नहीं, यह अलग बात है लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो प्रदे ा की जनता को इंसाफ कहां से मिल पाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से गन्नौर के उप मण्डल राजलू गढी में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया और अपनी इज्जत के साथ खिलवाड का सदमा वह बर्दा त न कर सकी। अगले दिन अपने ऊपर मिटटी का तेल छिडक कर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। निरंतर बिगड रही कानून व्यवस्था की क्या मिसाल दूं कि गुडगांव की दूसरी कक्षा में पढने वाली लडकी के साथ बलात्कार किया गया और इतना कृत्य करने के बाद 11 वर्शीय रिंकु की हत्या कर दी गई। दिसंबर 1996 में हथीन के समीपवर्ती गांव की हरवती का अपहरण और उसके साथ असामाजिक तत्वों ने बलात्कार किया। इसी उप मंडल के पहाडी रावत की अव्यस्क युवती का अपहरण कर लिया गया और उस हरिजन युवती के साथ बलात्कार किया गया। मां अपनी बेटी से दुश्कर्म को बर्दा त नहीं कर सकी और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसी प्रकार से हिसार

जिले के आदमपुर में किसी लडकी के नग्न चित्र खींचकर उसको ब्लैकमेल किया गया। उसके यौवन का भाोशण किया जा रहा था और यह मामला आदमपुर मंडी के श्री मदन लाल महाजन की ि ाकायत पर दर्ज किया गया। जब से हविपा/भाजपा गठबन्धन की सरकार ने राज्य में सत्ता को संभाला है इस प्रदे ा में तीन माह के अन्दर चार बम विस्फोट हो चुके हैं। अभी गृह मंत्री महोदय ने बताया कि एक बम विस्फोट में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है लेकिन तीन ऐसे बम विस्फोट हुए हैं, एक पानीपत, एक सोनीपत और एक रोहतक में उनका अभी कोई पता नहीं चल पाया है। उपाध्यक्ष महोदय, जगाधरी में रेलवे कर्मचारियोंय की सूझबूझ से एक भाक्ति ााली बम विस्फोट होते होते टल गया क्योंकि उसको पहले ही ट्रेस आऊट कर लिया गया वरना एक भयानक दुर्घटना घट सकती थी। आज सारे प्रदे ा में एक अराजकता का माहौल बना हुआ है दिसम्बर 1996 में अम्बाला में स्टे ान पर जेहलम एक्सप्रैस में एक भाक्ति ााली बम विस्फोट हुआ। कुछ दिन पहले झज्जर तहसील में डावलागर गांव में दो लडकों का अपहरण हो गया उनके मां बाप रोते बिलखते फिर रहे हैं लेकिन उन बच्चों का कोई पता नहीं है। (विघ्न) यह झज्जर कांस्टीच्युएंसी में पडता है और कांता जी को सब पता है। यकीनन प्रदे ा में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। मेरे से पूर्व श्री विज ने बताया कि प्रदे ा में कानून व्यवस्था की स्थिति में इसलिए सुधार हुआ है क्योंकि इस प्रदे ा में भाराब का सेवन मुकम्मल तौर पर बन्द कर दिया है। हमने पिछले अधिवे ान में भी

कहा था और इस बात को फिर दोहराते हैं कि हम भाराबबंदी के पक्षधर हैं। लेकिन सरकार भाराब बंदी करने में मुकम्मल तौर पर विफल रही है। हरियाणा प्रदे ा के गृह मंत्री श्री मनीराम गोदारा जी ने पिछले अधिवे ान में एक बात कही थी कि भाराबबंदी करके हमने हरियाणा के लोगौं को तीन हजार करोड रूपया बचाया है क्योंकि यह पैसा लोग भाराब पर खर्च करते थे और अब उनको भाराब नहीं मिलेगी। लेकिन भाराब की तस्करी में 15 हजार करोड रूपया लोगों की जेब से निकलता है। आज हर गली में भाराब की तस्करी हो रही है और यह तस्करी सत्ता में बने हुए लोगों की वजह से हो रही है। आज पुलिस बेबस है। एक पुलिस कप्तान ने लिखित रूप में ि ाकायत चीफ सैक्रेटरी महोदय को की थी कि आज भाराब बंदी में पुलिस बेबस है क्योंकि आज भाराब के तस्करों के पास सौफिसिटकेटिड हथियार हैं सेलुलर फोन हैं और उन तस्करों की संख्या पुलिस से कहीं अधिक होती है। जब पुलिस उनको पकडने की कोि ा ा करती है तो वे पुलिस पर जानलेवा हमला करते हैं। जब चीफ सैक्रेटरी ने समन्वय समिति में इस बात को उठाया और डायरैक्टर जनरल ने इस मामले को लेकर बात की तो उन्हौंने भी इस बात की पुश्टि की कि वाकई ऐसा काम हो रहा है। आज सरकार ने पुलिस अधिकारियों को यह इंस्ट्रक ांज जारी कर रखी है कि पुलिस किसी भाराब के तस्कर को नहीं पकडेंगी बल्कि डी0सी0, एस0डी0एम0 या ई0टी0ओ0 ही उनको पकड सकते हैं या छापा मार सकते हैं। जब लोहारू के डी0ई0टी0ओ0 श्री भीश्म ने एक वैन को पकडा जिसमें पुलिस के

कुछ सिपाही भी थे तो उसके बाद सरकार ने और हिदायतें जारी कर दी कि अब डी0सी0 और ई0टी0सी0 उस आदमी पर छापा मारेंगे जिसके बारे में वजीर कहेंगे क्योंकि एक वजीर को दो दो जिलों का कार्यभार सौंप दिया है। अब उन वजीरों से उन आफिसरों को हिदायतें मिलती रहती है। वह सामने जो मंत्री जी बैठे हैं, वे एक अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक इंसान हैं लेकिन इनके घर में भी भाराब बिकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई अनर्गल प्रचार नहीं कर रहा हूं। (विघ्न) मैं हाऊस में जो कुछ भी कहूंगा, तथ्यों पर आधिरित बात ही कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी 15 तारीख को एक वकील के घर पार्टी थी और दूसरे वकील भाईयों ने उस अवसर पर कहा कि भाराब भी होनी चाहिए। उनको यह कहा गया कि भाराब की तो बंदी है। इस पर एक भाई ने कहा कि भाराब तो जरूर बंद है लेकिन मंत्री महोदय के घर से भाराब जरूर मिल सकती है। लोगों ने कहा कि ठीक है ले आओ। (विघ्न) पहले मेरी बात सुन लीजिए उसके बाद आप कह लीजिए। इस पर एक लडका मोटर गाडी में बैठ कर जाने को तैयार हो गया लेकिन उसने यह कहा कि मेरे साथ एक और लडका साथ में बैठ जाये, जिससे किसी को भाक न हो। पिछले महीने की 15 तारीख को उस लडके ने श्री गणे ाी लाल जी के घर से पीटर स्कॉच की दो बोतल भाराब लाकर दी है। इसी प्रकार से आज ये हालात हैं। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज सारा सदन यहां पर बैठा हुआ है और वह दिन भी आपको याद होगा जब हम और आप विपक्ष में एक साथ बैठा करते थे। उस समय

आदरणीय ओम प्रका ा चौटाला भी सदन में सदस्य थे। इनकी गुमराह करने की कोई नई आदत नहीं है। पिछले विधान सभा सत्र के दौरान जब इनके ऊपर घडियों की तस्करी की बात दोहराई गई थी तो वे सदन को गुमराह करने की कोि ा ा की थी। उन दिनों श्री जगदी ा नेहरा पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने सदन में जब तथ्य पे ा किए तो इन्होंने सदन को गुमराह किया था। ऐसी बात नहीं है, यह बात सारा प्रदे ा जानता है तथा सारा सदन जानता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपकी अध्यक्षता में पिछले दिनों से सदन कार्यवाही बहुत अच्छी तरह से चल रही है, सभी माननीय सदस्यों को आप बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए मेरी इनसे प्रार्थना है कि ये सदन को गुमराह करने की कोि ा ा न करें बल्कि सरकार की जो कमियां हैं, उनके बारे में सच्चाई पे ा करें। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं भाब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं तथा आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती करतार देवी (कलानौर, अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, आज यह बिल जो सदन के नेता सदन के सामने लेकर आए हैं इसी प्रकार का बिल हरियाणा प्रदे ा के अतिरिक्त हिमाचल प्रदे ा में तथा दे ा की दूसरी स्टेटस में भी लाया जा रहा है तथा ऐसा ही बिल पार्लियामैंट के सामने लाया जा रहा है।

इस प्रकार का बिल चाहे वह किसी भी स्टेट में या किसी भी कारण से लाया गया है। किसी भी राजनेता या किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह लोकपाल विधेयक का लाया जाना कोई खु ाी की बात नहीं हो सकती है यह हम सब की आत्मा को झिंझोडने वाली बात है। हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि सरकार इसको सख्ती से बंद करने के लिए कदम उठाए लेकिन भाराब बंद नहीं हो रही है। आजकल भाराब की तस्करी हो रही है और तस्करी भी बहुत बडे पैमाने पर हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज भाराब बंदी के मामले को लेकर 32000 मुकदमें दर्ज हुए हैं। सरकार ने उन मुकदमों का फैसला करेन के लिए 9 मैजिस्ट्रेट स्पे ान मुकर्रर किए। उनमें से दो मैजिस्ट्रेटस ने तो रिजाईन कर दिया। उन 32000 मुकदमों में से 9 महीने के अर्से में केवल 70 केसिज का फैसला हुआ है और वे भी ऐसे केसिज हैं जिन्होंने उनमें यह एडमिट किया है कि हां हमने ऐसा काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से यह सरकार काम चला पएगी। आज सारे प्रदे ा की हालत यह है कि आज सारे प्रान्त में भाराब बहुत ज्यादा बिक रही है और भाराब बिक ही नहीं रही बल्कि नाजायज भाराब भी काफी मात्रा में निकाली जा रही है। नकली भाराब निकालने के कारण अब से पहले हूच ट्रेजडी में 25 लोग मारे जा चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के डी0आई0जी0 (सी0आई0डी0) ने करनाल के सुपरिन्डैंट पुलिस को एक चिटठी लिखी कि फलां गांव में फलां डेरे में नकली भाराब की कसीद हुई है लेकिन वहां के एस0पी0 ने लिखकर कह दिया कि नहीं जहां

भाामली गांव में हूच ट्रेजडी से 8 आदमी मरे हैं जब उस बारे में छानबीन की गई तो उस वक्त वहां पर वहां का डी0सी0 और एस0पी0 मौजूद थे। जिस डेरे का मैंने जिक्र किया है उस डेरे के मालिक को जब लोगों के समक्ष पे ा किया गया तो उसने कहा कि हम भाराब निकालते हैं और हम करनाल के एस0पी0 को उसके लिए 60 हजार रूपए माहवार देते हैं। ऐसी हालत है और ऐसी हालत पूरे प्रदे ा में व्याप्त है। वह एस0पी0 वहां से चला गया या नहीं इस बात में मैं नहीं जाना चाहता। आज मुख्य मंत्री जी आपके अपने जिले के लोहारू बार्डर पर एक एस0पी0 इस बात के लिए तैनात किया हुआ है कि वह भाराब की तस्करी को रोके। उस एस0पी0 के पास केवल चार की गार्द है वह किस प्रकार से भाराब की तस्करी रोक पाएगा। जब लोगों का सरकारी संरक्षण प्राप्त होगा तो भाराब की तस्करी कैसे रूक पाएगी। अभी कुछ साथी कह रहे थे कि 85 परसैंट भाराब बंद है। मुख्य मंत्री जी की काबिना के एक वजीर हैं विनोद कुमार मढिया उनका अखबारों में बयान छपा कि हरियाणा प्रदे ा में 80 फीसदी भाराब तो बंद हो गई और 20 फीसदी भाराब उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन मुख्यमंत्री जी चाहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 20 फीसदी भाराब की तस्करी स्वयं मुख्य मंत्री जी करवा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत हैं। हम इस बात के पक्षधर हैं कि भाराब बंद हो। मुझे पूरा वि वास है कि हमारी इन छोटी छोटी अमैंडमैंटस को आप जरूर

स्वीकार करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धांतः कुछ अमैंडमैंटस के साथ हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

श्री रामपाल माजरा (पाई): उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि लोकहित के बहुत ही अहम मुददे पर आपने मुझे बोलने का समय दिया। सर, आज भ्रश्टाचार एक आम बात बन चुकी है और कोई भी प्रौजैक्ट या कोई प्लान भ्रश्टाचार के कारण आज पूरा ही नहीं हो पाता। पूरा होने से पहले ही उनमें गडबड हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब बाडी ही खेत को खाने लगे और जब दरिया के किनारे ही खुद पानी चूसने लग जाए तो क्या होगा ? मैंने यह कहा था कि हरियाणा प्रदे ा में 80 फीसदी भाराब बंद है और 20 फीसदी भाराब उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन इस बारे में हरियाणा प्रदे ा की जनता का पूरा सहयोग हमें मिलेगा। अखबार वाले कुछ भी लिखें। मैंने यह नहीं कहा था कि 20 फीसदी भाराब उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन मुख्य मंत्री जी चाहेंगे। मैंने हरियाणा में बूढी और खराब गऊंए काटे जाने के बारे में कोई बात नहीं कही। ये फिरोजपुर झिरका का जिक्र कर रहे हैं। इस बारे में नगीना में बात हुई थी और सूरजपा जी मंत्री जो बी0जे0पी0 के हैं वे भी मेरे साथ उस वक्त थे। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कहीं कि बूएी या नकारा गउंओं को काटा जाये। यह बात बिल्कुल निराधार है। घड घड करके ये बात कोई कहीं तो फिर इनकी बातों का खुदा ही जाने क्या होगा। अभी पिछले

दिनों रोहतक में उनकी एक सप्ताह कथा हुई। उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे दे ा में सुभाश और बापू गांधी का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा था लेकिन भाराब बंदी के लिए मैं हरियाणा की सरकार का अभिनन्दन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय साथी ने इल्जाम लगा दिया। मैं बताना चाहूंगा कि भाराब बंदी के लिए 54 गाडियां लगा रखी हैं। वहां पर न जाने कितने पुलिस के कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। मैं तो बताना चाहूंगा कि एक अन्डर वर्ल्ड का तस्कर यानि भाराब का माफिया गिरोह सक्रिय हो तो कितनी दिक्कत आती है, आप अन्दाजा लगा सकते हैं। हमने हजारों लोगों को पकडा है और उन पर मुकदमा डाला है। ये विनोद मढिया की भी स्टेटमैंट को तोड मरोड कर पे ा कर रहे हैं। इसी प्रकार से गणे ी लाल जी को भी इन्होंने जिक्र किया। अभी पिछले दिनों रोहतक में उनकी एक सप्ताह कथा हुई। उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे दे ा में सुभाश और बापू गांधी का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा था लेकिन भाराब बंदी के लिए मैं हरियाणा की सरकार का अभिनन्दन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक माननीय साथी ने श्री गणे ी लाल जी पर इल्जाम लगा दिया। मैं बताना चाहूंगा कि भाराब बंदी के लिए महेन्द्रगढ में 54 गाडियां लगा रखी हैं। वहां पर न जाने कितने पुलिस के कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। मैं तो बताना चाहूंगा कि एक अन्डर वर्ल्ड का तस्कर यानि भाराब का माफिया गिरोह सक्रिय हो तो कितनी दिक्कत आती है, आप अन्दाजा लगा सकते हैं। हमने हजारों लोगों को पकडा है और उन पर मुकदमा डाला है। ये

विनोद मढिया की भी स्टेटमैंट को तोड मरोड कर पे ा कर रहे हैं। इसी प्रकार से गणे ी लाल जी को भी इन्होंने जिक्र किया। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि चौधरी ओम प्रका ा चौटाल जी भाब्दों के कलाकार और बाजीगर हैं और मामले को टविस्ट करते हैं। विनोद मढिया इस सदन में बैठे हैं और ये उनके हवाले से कह रहे हैं कि वे मुख्य मंत्री की हवा में हैं। स्पीकर सर, यह अच्छी बात नहीं है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से चौटाला साहब से बडे अदब के साथ यह अर्ज करता हूं कि या तो वे किसी पर आरोप नहीं लगाएं और यदि वे कोई आरोप लगाते हैं तो उस पर टिकें भी। गणे ी लाल जी के बाबत जो बात उन्होंने यहां पर कही है उसके बारे में वह चाहे अपने किसी एम0एल0ए0 से ही जांच करवा लें। अगर उस आरोप में एक परसैंट भी सच्चाई हो तो आप सदन की एक कमेटी बना दैं, वह कमेटी जो भी अपना फैसला देकर सजा देगी हम वह भुगतने को तैयार हैं। इतने मन के साथ पूरे हरियाणा में हम चौधरी बंसी लाल जी के नेतृत्व में भाराब बंदी पर काम कर रहे हैं जिसकी सारे प्रदे ा की जनता में प्र ांसा हो रही है लेकिन वे इस प्रकार की बात कह रहे हैं। (विघ्न) आप जिस पर मेहरबान हो जाते हैं, आप उसको बहुत ज्यादा समय बोलने के लिए दे देते हैं। बात तो प्वायंट आफ आर्डर की होती है लेकिन भार्मा जी भाशण देने लग जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं लगता कि वे प्वायंट आफ आर्डर पर बोल रहे

हैं, भाशण दे रहे हैं या गवर्नर एड्रैस पर रिप्लाई दे रहे हैं। भााायद वे मुख्य मंत्री बनने का ख्वाब ले रहे हैं। रिप्लाई देने का काम चौधरी बंसी लाल का है इनको यह अवसर मिलने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी बंसी लाल जी से निवेदन करूंगा कि इस बिल को अमैंड करके पारित किया जाये। अन्यथा इस किस्से के बारे में हरियाणा प्रदे ा की जनता चौधरी बंसी लाल पर उंगलियां उठायेगी। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: सभी को रोटे ान में समय दैंगे। विपक्ष की तरफ से दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं अब सत्ता पक्ष के तरफ से बोलने दें। राजकुमार जी आप बोलिये।

श्री राज कुमार सैनी (नारायणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लोकपाल बिल पर बोलने का समय दिया इसके लिये आपका धन्यवाद। हमारे लोक नायक नेता के नेतृत्व में इस अहम बिल लोकपाल बिल 1996 पर इस सदन में चर्चा हो रही है। आज हमारी सरकार इस लोकपाल बिल पर चर्चा कराकर जहां भ्रश्टाचार को खत्म करना चाहती है वहीं पर पिछली सरकार के बहुत सारे साथी आज भ्रश्टाचार की चपेट में फंसे हुये हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। हमने जो प्रदे ा में बिजली के 18 प्रति ात लाईन लौसिज थे उनको कम करने के लिए यह निजीकरण की बात की है। विपक्ष के नेता भूल गये कि इनके समय में लाईन लौसिज 26 प्रति ात होते थे उसके बाद इनके दूसरे भाई का राज आया और उन्होंने

किस गलत तरीके से बिजली का दुरूपयोग किया यह सारे प्रदे ा की जनता जानती है। ये कहते हैं कि इनके समय में बिजली की व्यवस्था ठीक थी, यह सब लोग जानते हैं। जब इनके समय में थर्मल प्लांट लगाने की बात आई तो इन्होंने कितना काम किया यह सब जानते हैं। कितने उद्योगों को बिजली मिलती थी और उपभोक्ता को कितनी बिजली मिलती थी। यमुनानगर में जब थर्मल प्लांट लगाने की बात आई तो इन्होंने कहां लगवाया। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय लोकपाल विधेयक पर जनरल डिस्क ान चल रही है। हम इसे फर्स्ट स्टेज पर कंसिड्रे ान भी कह सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि बिल की सैकेण्ड स्टेज पर जब क्लॉज बाई क्लाज आप रीडिंग लें तो आप इस बात का वि ोश ध्यान रखने की कृपा करें। हमने कोि ा ा की है कि इस बिल को एकमत से पारित किया जाए लेकिन बहुत से मुददों पर समता पार्टी के लोगों की रिजर्वे ान और हमारी भी पार्टी की रिजर्वे ान है। मैं यह भी चाहूंगा कि जब आप क्लॉज बाई क्लॉज इस बिल को लें उस वक्त भी अगर कोई सुझाव हो तो उस पर विचार करें। हमें यह कोि ा ा करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से इसे लागू कर सकते हैं। दूसरी बात मैं लोकपाल विधेयक के बारे में यह कहना चाहूंगा कि पिछले सै ान में यह बिल सदन के अन्दर प्रस्तुत किया गया था। इस बिल पर उस वक्त यह सहमति हुई थी कि इस विधेयक पर ज्यादा गहराई से अध्ययन करने के लिए और दूसरे प्रान्तों में जिनमें लोकपाल है उनमें किस किस्म के विधेयक लोक पाल के बारे में हैं, उनका

अध्ययन करने के लिए यह जरूरी है कि कुछ समय मिले। इसी बात के तहत इस सदन के आदरणीय सदस्यों की एक सिलैक्ट कमेटी का गठन किया गया था। सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट मैंने देखी है। पिछले दो अढाई महीने के अर्से में इस सिलैक्ट कमेटी की चार मीटिंग हुई। इन चार मीटिंगों में से दो मीटिंगों में ही इस विधेयक के बारे में फैसला किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सिलैक्ट कमेटी का एक तरीका होता है और कमेटी को यह अख्तियार दिया जाता है, बाकायदा उसको एडवर्टाईज किया जाता है। अखबारों और समाचार पत्रों के माध्यम से तथा टैलीविजन और रेडियो के माध्यम से जनरल पब्लिक की भी इसमें ओपीनियन ली जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, वॉलैन्टरी संस्थाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट बार ऐसासिए ान, हाई कोर्ट बार ऐसोसिए ान, हाई कोर्ट बार कौंसिल है और जो रिटायर्ड जजिज हैं तथा हिन्दुस्तान के ज्यूरिस्ट हैं उनसे इस बारे में विचार लिए जाते लेकिन जिस तरह से सिलैक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पे ा की है मुझे नहीं लगता है कि इस बारे में ठीक तरह से ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रान्त के अंदर पिछले दिनों जिस तरह से भ्रश्टाचार ने अपने हाथ पैर फैलाये, आज जो राजनैतिक प्रणाली चल रही है, प्रजातान्त्रिक प्रणाली चल रही है उसको देख कर लोगों में विचार आने लगा है उनको भाक होने लगा है कि उन्होंने कैसे लोगों को वोट देकर भेजा है ? वे अपनी तरफ से एक अच्छे आदमी को एम0एल0ए0 बना कर भेजें और वह 6 महीने में ही अपना रंग दिखाने लग जाता है। वे सोचते हैं कि हमने

कैसे आदमी को बिठाया है सबके सब एक ही थैली के चटटे बटटे हैं। जिसको भी चुनकर भेजते हैं उसकी कारगुजारियां 6 महीने में ही सामने आने लग जाती हैं। ऐसी बात सुनकर हमें भार्म आती है। हम विधायक लोग प्रजातन्त्र को अपना रोजगार का माध्यम बना लें, हम मुख्य मंत्री या मंत्री बन जाएं तो हम सबसे पहले अपने रि तेदारों का अपने घर वालों का पेट भरने की सोचते हैं लेकिन जिन एक लाख लोगों की वोट लेकर आते हैं उस बारे में भूल जाते हैं। ऐसी प्रथा से हम जनता का वि वास खोते जा रहे हैं, हरियाणा का नाम बदनाम कर रहे हैं। आज इस प्रथा के कारण लोगों के मन में यह बात आ रही है कि अब यहां पर राजनीतिज्ञों की खरीद फरोख्त की जाती है। कितने ही यहां पर आया राम गया राम हैं हर मुख्य मंत्री की कोि ा ा रहती है कि वह किसी तरह से अपनी सरकार बनाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आया राम गया राम की प्रवृति बढती जा रही है। इसको जन्म किसने दिया। इसको जन्म उन भाासन कर्ताओं ने दिया जो अपने भाासन काल में अपने काम करवा गए और उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो कुछ कम सीटें मिलीं। उन्होंने दोबारा से अपनी सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त की। मैं इस बारे में किसी व्यक्ति वि ोा का नाम नहीं लेना चाहता लेकन उन्होंने प्रजातान्त्रिक ढांचे के साथ बडा भारी अन्याय किया है। लोगों के मन में तो अब यहां तक बात आई हुई है कि एक ऐसा समय भी आ सकता है जब लोग वोटिंग से एक दिन पहले अपने गांव के बाहर जत्था बना करके खडे हो जाएंगे और वे उन वोटिंग करवाने

आए गवर्नमैंट ऑफिि ायल्ज से यह कहेंगे कि भाई माफ करो हम तो किसी को भी वोट डालना नहीं चाहते। इसका मतलब यह होगा कि उस दिन हरियाणा के लोगों के सब्र का प्याला लबरेज हो चुका होगा और लोगों को जो आज वि वास प्रजातंत्र के अंदर है, वह हिल जाएगा। स्पीकर सर, अगर ऐसा हो गया तो उन नेताओं के साथ हम सबसे बडा धोखा करैंगे, गुनाह करेंगे जिन्होंने 90 साल के संघर्श के बाद 1857 से लेकर 1947 तक दे ा को आजाद करवाने के लिए लडाई लडी तथा उस दे ा के अंदर प्रजातंत्र को बहाल करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया और अंग्रेजों की काल कोटरी में अपनी सारी जवानी बिता दी। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा ? जो बातें बहिन करतार देवी जी ने कहीं हैं, उनको भी अव य ध्यान में रखा जाना चाहिए। अतः मैं चाहता हूं कि यह बिल अव य पास किया जाए। धन्यवाद।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, हमे ाा ही मैं बडा डरता डरता आपसे बोलने के लिए समय मांगता हूं क्योंकि एक बार समय मांगने का दण्ड भुगत चुका हूं।

श्री अध्यक्ष: आप यह डर अपने मन से निकाल दें। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आपकी बडी मेहरबानी, मैं आपसे यही अ योरैंस चाहता था कि आज

आपकी तरफ से मुझे उस दिन जैसा दण्ड नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यह लोकपाल विधेयक आज की सरकार इस सदन में लेकर आई है। लोकपाल बिल बनाने के पीछे जो ब्रीफ ऑब्जैक्टस हैं वह इस बिल में लिखे हैं जो इस प्रकार है। "लोक सेवकों के विरूद्ध अभिकथनों, ि ाकायतों तथा उनसे सम्बंद्ध मामलों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति तथा कृत्यों का उपबंध करने के लिए विधेयक" स्पीकर साहब, किसी भी लोकपाल को अगर सही मायनों में इस इंस्टीच्यू ान को डिवैल्प करना है तो उसकी मुख्य तौर पर ये रिक्वायरमैंटस हैं कि लोकपाल निर्भीक, निडर और स्वतंत्र हो। हरियाणा की पौने दो करोड जनता तो इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होगी बल्कि इसके लिए हरियाणा का वह नेतृत्व जिम्मेदार होगा जिन्होंने हरियाणा में प्रजांतत्र के नाम पर भ्रश्टाचार को जन्म दिया है। भ्रश्टाचार यही तक सीमित नहीं है। मैं नहीं मानता कि अगर नौकरी बिक गयी तो भ्रश्टाचार हो गया। किसी छोट मोटे गरीब आदमी से पैसे लेने से कर्ब करने के लिए इस लोक पाल बिल का लाना निहायत ही जरूरी है। लेकिन यह बिल भी अगर भाराबबंदी की नीति के अनुसार हरियाणा में ऐक्सपैरीमैंट ही बना रहा तो रामबिलास जी यही आपकी पार्टी और हविपा के लिए बहुत ही अनफोरचुनेट रहेगा। हरियाणा में आज लोग और हरियाणा हर एक राजनैतिक दल इस बात का समर्थक है कि पूर्णतः भाराबबंदी हो। अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के नेता श्री भजन लाल जी ने तो यह कहा था कि अगर हमारी सरकार आयी तो हम प्रोहिबि ान को हटा देंगे। कहां हट गया। भजन

लाल जी ने एक पब्लिक मीटिंग में यह बयान दिया था कि अगर हमारा राज आ गया तो हम प्रोहिबि ान को हटा देंगे। अब आप क्या उसकी भी चर्चा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जो बीरेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं कि भाराबबंदी पूरी तरह से नहीं हुई। हमने झज्जर का उप चुनाव भाराबबंदी के बाद ही जीता है और कान्ता भाराबबंदी की सबसे बडी सफलता है। स्पीकर सर, मैं अपने भाई राम बिलास भार्मा जी से कहूंगा कि कई चीजों के बारे में आप भ्रम पैदा न करैं। भजन लाल जी भी जब मुख्य मंत्री थी तो किसी एम0एल0ए0 ने उस समय कहा था कि कांग्रेस जीते या न जीते लेकिन मैं जरूर जीतूंगा। मैंने कहा जब कांग्रेस हारेगी तो आप कैसे जीतोगे। आज 60 एम0एल0एज0 में से केवल 9 ही आये हैं इसलिए मैं कहता हूं कि उस उपचुनाव को अब 6 महीने हो गए हैं और अब सारी दुनिया बदल गयी है। अब आप किसी और उप चुनाव करवाने की गलती मत कर लेना वरना नतीजे उल्टे ही निकलेंगे। अब दुनिया बदल गयी है तो मैं इनसे कहूंगा कि ये अपनी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्य मंत्री भजन लाल जी से इस्तीफा दिलवाकर दोबारा चुनाव लडने को कहें तो पहता चल जाएगा कि दुनिया बदल गयी है या नहीं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मनीराम जी, जब आपको बोलने के लिए समय दिया जाता है तब आप बोलते नहीं, अब आप बीच बीच में बोलते रहते हो। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर सर, मैं कह रहा था कि इस बिल को लाने की बहुत आव यकता है और इसका पास होना भी बडा जरूरी है, लेकिन यह भाराब बंदी की तरह आपकी बदनामी का बायस न बन जाए इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं क्योंकि अगर राजनीतिक व्यवस्था जो प्रजातंत्र की है। प्रजातंत्र की व्यवस्था में अगर लोगों का वि वास पुनः बहाल करना है और जनता में यह वि वास पैंदा करना है कि एम0एल0ए0 केवल हमारे लिए है वह अपने बेटे बेटियों या अपने परिवार के लिए नहीं है यह वि वास बहाल करना है तो लोकपाल बिल अहम भूमिका अदा कर सकता है। उस वि वास की प्राप्ति अगर हरियाणा के लोगों को नहीं होगी तो हरियाणा प्रदे ा के लोगों को बडा भारी धोखा फिर मिलेगा। आज हरियाणा के लोगों को भ्रश्टाचार से मुक्ति दिलवानी है इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई गरीब आदमी भ्रश्टाचार को जन्म नहीं देता। कोई दफ्तर में बैठा चपरासी या क्लर्क भ्रश्टाचार को जन्म नहीं देता। जो सबसे ऊपर बैठता है चाहे वह नौकर ाा हो, चाहे प्रजातांत्रिक व्यवस्था से पौलिटीकल पार्टी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वह सबसे बडा उच्चाधिकारी हो, चाहे पुलिस का अधिकारी हो। अगर हम सिपाही पर यह इल्जाम लगाते हैं कि वह ट्रक को रोककर 20 रूपये लेता है तो वह सिपाही भ्रश्ट नहीं है। भ्रश्ट व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ हमें डंडा उठाना है। मैंने इस सदन में एक बात कही थी कि इस दुनियां में ऐसे भी दे ा हैं जिन्होंने भ्रश्टाचार को लीगलाइज कर दिया है। एक दे ा है

जिसने 1962 के बाद अपने कर्मचारियों को ग्रेड रिवाइज नहीं किए हैं आज 35 साल हो गए हैं आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे चल रहा है ? सरकार ने खुली छूट दी हुई है कि किसी को बगैर तंग करे कुछ देता है तो ले लो। आज होता यह है कि राजनेताओं के पास कोई गरीब आदमी चलकर आता है और कहता है कि साहब पटवारी इस काम के 300 रूपये मांगता है या यह कहता है कि उसने 300 रूपये ले लिए तो वह राजनेता कहता है कि यहां आने में तेरे भाडें में 300 रूपये खर्च हो गए होंगे वहीं से काम चला लेना था। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलालः ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर, स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि बात उन्होंने बिल्कुल सही कही लेकिन कृपा करके उस नेता का नाम बताएं कि वह नेता कौन था जिसने यह बात कही ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी नेता का नाम लेने की नीयत से यह बात नहीं कही। आप सोचने और समझने की कृपा करें कि आपको इस व्यवस्था से लडना है। हरियाणा का हर वह व्यक्ति जो अपने को लोगों का प्रतिनिधि कहता है, उसको लडना है। यह एक आदमी की बात नहीं है यह बात उन सभी लोगों की है जो वोट लेकर उनको भूल जाते हैं और उनको ऊपर वाले की मेहरबानी पर छोड देते हैं कि चाहे मरते रहो, चाहे जिंदा रहो। इस व्यवस्था को बदलने की बात है।

भ्रश्टाचार हमारी जडों में घुस गया है। हमें हरियाणा की जनता को इंसाफ देना है और अगर जनता इंसाफ से दूर रही तो उनका वि वास प्रजातंत्र से खत्म हो जाएगा और उनको वि वास खत्म हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हम उन बडे बडे नेताओं की होगी और सबसे बडी जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय, आपकी होगी। प्रजातंत्र में वि वास तब बढता है जब चौटाला जी जैसे व्यक्ति बार बार बोलने पर भी सदन में रहें। मैं पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर से भी कहूंगा कि वे सुनने का धैर्य रखें। इसी प्रकार भजन लाल जी ने भी कुछ नहीं किया वे बोले और तुरंत उनके खिलाफ रैजोल्यू ान आया। प्रजातंत्र में जो मान्यताएं हैं, जो परम्पराएं हैं, उनको ज्यादा मजबूती से लागू किया जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीपर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आदरणीय चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की हम सभी इज्जत करते हैं। उनका सदन में बैठने का बडा अनुभव है लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि उन्होंने अभी अपनी बात दोहराते हुए बार बार भ्रश्टाचार को खत्म करने की बात कही है (विघ्न) स्पीकर सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब हरियाणा प्रदे ा में भ्रश्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा तो चौधरी बीरेन्द्र सिंह कौन सी पार्टी में थे और इनके नेता कौन थे। मुझे आज भी दुख है कि आज भी चौधरी बीरेन्द्र सिंह, भजन लाल जी को डिफैंड कर रहे हैं कि चौधरी भजन लाल जी क्या गलत कह रहे थे। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने अपनी आंखों से देखा कि चौधरी भजन

लाल जी इस माननीय सदन मैं हमारे दो माननीय सदस्यों को खरीदने की बात कह रहे थे और अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हमारे सदस्यों को धमका रहे थे। He always casts aspertion on the Chair, Sir. चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी बताईये कि इन सदस्यों का क्या कसूर था। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी तो एक व्यवस्था की बात कह रहे थे उनका किसी से मोह नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः मेरी व्याख्या मेरी तकलीफ यह है कि मेरे ये साथी कहते हैं कि you are soft towards Sh. Bansi Lal and on the other hand, I am defending Ch. Bhajan Lal and Sh. Om Parkash Chautala both. कोई सही बात कहे तो ठीक है। ये पार्टी के हिसाब से सोचते हैं कि लेकिन मैं कहता हूं कि किस तरीके से चौधरी ओम प्रका ा चौटाला को और चौधरी भजन लाल जी को निकालने का रेजोल्यू ान दिया गया। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था की बात तो यह हो गई है कि पिछले 5–6 साल से इस दे ा के अन्दर घोटालों का जो बाजार लगा है उस बाजार ने तो दुनिया के इतिहास में हिन्दुस्तान की छवि को धूमिल किया है उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता का हाथ हो चाहे..... ..... जी का हो जो आज भी हवाला कांड में फंसे हुए हैं। (विघ्न)

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, चौधरी बीरेन्द्र सिंह एक पार्लियामैंटरियन है। पार्लियामैंटेरियन के हिसाब से ये

लोकसभा और विधान सभा की कई कमेटियों में रह चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी के एक वरिश्ठ नेता है। श्री ..... हवाल कांड में नहीं हैं उनको तो श्री नरसिम्हा राव जी ने जान बूझ कर फंसाया था। सी0बी0आई0 की रिपोर्ट है जिसमें श्री ..... जी का नाम नहीं है। (विघ्न) आप सुनिये तो सही। स्पीकर सर, श्री ..... जी उस समय लोकसभा के सदस्य थे और श्री मदन लाल खुराना उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे जब यह बात आई There and then they regisned from their posts. (Interruptions.) उन्होंने यह एलान किया था कि जब तक इस जांच की रिपोर्ट नहीं आयेगी, हम निर्दोश साबित नहीं होंगे तब तक चुनाव नहीं लडेंगें। श्री .... जी ने पार्टीं के आग्रह करने के बाद भी चुनाव नहीं लडा और सी0बी0आई0 की जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह पाया गया है कि श्री ..... और वी0सी0 भाुक्ल के खिलाफ चार्ज भीट देने के लिए या चालान करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। (विघ्न)

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें और एड करता हूं कि इनके सारे नेता हवाला कांड में फंसे हुए हैं। इनके एक नेता श्री कमलनाथ ने जो हवाला कांड में फंसे हुए हैं, अपनी घर वाली से लोकसभा की सीट से त्याग पत्र दिला कर खुद चुनाव लडा था, खुद टिकट लेकर चुनाव लडा और हार गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, किसी की व्यक्तिगत रूप से चर्चा न करें। इनका जीवन पाक साफ है, यह

हम भी कहते हैं। लेकिन जिस पार्टी की ये बात कर रहे हैं, वह पार्टी राजनीतिक भ्रश्टाचार का पर्याय बन गई है। पिछले दिनों दिल्ली में 'एच0के0एल0 भगत की चारपाई कल्पनाथ के साथ' एक रूपए में, यह बात कहते हुए अखबार बिक रहे थे। अध्यक्ष महोदय वहां तो अखबार इसी नाम से बिकते हैं यानि कि कांग्रेस का चुनाव नि ाान तिहाड जेल का दरवाजा बनने जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री रहा हुआ आदमी, अखिल भारतीय पार्टी का अध्यक्ष रहा हुआ आदमी, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे कि मेरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के बंद कमरे में नहीं बल्कि पटियाला हाउस में की जाए। तथा विज्ञान भवन में वे पैरवी मांगे, अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये बेचारे तो ऊपर ऊपर से ही बोल रहे हैं, परन्तु फिर भी बात जम नहीं रही है। (हंसी)

श्री बंसी लालः भीतरले में इनके भी नहीं जम रही है। (हंसी)

श्री जगन नाथः स्पीकर सर, हम तो बोलत हैं 'जय ि ाया राम' लेकिन ये बोलते हैं 'जय सुख राम' (हंसी)

डॉ0 कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस भी 'सी' से भाुरू होती है और 'क्रप ान' भी 'सी' से भाुरू होती है। कांग्रेस और क्रप ान एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। (हंसी)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खु ाी है कि दोनों पार्टियों की गठबंधन की सरकार एक दूसरी

पार्टी की मदद करती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ बी0जे0पी0 और हरियाणा विकास पार्टी के ही मुख्य मंत्री नहीं हैं, बल्कि हमारे इस सदन के तथा हरियाणा प्रदे ाके मुख्य मंत्री भी हैं। खुराना जी पता नहीं इनके बारे में क्या बोल गए, हम तो बर्दा त नहीं करेंगे। (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, ऐसा बोलने की तो बीरेन्द्र सिंह जी की कला है। खुराना जी हमारे मुख्य मंत्री जी के बारे में कुछ नहीं बोल गए। वे तो इनकी बहुत प्र ांसा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पीछे मिलिटरी के जितने भी जनरल रिटायर हुए हैं, वे सभी बी0जे0पी0 ज्वाईन कर चुके हैं। कुछ दिन पहले अभी जब श्री खुराना जी यहां आए तो मिलिटरी के जनरल्ज का नाम लेकर वे कहते थे कि चौधरी बंसी लाल जी का डिफैंस मिनिस्टर के रूप में एक बहुत ही अच्छा नजरिया था तथा उनके काम से डिफैंस पर बहुत अच्छा प्रभाव पडा। इस प्रकार से वे इनकी प्र ांसा ही कर रहे थे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि जब जब दे ा में बी0जे0पी0 कांग्रेस पर करारी मार मारती है, तब तब चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी इसका बदला निकालने की कोि ा ा करते हैं। कल रात ही यह फैसला हुआ कि यू0पी0 में बी0जे0पी0 और बी0एस0पी0 की सरकार बनने जा रही है और मायावती जी मुख्य मंत्री बनेंगी तथा 6 महीने के बाद

कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री बनेंगे। इसलिए कांग्रेसियों की नींद हराम हो रही है। (हंसी)

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी कल मायावती की ओथ के अवसर पर लखनऊ जाने वाले हैं। (हंसी)

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी लोकपाल विधेयक के परिप्रेक्ष्य में प्रजातंत्री पर, बहुत ही मौलिक मुद्दे पर बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मित्र प्रजातंत्र की बात करें तो बात जमती नहीं है। क्योंकि पिछले 50 सालों के राजनीतिक इतिहास में प्रजातंत्र को जिस तरह से फाडकर चीर चीर किया गया है, उसके लिए कोई जज 4 भाब्द भी नहीं लिख सकता। एक अयोध्या की बात को लेकर 4 प्रांतों की चुनी हुई सरकारैं जिनका किसी का 4 साल, किसी का 5 साल तथा किसी का 3–1/2साल पीरयड बाकी था, को किस तरह से तहस नहस करन दिया गया। लोगों के जजबात को किस तरह से बेरहमी से कुचला गया और किस तरह से गंगा यमुना के किनारे ब्रहम दत्त द्विवेदी की हत्या की गई, आपकी पार्टी के नेता जोगिन्द्र सिंह की हत्या की गई ? किस प्रकार का गदर मचा हुआ था ? वहां पर क्यौंकि हमारा सबसे बडा दल है, इसलिए हमने एक प्रजातांत्रिक रास्ता निकाला है। अब इनको तकलीफ यह हो रही है कि हमने मायावती के पौंची कैसे बांधी। ये मेरे भाई दलितों के नाम पर राज करते रहे हैं। हरिजनों के नाम पर राज करते हैं। (विघ्न)

करतार देवी जी ये आपको तरकारी बनाकर खा जाएंगे आप इनके पक्ष मैं मत बोलें। हरिजनों का कल्याण तो हमने किया है। दलितों को तो हमने गले से लगाया है। जिस पार्टी के 60 एम0एल0एज0 हों और हमारी पार्टी के 200 एम0एल0एज0 हों उसको नेतृत्व स्वीकार करना एक बहुत बडी बात है। यह कलेजे की बात है। जिस तरह से दलितों को हमने गले से लगाया, उसी तरह से हमने उनकी बात मानी है। (ाोर)

डॉ0 कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि हविपा और भाजपा की सरकार में हम सारे चीफ मिनिस्टर हैं उसमें ट्रांसपेरैंसी है। बीरेन्द्र सिंह जी आपको यह बात कहने की जरूरत नहीं है वहां भाजपा के किसी सदस्य को भी 6 महीने के बाद चीफ मिनिस्टर बनाना पडेगा हमारी सांझा सरकार में सारे चीफ मिनिस्टर हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं लोकपाल विधेयक पर बोल रहा हूं। लोकपाल विधेयक इसलिए लाने की जरूरत पडी क्योंकि सारी व्यवस्था खराब होती जा रही है। आज ये मायावती को राखी बांधने की बात करते हैं। जब ये उनको चार महीने राखी बांध कर फिर तोड कर चले गए थे, तब कहां गई थी बी0जे0पी0।

श्री राम बिलास भार्माः भाण्डे कई बार खडकते हैं, परन्तु आपकी तरह टूटते नहीं हैं वह तो हमारी आपस की बात है।

श्री कर्ण सिंह दलालः पहले आप कांग्रेस पार्टी छोड कर कांग्रेस तिवाड़ी में चले गए और फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः हमने राखी वाखी किसी को नहीं बांधी।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने राखी नहीं बांधी ये तो सूत का गठड़ उठा कर ले गए थे। (हंसी)

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि राखी तोड कर ले गए, इस बात पर मुझे पंडित लख्मीचन्द की दो लाईनें कहनी हैं कि देवर भाभी लड़े यह ओसी लड़ाई ना सै। (हंसी)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, लोकपाल विधेयक से प्रजातंत्र के अंदर एक स्वस्थ वातावरण बनेगा। जो व्यक्ति भ्रश्टाचार को ही राजनीति मानते हैं उनसे लडने का मौका मिलेगा। जिस गरीब आदमी से दो लाख रूपए रि वत के लिए गए, उस गरीब आदमी को रि वत लेने वाले के खिलाफ ि ाकायत करने का मौका मिलेगा। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक ढांचे में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर जगह नहीं है, इस नोटंकीबाजी से इस दे ा में एक सबसे अच्छे नेता को सरकार बनाने का मौका मिला, श्री अटल बिहारी वाजपेई जी को लेकिन गलती से उनकी पार्टी गलत थी। राश्ट्रपति महोदय ने अटल बिहारी वाजपेई जी को सरकार बनाने का मौका

दिया और कहा कि आप बडे भले आदमी हैं। दे ा के दूसरे राजनीतिक दल भी आपको भला मानते हैं, आप सरकार बनाएं।

डॉ0 कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगी कि श्री वाजपेई जी ने राजनीति का व्यापारीकरण नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि लोकसभा में सांसदों को खरीद कर प्रधान मंत्री बने, उन्होंने व्यापारीकरण नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगली बार आएंगे तो पूरे बहुमत के साथ आएंगे। यह काम तो आपके नेता चौधरी भजन लाल ही कर सकते हैं जो 1980 मैं 36 विधायकों को लेकर कांग्रेस में भाामिल हो गए और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों की खरीदो फरोख्त कर सी0बी0आई0 का मुकदमा झेल रहे हैं। क्या बाजपेई जी भी इसी तरह से करते ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मैं पार्लियामैंट की बात करूंगा। वह सदन प्र ांसा का पात्र है क्योंकि साम्प्रदायिक ताकतों का साथ देने के लिए सिर्फ 3 एम0पीज0 चौधरी बंसी लाल जी की पार्टी के छोड कर, हरियाणा प्रान्त का कोई एम0पी0 उनके साथ नहीं गया। और इस बात का सबूत है कि इस दे ा की जनता जात पात और साम्प्रदायिकता से दूर रहना चाहती है। इसलिए बे ाक आज का प्रधान मंत्री 46 आदमियों की पार्टी का प्रधान मंत्री हो लेकिन एक सबसे बडी पार्टी जो है, वह उस राज को चलाये हुए है क्योंकि इस दे ा के लोगों ने प्रजातंत्र में इस दे ा की साम्प्रदायिक ताकतों और

जातिवाद से लडना है। (विघ्न) उसी लड़ाई का कारण है (विघ्न) आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। (विघ्न)

डॉ0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इनकी पीडा सच्ची है। यह इतने धर्म निरपेक्ष हैं कि लोगों ने स्वीकार नहीं किा। ये दिल्ली में हारे, महाराश्ट्र में हारे और पंजाब में हारे। इसके अलावा जितने भी बाई इलैक ान हुए, वहां पर हारे। आपकी पार्टी की क्या हालत हो रही है, स्वयं सोचो।

श्री अध्यक्ष: ये कब कह रहे हैं कि ये जीते हैं। ये खुद मानते हैं। आपको वैसे ही बहम हो गया है। आप जल्दी करिये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही खत्म कर देता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दे ा के लोगों को जब भी मौका मिला, राजनीतिक फैसले करने का उन्होंने सही फैसले दिये। लोगों के फैसले कभी गडबडाया नहीं करते। फैसले तब गडबडाया करते हैं जब लोगों द्वारा राजनेताओं को सत्ता सौंपने के बाद उन राजनीतिज्ञों द्वारा गलत फैसले होते हैं। लोगों के फैसले कभी गलत नहीं होते। अबकी बार हरियाणा में भी लोग कोई फैसला नहीं कर सके कि किस पार्टी को बहुमत दें। (विघ्न) वह किसी एक दल के पक्ष में फैसला नहीं दे सके। उसकी वजह यह है कि लोग नए सिरे से वि वास पैदा करना चाहते हैं। लोग जिसको चुनकर भेजेंगे स्वार्थ से ऊपर उठकर भेजेंगे। (विघ्न) मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री

जी लोकपाल बिल तो ले आये हैं। मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आपने जो 28 मंत्री बनाए हुए हैं, इनकी जायदाद की सूची आप सभी से ले लें। (विघ्न) इसलिए जहां मैं लोकपाल बिल की तारीफ करता हूं उसके साथ ही मैं सरकार से आपके माध्यम से यह प्रार्थना करूंगा कि इसको आप री कन्सीडर कीजिए इस भाक्ल में अगर यह बिल पास किया तो आप एक ऐसा हथियार सक्सैंसिव गवर्नमैंट को दे जायेंगे जिससे वह अपने राजनीतिक विरोधियों को मारा करेगी और लोकपाल की इन्डीपैंडेस खत्म हो जायेगी। धन्यवाद।

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, एक आध बात को छोड़कर बाकी सभी अमैंडमैंटस पर सब सहमत हो गए हैं। मेरा अनुरोध है कि जब तक इस बिल की अमैंडमैंट तैयार हो, तब तक दूसरे बिलों को ले लिया जाये। (विघ्न) अगर इसी पर बोलना है तो हमें कोई ऐतराज नहीं।

श्री मनीराम, डबवाली (अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जो बात कहूंगा क्या वह हमारी बात मानी जायेगी जो हम सुझाव देंगे उसके बारे में आप हमें यकीन दिलायें कि हमारी बात मानी जायेगी।

श्री अध्यक्षः मनीराम जी, पहले तो आप लोकपाल बिल पर सुझाव दें।

श्री मनीरामः स्पीकर साहब, मैं लोकपाल बिल पर सुझाव ही दे रहा हूं और क्या मैं यहां पर बंब चला रहा हूं। (हंसी) जब भाराब बंदी का जिक्र आया था तो हमने कहा था कि ठीक है कि यहां पर भाराब बंदी होनी चाहिए। उस बारे हमने समर्थन दिया है। इसको अगर सही ढंग से लागू ही नहीं किया जायेगा तो फिर हमारा समर्थन देने का या सुझाव देने का फायदा ही क्या है ? मैं इस विधेयक के बारे में कहना चाहता हूं कि इस समय यहां पर लीडर ऑफ दी अपोजी ान सदन में नहीं हैं।

श्री अध्यक्षः मनीराम जी, जो लोकपाल बिल के लिए सिलैक्ट कमेटी बनी थी उस कमेटी के माननीय सदस्यों में से एक आप भी तो थे।

श्री मनीरामः सदस्य तो थे लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उस दिन सांगवान साहब हमें लास्ट में लैकर गए तब तक हमें दूसरी जगह पर बैठाए रखा। इन्हौंने इस कमेटी में क्या किया हमें तो पता ही नहीं कि लोकपाल बिल होता ही क्या है ? हमें तो सांगवान जी से इस बारे में अंधेरे में रखा।

श्री अध्यक्षः सांगवान साहब, आप यह बताएं कि जब डिस्क ान चल रही थी तो आप इनको अंधेरे में कहां ले गए। (हंसी)

श्री सतपाल सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मेरी और इनकी सीट के बीच में चार मैम्बर और बैठे थे। पतानहीं इनको कैसे डाउट हो गया।

श्री मनीरामः स्पीकर साहब, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। हमें तो पता ही नहीं लगा।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं समता पार्टी के सभी मैम्बरों की इज्जत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने इसको बोलने के लिए तो कह दिया लेकिन जो ये सामने बैठे हैं इन सब की पढाई लिखाई की डिग्री भी भाामिल करें तो इन सबकी मिला कर एक अकेली एल0एल0बी0 डिग्री भी नहीं मिलेगी। आप इनसे पूछिये कि लोकपाल के मायने क्या होते हैं। इसमें कौन सी धाराए हैं, इनको कुछ पता ही नहीं।

श्री मनीरामः लोकपाल बिल के मायने तो श्री बंसी लाल जी अच्छी तरह से जानते हैं अगर इनकी हिम्मत है तो जब से हरियाणा बना है तब से यानी 1966 से लागू करवा दो, क्या दिक्कत है।

13.00 बजे।

अगर वाकई आप दूध के धुले हुए हो तो क्या तकलीफ है ? (विघ्न) आप इसे पीछे से लागू करें इसमें क्या दिक्कत है ? लोकपाल बिल ये लेकर आए हैं और इस पर चर्चा हुई है और इसमें कई सुझाव भी आए हैं। हमारी पार्टी के श्री रामपाल माजरा

जी ने बहुत अच्छे सुझाव इस बिल के बारे में दिये हैं मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन सुझावों को मान लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर हमारे सुझाव माने ही नहीं जाते तो हमारे बोलने का फायदा ही क्या है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक ओर बात भी कहना चाहता हूं कि लीडर आफ दी ओपोजी ान हाउस में न हों और दूसरी पार्टी के लीडर भी न हों तो इस डिस्क ान के कोई मायने नहीं रह जायेंगें। 1966 से जब से हरियाणा प्रदे ा बना है तभी से इस बिल को लागू कान कर चलें तो इसमें लीडर ऑफ दि हाउस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोक पाल की नियुक्ति के बारे में हाई कोर्ट के जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति 5 साल या 10 साल के लिए चाहे कर लें लेकिन एज फैक्टर को भी ध्यान में रखें। स्पीकर साहब, इन्हीं भाब्दौं के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा अपना स्थान ग्रहण करता हूं। (विघ्न एवं भाोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, इस समय लोकपाल विधेयक पर जनरल डिस्क ान चल रही है। हम इसे फर्स्ट स्टेज पर कंसिड्रे ान भी कह सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि बिल की सैकेण्ड स्टेज पर जब क्लॉज बाई क्लाज आप रीडिंग लें तो आप इस बात का वि ोश ध्यान रखने की कृपा करें। हमने कोि ा ा की है कि इस बिल को एकमत से पारित किया जाए लेकिन बहुत से मुददों पर समता पार्टी के लोगों की रिजर्वे ान और हमारी भी पार्टी की रिजर्वे ान है। मैं यह भी

चाहूंगा कि जब आप क्लॉज बाई क्लॉज इस बिल को लें उस वक्त भी अगर कोई सुझाव हो तो उस पर विचार करें। हमें यह कोि ा ा करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से इसे लागू कर सकते हैं। दूसरी बात मैं लोकपाल विधेयक के बारे में यह कहना चाहूंगा कि पिछले सै ान में यह बिल सदन के अन्दर प्रस्तुत किया गया था। इस बिल पर उस वक्त यह सहमति हुई थी कि इस विधेयक पर ज्यादा गहराई से अध्ययन करने के लिए और दूसरे प्रान्तों में जिनमें लोकपाल है उनमें किस किस्म के विधेयक लोक पाल के बारे में हैं, उनका अध्ययन करने के लिए यह जरूरी है कि कुछ समय मिले। इसी बात के तहत इस सदन के आदरणीय सदस्यों की एक सिलैक्ट कमेटी का गठन किया गया था। सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट मैंने देखी है। पिछले दो अढाई महीने के अर्से में इस सिलैक्ट कमेटी की चार मीटिंग हुईं। इन चार मीटिंगों में से दो मीटिंगों में ही इस विधेयक के बारे में फैसला किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सिलैक्ट कमेटी का एक तरीका होता है और कमेटी को यह अख्तियार दिया जाता है, बाकायदा उसको एडवर्टाईज किया जाता है। अखबारों और समाचार पत्रों के माध्यम से तथा टैलीविजन और रेडियो के माध्यम से जनरल पब्लिक की भी इसमें ओपीनियन ली जाती है। अध्यक्ष महोदय, जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, वॉलैन्टरी संस्थाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट बार ऐसासिए ान, हाई कोर्ट बार ऐसोसिए ान, हाई कोर्ट बार कौंसिल है और जो रिटायर्ड जजिज हैं तथा हिन्दुस्तान के ज्यूरिस्ट हैं उनसे इस बारे में विचार लिए जाते लेकिन जिस तरह

से सिलैक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पे ा की है मुझे नहीं लगता है कि इस बारे में ठीक तरह से ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रान्त के अंदर पिछले दिनों जिस तरह से भ्रश्टाचार ने अपने हाथ पैर फैलाये, आज जो राजनैतिक प्रणाली चल रही है, प्रजातान्त्रिक प्रणाली चल रही है उसको देख कर लोगों में विचार आने लगा है उनको भाक होने लगा है कि उन्होंने कैसे लोगों को वोट देकर भेजा है ? वे अपनी तरफ से एक अच्छे आदमी को एम0एल0ए0 बना कर भेजें और वह 6 महीने में ही अपना रंग दिखाने लग जाता है। वे सोचते हैं कि हमने कैसे आदमी को बिठाया है सबके सब एक ही थैली के चटटे बटटे हैं। जिसको भी चुनकर भेजते हैं उसकी कारगुजारियां 6 महीने में ही सामने आने लग जाती हैं। ऐसी बात सुनकर हमें भार्म आती है। हम विधायक लोग प्रजातन्त्र को अपना रोजगार का माध्यम बना लें, हम मुख्य मंत्री या मंत्री बन जाएं तो हम सबसे पहले अपने रि तेदारों का अपने घर वालों का पेट भरने की सोचते हैं लेकिन जिन एक लाख लोगों की वोट लेकर आते हैं उस बारे में भूल जाते हैं। ऐसी प्रथा से हम जनता का वि वास खोते जा रहे हैं, हरियाणा का नाम बदनाम कर रहे हैं। आज इस प्रथा के कारण लोगों के मन में यह बात आ रही है कि अब यहां पर राजनीतिज्ञों की खरीद फरोख्त की जाती है। कितने ही यहां पर आया राम गया राम हैं हर मुख्य मंत्री की कोि ा ा रहती है कि वह किसी तरह से अपनी सरकार बनाए।

श्री मनीरामः अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल कहते थे कि मुझे अकेले ही मुख्यमंत्री बना दो मैं अकेला ही सरकार चला लूंगा।

श्री बीरेन्द्र सिंहः मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आया राम गया राम की प्रवृति बढती जा रही है। इसको जन्म किसने दिया। इसको जन्म उन भाासन कर्ताओं ने दिया जो अपने भाासन काल में अपने काम करवा गए और उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो कुछ कम सीटें मिलीं। उन्होंने दोबारा से अपनी सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त की। मैं इस बारे में किसी व्यक्ति वि ोा का नाम नहीं लेना चाहता लेकन उन्होंने प्रजातान्त्रिक ढांचे के साथ बडा भारी अन्याय किया है। लोगों के मन में तो अब यहां तक बात आई हुई है कि एक ऐसा समय भी आ सकता है जब लोग वोटिंग से एक दिन पहले अपने गांव के बाहर जत्था बना करके खडे हो जाएंगे और वे उन वोटिंग करवाने आए गवर्नमैंट ऑफि ियल्ज से यह कहेंगे कि भाई माफ करो हम तो किसी को भी वोट डालना नहीं चाहते। इसका मतलब यह होगा कि उस दिन हरियाणा के लोगों के सब्र का प्याला लबरेज हो चुका होगा और लोगों को जो आज वि वास प्रजातंत्र के अंदर है, वह हिल जाएगा। स्पीकर सर, अगर ऐसा हो गया तो उन नेताओं के साथ हम सबसे बडा धोखा करैंगे, गुनाह करेंगे जिन्होंने 90 साल के संघर्श के बाद 1857 से लेकर 1947 तक दे ा को आजाद करवाने के लिए लडाई लडी तथा उस दे ा के

अंदर प्रजातंत्र को बहाल करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया और अंग्रेजों की काल कोटरी में अपनी सारी जवानी बिता दी। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा ? हरियाणा की पौने दो करोड जनता तो इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होगी बल्कि इसके लिए हरियाणा का वह नेतृत्व जिम्मेदार होगा जिन्होंने हरियाणा में प्रजांतत्र के नाम पर भ्रश्टाचार को जन्म दिया है। भ्रश्टाचार यही तक सीमित नहीं है। मैं नहीं मानता कि अगर नौकरी बिक गयी तो भ्रश्टाचार हो गया। किसी छोट मोटे गरीब आदमी से पैसे लेने से कर्ब करने के लिए इस लोक पाल बिल का लाना निहायत ही जरूरी है। लेकिन यह बिल भी अगर भाराबबंदी की नीति के अनुसार हरियाणा में ऐक्सपैरीमैंट ही बना रहा तो रामबिलास जी यही आपकी पार्टी और हविपा के लिए बहुत ही अनफोरचुनेट रहेगा। हरियाणा में आज लोग और हरियाणा हर एक राजनैतिक दल इस बात का समर्थक है कि पूर्णतः भाराबबंदी हो।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के नेता श्री भजन लाल जी ने तो यह कहा था कि अगर हमारी सरकार आयी तो हम प्रोहिबि ान को हटा देंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंहः वह नेता ही हट गया।

श्री बंसी लालः कहां हट गया। भजन लाल जी ने एक पब्लिक मीटिंग में यह बयान दिया था कि अगर हमारा राज आ

गया तो हम प्रोहिबि ान को हटा देंगे। अब आप क्या उसकी भी चर्चा करेंगे।

श्री अध्यक्षः उस समय भाायद बीरेन्द्र सिंह जी कांग्रेस में नहीं होंगे जब यह बयान दिया गया होगा।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जो बीरेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं कि भाराबबंदी पूरी तरह से नहीं हुई। हमने झज्जर का उप चुनाव भाराबबंदी के बाद ही जीता है और कान्ता भाराबबंदी की सबसे बडी सफलता है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मैं अपने भाई राम बिलास भार्मा जी से कहूंगा कि कई चीजों के बारे में आप भ्रम पैदा न करैं। भजन लाल जी भी जब मुख्य मंत्री थी तो किसी एम0एल0ए0 ने उस समय कहा था कि कांग्रेस जीते या न जीते लेकिन मैं जरूर जीतूंगा। मैंने कहा जब कांग्रेस हारेगी तो आप कैसे जीतोगे। आज 60 एम0एल0एज0 में से केवल 9 ही आये हैं इसलिए मैं कहता हूं कि उस उपचुनाव को अब 6 महीने हो गए हैं और अब सारी दुनिया बदल गयी है। अब आप किसी और उप चुनाव करवाने की गलती मत कर लेना वरना नतीजे उल्टे ही निकलेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, अगर चौधरी बीरेन्द्र सिंह का यह मानना है कि अब झज्जर उपचुनाव हुए 6 महीने हो गए हैं और अब दुनिया बदल गयी है तो मैं इनसे कहूंगा कि ये

अपनी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्य मंत्री भजन लाल जी से इस्तीफा दिलवाकर दोबारा चुनाव लडने को कहें तो पहता चल जाएगा कि दुनिया बदल गयी है या नहीं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मनीराम जी, जब आपको बोलने के लिए समय दिया जाता है तब आप बोलते नहीं, अब आप बीच बीच में बोलते रहते हो। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मैं कह रहा था कि इस बिल को लाने की बहुत आव यकता है और इसका पास होना भी बडा जरूरी है, लेकिन यह भाराब बंदी की तरह आपकी बदनामी का बायस न बन जाए इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं क्योंकि अगर राजनीतिक व्यवस्था जो प्रजातंत्र की है। प्रजातंत्र की व्यवस्था में अगर लोगों का वि वास पुनः बहाल करना है और जनता में यह वि वास पैंदा करना है कि एम0एल0ए0 केवल हमारे लिए है वह अपने बेटे बेटियों या अपने परिवार के लिए नहीं है यह वि वास बहाल करना है तो लोकपाल बिल अहम भूमिका अदा कर सकता है। उस वि वास की प्राप्ति अगर हरियाणा के लोगों को नहीं होगी तो हरियाणा प्रदे ा के लोगों को बडा भारी धोखा फिर मिलेगा। आज हरियाणा के लोगों को भ्रश्टाचार से मुक्ति दिलवानी है इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई गरीब आदमी भ्रश्टाचार को जन्म नहीं देता। कोई दफ्तर में बैठा चपरासी या क्लर्क भ्रश्टाचार को जन्म नहीं देता। जो सबसे ऊपर बैठता है चाहे वह नौकर ाा हो, चाहे प्रजातांत्रिक व्यवस्था से पौलिटीकल

पार्टी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वह सबसे बडा उच्चाधिकारी हो, चाहे पुलिस का अधिकारी हो। अगर हम सिपाही पर यह इल्जाम लगाते हैं कि वह ट्रक को रोककर 20 रूपये लेता है तो वह सिपाही भ्रश्ट नहीं है। भ्रश्ट व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ हमें डंडा उठाना है। मैंने इस सदन में एक बात कही थी कि इस दुनियां में ऐसे भी दे ा हैं जिन्होंने भ्रश्टाचार को लीगलाइज कर दिया है। एक दे ा है जिसने 1962 के बाद अपने कर्मचारियों को ग्रेड रिवाइज नहीं किए हैं आज 35 साल हो गए हैं आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे चल रहा है ? सरकार ने खुली छूट दी हुई है कि किसी को बगैर तंग करे कुछ देता है तो ले लो। आज होता यह है कि राजनेताओं के पास कोई गरीब आदमी चलकर आता है और कहता है कि साहब पटवारी इस काम के 300 रूपये मांगता है या यह कहता है कि उसने 300 रूपये ले लिए तो वह राजनेता कहता है कि यहां आने में तेरे भाडें में 300 रूपये खर्च हो गए होंगे वहीं से काम चला लेना था। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलालः ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर, स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि बात उन्होंने बिल्कुल सही कही लेकिन कृपा करके उस नेता का नाम बताएं कि वह नेता कौन था जिसने यह बात कही ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी नेता का नाम लेने की नीयत से यह बात नहीं कही। आप सोचने और

समझने की कृपा करें कि आपको इस व्यवस्था से लडना है। हरियाणा का हर वह व्यक्ति जो अपने को लोगों का प्रतिनिधि कहता है, उसको लडना है। यह एक आदमी की बात नहीं है यह बात उन सभी लोगों की है जो वोट लेकर उनको भूल जाते हैं और उनको ऊपर वाले की मेहरबानी पर छोड देते हैं कि चाहे मरते रहो, चाहे जिंदा रहो। इस व्यवस्था को बदलने की बात है। भ्रश्टाचार हमारी जडों में घुस गया है। हमें हरियाणा की जनता को इंसाफ देना है और अगर जनता इंसाफ से दूर रही तो उनका वि वास प्रजातंत्र से खत्म हो जाएगा और उनको वि वास खत्म हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हम उन बडे बडे नेताओं की होगी और सबसे बडी जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय, आपकी होगी। प्रजातंत्र में वि वास तब बढता है जब चौटाला जी जैसे व्यक्ति बार बार बोलने पर भी सदन में रहें। मैं पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर से भी कहूंगा कि वे सुनने का धैर्य रखें। इसी प्रकार भजन लाल जी ने भी कुछ नहीं किया वे बोले और तुरंत उनके खिलाफ रैजोल्यू ान आया। प्रजातंत्र में जो मान्यताएं हैं, जो परम्पराएं हैं, उनको ज्यादा मजबूती से लागू किया जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीपर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आदरणीय चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की हम सभी इज्जत करते हैं। उनका सदन में बैठने का बडा अनुभव है लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि उन्होंने अभी अपनी बात दोहराते हुए बार बार भ्रश्टाचार को खत्म करने की बात कही है (विघ्न)

स्पीकर सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब हरियाणा प्रदे ा में भ्रश्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा तो चौधरी बीरेन्द्र सिंह कौन सी पार्टी में थे और इनके नेता कौन थे। मुझे आज भी दुख है कि आज भी चौधरी बीरेन्द्र सिंह, भजन लाल जी को डिफैंड कर रहे हैं कि चौधरी भजन लाल जी क्या गलत कह रहे थे। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने अपनी आंखों से देखा कि चौधरी भजन लाल जी इस माननीय सदन मैं हमारे दो माननीय सदस्यों को खरीदने की बात कह रहे थे और अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हमारे सदस्यों को धमका रहे थे। He always casts aspertion on the Chair, Sir. चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी बताईये कि इन सदस्यों का क्या कसूर था। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी तो एक व्यवस्था की बात कह रहे थे उनका किसी से मोह नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः मेरी व्याख्या मेरी तकलीफ यह है कि मेरे ये साथी कहते हैं कि you are soft towards Sh. Bansi Lal and on the other hand, I am defending Ch. Bhajan Lal and Sh. Om Parkash Chautala both. कोई सही बात कहे तो ठीक है। ये पार्टी के हिसाब से सोचते हैं कि लेकिन मैं कहता हूं कि किस तरीके से चौधरी ओम प्रका ा चौटाला को और चौधरी भजन लाल जी को निकालने का रेजोल्यू ान दिया गया। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था की बात तो यह हो गई है कि पिछले 5–6 साल से इस दे ा के अन्दर घोटालों का जो बाजार लगा है उस बाजार

ने तो दुनिया के इतिहास में हिन्दुस्तान की छवि को धूमिल किया है उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता का हाथ हो चाहे..... ..... जी का हो जो आज भी हवाला कांड में फंसे हुए हैं। (विघ्न)

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, चौधरी बीरेन्द्र सिंह एक पार्लियामैंटरियन है। पार्लियामैंटेरियन के हिसाब से ये लोकसभा और विधान सभा की कई कमेटियों में रह चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी के एक वरिश्ठ नेता है। श्री ..... हवाल कांड में नहीं हैं उनको तो श्री नरसिम्हा राव जी ने जान बूझ कर फंसाया था। सी0बी0आई0 की रिपोर्ट है जिसमें श्री ..... जी का नाम नहीं है। (विघ्न) आप सुनिये तो सही। स्पीकर सर, श्री ..... जी उस समय लोकसभा के सदस्य थे और श्री मदन लाल खुराना उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे जब यह बात आई There and then they regisned from their posts. (Interruptions.) उन्होंने यह एलान किया था कि जब तक इस जांच की रिपोर्ट नहीं आयेगी, हम निर्दोश साबित नहीं होंगे तब तक चुनाव नहीं लडेंगें। श्री .... जी ने पार्टी के आग्रह करने के बाद भी चुनाव नहीं लडा और सी0बी0आई0 की जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह पाया गया है कि श्री ..... और वी0सी0 भ्ाुक्ल के खिलाफ चार्ज भ्ाीट देने के लिए या चालान करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। (विघ्न)

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें और एड करता हूं कि इनके सारे नेता हवाला कांड में फंसे हुए हैं। इनके एक नेता श्री कमलनाथ ने जो हवाला कांड में फंसे हुए हैं, अपनी घर वाली से लोकसभा की सीट से त्याग पत्र दिला कर खुद चुनाव लडा था, खुद टिकट लेकर चुनाव लडा और हार गया।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी किसी की व्यक्तिगत रूप से चर्चा न करें। इनका जीवन पाक साफ है, यह हम भी कहते हैं। लेकिन जिस पार्टी की ये बात कर रहे हैं, वह पार्टी राजनीतिक भ्रश्टाचार का पर्याय बन गई है। पिछले दिनों दिल्ली में 'एच0के0एल0 भगत की चारपाई कल्पनाथ के साथ' एक रूपए में, यह बात कहते हुए अखबार बिक रहे थे। अध्यक्ष महोदय वहां तो अखबार इसी नाम से बिकते हैं यानि कि कांग्रेस का चुनाव नि ाान तिहाड जेल का दरवाजा बनने जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री रहा हुआ आदमी, अखिल भारतीय पार्टी का अध्यक्ष रहा हुआ आदमी, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे कि मेरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के बंद कमरे में नहीं बल्कि पटियाला हाउस में की जाए। तथा विज्ञान भवन में वे पैरवी मांगे, अच्छी बात नहीं है। उस पार्टी की बीरेन्द्र सिंह जी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन ये बेचारे तो ऊपर ऊपर से ही बोल रहे हैं, परन्तु फिर भी बात जम नहीं रही है। (हंसी)

श्री बंसी लालः भीतरले में इनके भी नहीं जम रही है। (हंसी)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बैठक का समय एक घंटे के लिए और बढाया जाए।

श्री अध्यक्षः अगर इस सदन की सहमति हो तो बैठक का समय एक घंटे के लिए और बढा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है बैठक का समय एक घंटे के लिए बढाया जाता है।

दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

स्थानीय भाासन मंत्री (डॉ0 कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। श्री लाल कृश्ण आडवाणी जी का नाम सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। (ाोर)

श्री अध्यक्षः ठीक है, श्री लाल कृश्ण आडवाणी जी का नाम सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री जगन नाथः स्पीकर सर, हम तो बोलत हैं 'जय ि ाया राम' लेकिन ये बोलते हैं 'जय सुख राम' (हंसी)

डॉ0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस भी 'सी' से भुरू होती है और 'क्रप ान' भी 'सी' से भुरू होती है। कांग्रेस और क्रप ान एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। (हंसी)

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खु ाी है कि दोनों पार्टियों की गठबंधन की सरकार एक दूसरी पार्टी की मदद करती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ बी0जे0पी0 और हरियाणा विकास पार्टी के ही मुख्य मंत्री नहीं हैं, बल्कि हमारे इस सदन के तथा हरियाणा प्रदे ाके मुख्य मंत्री भी हैं। खुराना जी पता नहीं इनके बारे में क्या बोल गए, हम तो बर्दा त नहीं करेंगे। (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, ऐसा बोलने की तो बीरेन्द्र सिंह जी की कला है। खुराना जी हमारे मुख्य मंत्री जी के बारे में कुछ नहीं बोल गए। वे तो इनकी बहुत प्र ांसा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पीछे मिलिटरी के जितने भी जनरल रिटायर हुए हैं, वे सभी बी0जे0पी0 ज्वाईन कर चुके हैं। कुछ दिन पहले अभी जब श्री खुराना जी यहां आए तो मिलिटरी के जनरल्ज का नाम लेकर वे कहते थे कि चौधरी बंसी लाल जी का डिफैंस मिनिस्टर के रूप में एक बहुत ही अच्छा नजरिया था तथा उनके काम से डिफैंस पर बहुत अच्छा प्रभाव पडा। इस प्रकार से वे इनकी प्र ांसा ही कर रहे थे।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि जब जब दे ा में बी0जे0पी0 कांग्रेस पर करारी मार मारती है, तब तब चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी इसका बदला निकालने की कोि ा ा करते हैं। कल रात ही यह फैसला हुआ कि यू0पी0 में बी0जे0पी0 और बी0एस0पी0 की सरकार बनने जा रही है और मायावती जी मुख्य मंत्री बनेंगी तथा 6 महीने के बाद कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री बनेंगे। इसलिए कांग्रेसियों की नींद हराम हो रही है। (हंसी)

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी कल मायावती की ओथ के अवसर पर लखनऊ जाने वाले हैं। (हंसी)

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी लोकपाल विधेयक के परिप्रेक्ष्य में प्रजातंत्री पर, बहुत ही मौलिक मुद्दे पर बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मित्र प्रजातंत्र की बात करें तो बात जमती नहीं है। क्योंकि पिछले 50 सालों के राजनीतिक इतिहास में प्रजातंत्र को जिस तरह से फाडकर चीर चीर किया गया है, उसके लिए कोई जज 4 भाब्द भी नहीं लिख सकता। एक अयोध्या की बात को लेकर 4 प्रांतों की चुनी हुई सरकारैं जिनका किसी का 4 साल, किसी का 5 साल तथा किसी का 3–1/2साल पीरयड बाकी था, को किस तरह से तहस नहस करन दिया गया। लोगों के जजबात को किस तरह से बेरहमी से कुचला गया और किस तरह से गंगा यमुना के किनारे ब्रहम दत्त

द्विवेदी की हत्या की गई, आपकी पार्टी के नेता जोगिन्द्र सिंह की हत्या की गई ? किस प्रकार का गदर मचा हुआ था ? वहां पर क्यौंकि हमारा सबसे बडा दल है, इसलिए हमने एक प्रजातांत्रिक रास्ता निकाला है। अब इनको तकलीफ यह हो रही है कि हमने मायावती के पौंची कैसे बांधी। ये मेरे भाई दलितों के नाम पर राज करते रहे हैं। हरिजनों के नाम पर राज करते हैं। (विघ्न) करतार देवी जी ये आपको तरकारी बनाकर खा जाएंगे आप इनके पक्ष मैं मत बोलें। हरिजनों का कल्याण तो हमने किया है। दलितों को तो हमने गले से लगाया है। जिस पार्टी के 60 एम0एल0एज0 हों और हमारी पार्टी के 200 एम0एल0एज0 हों उसको नेतृत्व स्वीकार करना एक बहुत बडी बात है। यह कलेजे की बात है। जिस तरह से दलितों को हमने गले से लगाया, उसी तरह से हमने उनकी बात मानी है। (ाोर)

डॉ0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि हविपा और भाजपा की सरकार में हम सारे चीफ मिनिस्टर हैं उसमें ट्रांसपेरैंसी है। बीरेन्द्र सिंह जी आपको यह बात कहने की जरूरत नहीं है वहां भाजपा के किसी सदस्य को भी 6 महीने के बाद चीफ मिनिस्टर बनाना पडेगा हमारी सांझा सरकार में सारे चीफ मिनिस्टर हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं लोकपाल विधेयक पर बोल रहा हूं। लोकपाल विधेयक इसलिए लाने की जरूरत पडी क्योंकि सारी व्यवस्था खराब होती जा रही है। आज ये मायावती

को राखी बांधने की बात करते हैं। जब ये उनको चार महीने राखी बांध कर फिर तोड कर चले गए थे, तब कहां गई थी बी0जे0पी0।

श्री राम बिलास भार्माः भाण्डे कई बार खडकते हैं, परन्तु आपकी तरह टूटते नहीं हैं वह तो हमारी आपस की बात है।

श्री कर्ण सिंह दलालः पहले आप कांग्रेस पार्टी छोड कर कांग्रेस तिवाड़ी में चले गए और फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए।

श्री बीरेन्द्र सिंहः हमने राखी वाखी किसी को नहीं बांधी।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने राखी नहीं बांधी ये तो सूत का गठड़ उठा कर ले गए थे। (हंसी)

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि राखी तोड कर ले गए, इस बात पर मुझे पंडित लख्मीचन्द की दो लाईनें कहनी हैं कि देवर भाभी लड़े यह ओसी लड़ाई ना सै। (हंसी)

Mr. Speaker: Mr. Birender Singh Ji, please conclude.

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, लोकपाल विधेयक से प्रजातंत्र के अंदर एक स्वस्थ वातावरण बनेगा। जो व्यक्ति भ्रश्टाचार को ही राजनीति मानते हैं उनसे लडने का मौका

मिलेगा। जिस गरीब आदमी से दो लाख रूपए रि वत के लिए गए, उस गरीब आदमी को रि वत लेने वाले के खिलाफ ि ाकायत करने का मौका मिलेगा। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक ढांचे में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर जगह नहीं है, इस नोटंकीबाजी से इस दे ा में एक सबसे अच्छे नेता को सरकार बनाने का मौका मिला,ख श्री अटल बिहारी वाजपेई जी को लेकिन गलती से उनकी पार्टी गलत थी। राश्ट्रपति महोदय ने अटल बिहारी वाजपेई जी को सरकार बनाने का मौका दिया और कहा कि आप बडे भले आदमी हैं। दे ा के दूसरे राजनीतिक दल भी आपको भला मानते हैं, आप सरकार बनाएं।

डॉ0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगी कि श्री वाजपेई जी ने राजनीति का व्यापारीकरण नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि लोकसभा में सांसदों को खरीद कर प्रधान मंत्री बने, उन्होंने व्यापारीकरण नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगली बार आएंगे तो पूरे बहुमत के साथ आएंगे। यह काम तो आपके नेता चौधरी भजन लाल ही कर सकते हैं जो 1980 मैं 36 विधायकों को लेकर कांग्रेस में भाामिल हो गए और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों की खरीदो फरोख्त कर सी0बी0आई0 का मुकदमा झेल रहे हैं। क्या बाजपेई जी भी इसी तरह से करते ?

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं पार्लियामैंट की बात करूंगा। वह सदन प्र ांसा का पात्र है क्योंकि साम्प्रदायिक ताकतों का साथ देने के लिए सिर्फ 3 एम0पीज0 चौधरी बंसी लाल जी की

पार्टी के छोड कर, हरियाणा प्रान्त का कोई एम0पी0 उनके साथ नहीं गया। और इस बात का सबूत है कि इस दे ा की जनता जात पात और साम्प्रदायिकता से दूर रहना चाहती है। इसलिए बे ाक आज का प्रधान मंत्री 46 आदमियों की पार्टी का प्रधान मंत्री हो लेकिन एक सबसे बडी पार्टी जो है, वह उस राज को चलाये हुए है क्योंकि इस दे ा के लोगों ने प्रजातंत्र में इस दे ा की साम्प्रदायिक ताकतों और जातिवाद से लडना है। (विघ्न) उसी लड़ाई का कारण है (विघ्न) आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। (विघ्न)

डॉ0 कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इनकी पीडा सच्ची है। यह इतने धर्म निरपेक्ष हैं कि लोगों ने स्वीकार नहीं किा। ये दिल्ली में हारे, महाराश्ट्र में हारे और पंजाब में हारे। इसके अलावा जितने भी बाई इलैक ान हुए, वहां पर हारे। आपकी पार्टी की क्या हालत हो रही है, स्वयं सोचो।

श्री अध्यक्ष: ये कब कह रहे हैं कि ये जीते हैं। ये खुद मानते हैं। आपको वैसे ही बहम हो गया है। बीरेन्द्र जी, आप जल्दी करिये।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही खत्म कर देता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस दे ा के लोगों को जब भी मौका मिला, राजनीतिक फैसले करने का उन्होंने सही फैसले दिये। लोगों के फैसले कभी गडबडाया नहीं करते। फैसले तब गडबडाया करते हैं जब लोगों द्वारा राजनेताओं को सत्ता सौंपने

के बाद उन राजनीतिज्ञों द्वारा गलत फैसले होते हैं। लोगों के फैसले कभी गलत नहीं होते। अबकी बार हरियाणा में भी लोग कोई फैसला नहीं कर सके कि किस पार्टी को बहुमत दें। (विघ्न) वह किसी एक दल के पक्ष में फैसला नहीं दे सके। उसकी वजह यह है कि लोग नए सिरे से वि वास पैदा करना चाहते हैं। लोग जिसको चुनकर भेजेंगे स्वार्थ से ऊपर उठकर भेजेंगे। (विघ्न) मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री जी लोकपाल बिल तो ले आये हैं। मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आपने जो 28 मंत्री बनाए हुए हैं, इनकी जायदाद की सूची आप सभी से ले लें। (विघ्न)

श्री बंसी लालः सब ने दे रखी है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः यदि दे रखी है तो वह सब की सब अखबारों में प्रकाि ात करवा दें ताकि हरियाणा के लोगों को पता चल सके कि किसी मंत्री के पास मंत्री बनने से पहले कितनी संपत्ति है, कितने हाथी घोडे हैं। उसके बाद जब दो तीन साल बीत जायें तो लोगों की पैनी निगाह देख सके कि किसी मंत्री के पास अब मंत्री बनने के बाद कितनी सम्पत्ति है और वे यह देख सकें कि किसी का वि वास डगमगा तो नहीं गया। (विघ्न) ठीक है, सभी सदस्यों की सम्पत्ति की सूची ले ली जाये और उनकी भी प्रकाि ात की जाये, ऐसी व्यवस्था भी आप करें। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी चाहता हूं कि नौकर ााही के ऊपर भी अंकु ा लगना चाहिए। नौकर ााह, आई0ए0एस0,

आई0पी0एस0 व एच0सी0एस0 को समाज में बडा मान मिलता है। उसकी दौलत यही है कि वह दे ा के 3, 4, 5 हजार आदमियों में से आता है। उसको सबसे बडा सम्मान यही है कि उसने दे ा की 25, 30, 35 सालों तक सेवा करनी होती है। अगर किसी आई0ए0एस0 आफिसर ने या किसी बडे अधिकारी ने पैसा कमाना है तो बिजनैस मैनेजमैंट की ट्रेनिंग करके वे किसी बडी कम्पनी मैं नौकरी कर सकते हैं। यदि किसी अधिकारी को अपनी आर्थिक अवस्था ठीक करनी है, तो वह भी किसी बडी कम्पनी में जो सकता है लेकिन जो बडे बडे अधिकारी हैं और बडे ऊंचे पदों पर बैठे हैं जिनके फैसले से ट्रैजरीज से पैसे निकलते हैं उनके काम की ट्रांसपेरैंसी होनी चाहिए और उनसे सम्पत्ति का ब्यौरा लिया जाना चाहिए।

श्री बंसी लालः ऐसे लोग हर साल अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दैते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंहः मुख्य मंत्री जी यह बात मैं जानता हूं कि ये ब्यौरे किस प्रकार के होते हैं जो कि सरकारी दफ्तरों में दिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारियों की हरियाणा की जनता के प्रति सबसे बडी सेवा यही है कि वे ईमानदारी से और सेवा भाव से अपने कार्य को करें और निजी स्वार्थ से ऊपर उठ कर उनको काम करना चाहिए। अगर कोई क्र ान होती है तो उसको रोकने के लिए प्रिंवैटिव मेयर लेने जरूरी हैं, वह बतौर लोक पाल की नियुक्ति भी हो सकता है। जो भी लोक पाल

लगाया जाए वह हाई कोर्ट का जज हो सकता है। अगर किसी के खिलाफ चार्जिज लगते हैं तो उनको फैसला करने में ज्यादा देरी न हो, इसके लिए एक सब कमी ान की जरूरत पडेगी या मल्टी मैम्बर कमी ान के बारे में विचार करना पडेगा क्योंकि केवल एक व्यक्ति सभी केसों का निपटारा नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि एक मैम्बरी लोक पाल की नियुक्ति की स्थापना के लिए यह विधेयक लाया गया है। हरियाणा के राजनीतिक सिस्टम का जिस प्रकार का प्र ासनिक ढांचा है उसमें एक मैम्बरी लोक पाल सफि ेंट नहीं होगा क्योंकि जो भी कार्यवाही हो उसमें ट्रांसपेरैंसी की जरूरत है इसलिए मल्टी मैम्बर लोक पाल की स्थापना करनी चाहिए। अगर तीन मैम्बरी लोक पाल की स्थापना की जाएगी तो उससे सही, जल्दी और ठीक न्याय कम्पलेनैंट को मिल सकेगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जो कि सोचने और विचारने की बात है कि लोक पाल क्या करेंगे। कोई आदमी उनको ि ाकायत करेगा तो उस ि ाकायत की जांच कौन करेगा, लोक पाल का दायरा क्या होगा ? एक तो एक्ट के तहत वह कांफिडैंि ायल ि ाकायत की जांच खुद करे या फिर किसी दूसरी या तीसरी एजैंसी से उसकी जांच करवाए। यह सारा टाईम कन्जयूमिंग वर्क होगा, उसके बाद वह अपनी रिकमैंडे ान्ज करेगा। उन रिकमैंडे ान्ज को सरकार के पास भेजा जाएगा और फिर सरकार उस पर केस दर्ज करेगी। यह बडा लम्बा प्रोसैस है। साल, दो साल या अढाई तीन साल तो चार्जिज एस्टेब्लि ा होने में ही लग जाएंगे फिर उसके बाद विस्तार से जांच भाुरू होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि यह जो इतनी लम्बी डिले है इसको हम किस प्रकार से नैरो डाउन कर सकते हैं। फर्ज करो एक रिकमैंडिंग अधिकारी या डिफरैंट सर्वैंट के खिलाफ लोकपाल ने इन्कवायरी की है, उसका प्रोविजन क्या है क्या उसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मानेंगें या कि प्राईमाफेसिया मानेंगे। प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी उसके बाद होगी। If there is sufficient evidence against the person concerned then a regular enquiry would take place and after completing the regular enquiry, the recommendation would be sent to the Government and the Government would direct the Police Station or the authorities concerned to register a case against the person. यह कैसे एक्सपिडाईट कर सकते हैं या करवा सकते हैं यह बात भी बैठ कर सोचने की बात होगी। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर प्रोविजन किया गया है कि मुख्य मंत्री, स्पीकर ऑफ दि हाउस और कंसंर्ड चीफ जस्टिस से कंसलटे ान करेंगे और गवर्नमैंट उसे अप्वायंटमैंट करेगी। हमें यह खद ाा है कि जिस वक्त भी यह अप्वायंटमैंट होगी तो उस वक्त के मुख्य मंत्री द्वारा ही होगी। हम यह चाहते हैं कि इसमें लीडर ऑफ दि अपोजी ान को भी भाामिल किया जाए। इसके अलावा हम यह भी चाहते हैं कि हाउस में जिनकी पार्टी की मैजोरिटी 1/10 हो, उनको भी इसमें भाामिल किया जाए ताकि सिलेक ान के वक्त ठीक आदमी का चयन हो सके और लोगों का वि वास उसमें बना रहे। अध्यक्ष महोदय, कल मैं एक सक्मेलन में बोल रहा था तो किसी ने कहा कि फलां फलां

आदमी भ्रश्ट है और वह लूट कर खा गया। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारे अन्दर इतनी मौरेलटी होनी चाहिए कि उस आदमी का नाम लेकर कहें कि फलां आदमी पैसा खा गया है। अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो लोक पाल बिल से इस प्रदे ा को भ्रश्टाचार मुक्त इन्वायरमैंट मिलेगा।

Mr.Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of amendment to various clauses of the Bill from the Hon'ble Chief Minister. Now the Hon'ble Chief Minister will move the amendment.

मुख्य मंत्री (बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए एक बात सदन में रखना चाहता हूं। जब हमने पहले यह बिल बनाया था उसमें मेयर, सिनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर थे। इसी तरह से प्रैजिडैंट या वाइस प्रेजिडैंट या मैम्बर ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी प्रैजिडैंट या वाईस प्रैजिडैंट या मैम्बर ऑफ जिला परिशद तथा चेयरमैन या वाईस चेयरमैन या मैम्बर ऑफ पंचायत समिति, प्रैजिडैंट या वाईस प्रैजिडैंट या मैम्बर्ज ऑफ अपैक्स बॉडी, प्रेजिडैंट, वाइस प्रैजिडैंट, मैनेजिंग डायरैक्टर ऑफ को–आप्रेटिव सोसाइटी थे। इसमें जो मैम्बर्ज बाद में लगाए हैं वे सिलैक्ट कमेटी ने लगाए हैं हमने नहीं लगाए हैं। बहन करतार देवी जी ने जो कहा कि इस क्लाज को हटा दो तो उस बात पर हम एग्री कर गए हैं। हम आफिस बेयरर में मेयर, सिनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को रखेंगे, बाकी जो मैम्बर्ज हैं उनको हटा देंगे। क्लाज 2(6) में प्रैंजिडैंट, वाईस प्रैजिडैंट म्यूनिस्पैलिटी रखेंगे

उनके मैम्बर्ज को नहीं रखेंगे। क्लाज 2(6) में प्रैंजिडैंट, वाईस प्रैजिडैंट ऑफ जिला परिशद तथा चेयरमैन, वाईस चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति रखेंगे। इन्होंने जो सुझाव दिया है उसको हम मानते हैं। प्रैजिडैंट, वाईस प्रैजिडैंट, अपैक्स बौडी और इसके मैम्बर्ज को भी हम छोडते हैं। को–आप्रेटिव सोसाइटी के मैम्बर्ज को भी हम छोडते हैं। इसमें से हम प्रैजिडैंट, वाईस प्रैजिडैंट और मैनेजिंग डायेरैक्टर को रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, समता पार्टी की तरफ से एक सुझाव आया कि इसमें कंसलटे ान के लिए लीडर ऑफ दी अपोजि ान भी हो। तो जहां हम हरियाणा असैम्बली के स्पीकर महोदय को रख रहे हैं वहीं पर मैं यह अमैंडमैंट भी मंजूर करता हूं कि हम लीडर ऑफ दि अपोजि ान को भी इसमें रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो 20 साल वाली बात आई है उसको हम 10 साल करने जा रहे हैं। (विघ्न) जब वोटिंग होगी तब आप वोट डाल लेना। मैं इससे इंकार तो नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, समता पार्टी की तरफ से एक बात और आयी। अध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्लाज 10(2) में लिखा हुआ था–

"Every complaint involving an allegation or grievance shall be made in such form, and in such manner and shall be accompained by such affidavit as may be prescribed. However, the Lokpal may dispense with such affidavit in any appropriate case."

अब हम एप्रोप्रिएट केस की जगह कर रहे हैं appropriate case for reasons to be recorded in writing तो

अध्यक्ष महोदय, इन अमैंडमैंटस के साथ अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब तो हमें भाायद एल0आर0 से भी पूछना पडेगा कि क्या अब यह बिल 1997 बन जाएगा ?

श्री अध्यक्षः ऐसा है बिल तो वही रहेगा लेकिन ऐक्ट 1997 का बन जाएगा।

Question is-

That the Haryana Lokpal Bill, 1996 as reported by the Select Committee be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): Speaker, Sir, with your permission. I move the following amendments :-

Clause 2

In the proposed Sub-cluase(J) of clause 2, substitute the following, namely :-

"(1) in item (v) for the words "Deputy Mayor or a member of a Municipal Corporation", the words "Deputy Mayor of a Municipal Corporation" shall be substituted;

(2) in item (vi), for the words "Vice-President or a Member", the words "Vice-President" shall be substituted;

(3) in item (vii), for the words and sign "Vice-President or a member of a Zila Parishan and a Chairman, Vice-Chairman or Member", the words and sign "Vice-

President of a Zila Parishad and a Chairman, Vice-Chairman" shall be substituted;

(4) in item (vii), for the words "Vice-President or member", the words "Vice-President" shall be substituted;

(5) in item (ix), for the words "Manging Director or a member", the words "Managing Director" shall be substituted."

Clause 3

In the proposed proviso to Sub-clause (1) of clause 3, for the word and sign "Assembly", the words and sign "Assembly, Leader of the Opposition" shall be substituted.

Clause 9

In sub-clause (c) of clause 9, for the words "twenty years", the words "ten years" shall be substituted.

Clause 10

In the proposed sub-clause (2) of clause 10, for the words "appropriate case", the words "appropriate case for reasons t be recorded in writing" shall be substituted.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub clause (2) and (3) of clause

Mr. Speaker: Question is-

That Sub clause (2) and (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

That in the proposed Sub-cluase(J) of clause 2, substitute the following, namely :-

"(1) in item (v) for the words "Deputy Mayor or a member of a Municipal Corporation", the words "Deputy Mayor of a Municipal Corporation" shall be substituted;

(2) in item (vi), for the words "Vice-President or a Member", the words "Vice-President" shall be substituted;

(3) in item (vii), for the words and sign "Vice-President or a member of a Zila Parishan and a Chairman, Vice-Chairman or Member", the words and sign "Vice-President of a Zila Parishad and a Chairman, Vice-Chairman" shall be substituted;

(4) in item (vii), for the words "Vice-President or member", the words "Vice-President" shall be substituted;

(5) in item (ix), for the words "Manging Director or a member", the words "Managing Director" shall be substituted."

Mr. Speaker: Question is –

That in the proposed Sub-cluase(J) of clause 2, substitute the following, namely :-

"(1) in item (v) for the words "Deputy Mayor or a member of a Municipal Corporation", the words "Deputy Mayor of a Municipal Corporation" shall be substituted;

(2) in item (vi), for the words “Vice-President or a Member”, the words “Vice-President” shall be substituted;

(3) in item (vii), for the words and sign “Vice-President or a member of a Zila Parishan and a Chairman, Vice-Chairman or Member”, the words and sign “Vice-President of a Zila Parishad and a Chairman, Vice-Chairman” shall be substituted;

(4) in item (vii), for the words “Vice-President or member”, the words “Vice-President” shall be substituted;

(5) in item (ix), for the words “Manging Director or a member”, the words “Managing Director” shall be substituted.”

The motion was carried.

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): यह क्लाज 2 में जो डैफीने ांज है इन डैफीने ांज के बारे में मुख्य मंत्री जी ने आल पार्टी मैंम्बर्ज को बुलाया था। कुछ सदस्यों ने इंडियन पीनल कोड के हवाले से गवर्नमैंट सर्वेन्ट की डैफिने ान के बारे में कहा लेकिन हिमाचल प्रदे ा ने उनके लिए एक क्लाज अलग से बनाई है। जो इस प्रकार है–

Officer means the Chief Secretary, Principal Secretary, Secretary, Additional Secretary, Special Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary and Under Secretary to the Government of Himachal Pradesh of whatever name he may be called:.

Clause 2 says-

"Head of the Department of State Government and any other Government Servant to be notified by the State Government."

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 अधिकारियों को सिंगल आउट करना ठीक नहीं रहेगा। इसमें सब कवर्ड हैं अगर हमने लिख दिय तो बाकी कह देंगें कि हम तो इसमें आते नहीं हैं। इसमें जो आई0पी0सी0 का है वह इतना कंपलीट है, इतना वाइड है कि उसमें सब कुछ कवर हो जाता है और कोई चीज बाकी नहीं बचती। अभी तो बीरेन्द्र सिंह जी ऐग्री कर रहे थे।

श्री बीरेन्द्र सिंह: मैं अब भी ऐग्री कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि उन्हौंने डैफीने ान में अलग से क्लाज डाली हुई है। They have not referred to it.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion ws carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Motion moved-

That the proposed proviso to Sub-clause (1) of clause 3, for the word and sign "Assembly", the words and sign "Assembly, Leader of the Opposition" shall be substituted.

Mr. Speaker: Question is-

That the proposed proviso to Sub-clause (1) of clause 3, for the word and sign "Assembly", the words and sign "Assembly, Leader of the Opposition" shall be substituted.

The motion was carried.

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का मौका दीजिए। इसमें लीडर ऑफ दि रिकागनाइजड पार्टी होना चाहिए।

श्री बंसी लालः हम तो सिर्फ लीडर ऑफ दि अपोजि ान को कन्कलूड करेंगे। ग्रुप तो पता नहीं कितने हो जाएं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवालाः अध्यक्ष महोदय, क्लाज–3 के बारे में आपने जो किया है उस पर हमने अमैंडमैंट दे रखी है।

श्री अध्यक्षः आपकी अमैंडमैंट 1 बजकर 32 मिनट पर आई है। वह डिस अलाऊ हो गई है।

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3, as amended, stand part of the Bill.

The motion ws carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 4, as amended, stand part of the Bill.

The motion ws carried.

Clause 5

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवालाः सर, हमने अपनी अमैंडमैंट भेज रखी है। उसको कंसीडर करिये।

14.00 बजे।

कैप्टन अजय सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमने अमैंडमैंट भेज रखी है कि दस हजार से 25 हजार का फाईन बढाया जाये और (विघ्न) (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कप्तान साहब आप बहुत पुराने सदस्य हैं और मंत्री भी रहे हैं। Captain Sahab, plese take your seat, that has been dis-allowed.

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, हमने इनकी सारी बातों पर तो एग्री कर लिया है। एक बात दस साल से पांच साल से करवाना चाहते हैं वह हमने नहीं मानी है। यह जरूरी नहीं कि इनकी हर बात को एग्री करें। (विघ्न) मैं गलत काम नहीं करता। जो जायज बात मानने की थी वह मान ली है। यह आपकी बात जायज नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः सुर्जेवाला जी आई वार्न यू। कप्तान साहब आप भी बीच में वैसे ही खडे हो जाते हैं। सब पार्टियों के लीडर्ज की मीटिंग हुई थीं और जो बात जायज थी, वह मान ली है।

श्री बंसी लालः मैं मानता हूं कि समता पार्टी के साथियों ने दस वाल वाली बात को नहीं माना है वे चाहते थे कि या तो पांच साल की अवधि की जाये या जब से हरियाणा बना है तब से इस लोक पाल बिल को लागू करें। हम बीस साल की बात भी करना चाहते थे लेकिन एल0आर0 ने कहा कि इससे कई कम्पलीके ांज हो जाएंगी इसलिए 20 साल न करें। क्योंकि पंजाब में 11 साल किया गया है और हिमाचल में 10 साल किया है इसलिए हम भी दस साल कर रहे हैं। हम किसी के साथ रियायत नहीं कर रहे हैं। (विघ्न) आप इसके खिलाफ वोट दे देना। मैं कह रहा हूं कि हमने आपकी बात पर एग्री नहीं किया है। मैं कोई बात छिपा नहीं रहा हूं।

वाक आउट

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो हम इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन ने ानल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य वाक आउट कर गए।)

दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मीटिंग में सभी पार्टियों के नुमाइंदे थे, हम भी थे। Sarvshri Birender Singh, Ashok Kumar, Balwant Singh Maina and Ajay Singh were there. वैसे तो यह कभी नहीं होता है लेकिन मुख्य मंत्री जी ने सभी दलों के प्रतिनिधि बुलाए। In the meeting, they were agreed. इसलिए इस बिल को सर्व सम्मति से लेकर के आए हैं। इसका तो मतलब हुआ कि ये इस लोकपाल बिल का विरोध कर रहे हैं।

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 9

Mr. Speaker: Motion moved-

That in sub-clause (c) of clause 9 for the words "twenty years" the words "ten years" shall be substitued.

श्री बलवंत सिंहः अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि यह लोकपाल बिल 1966 से लागू होना चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मैंने तो हाऊस में यह बात मान ली थी कि जब से हरियाणा बना है तब से इस बिल को लागू करेंगे लेकिन एल0आर0 और एडवोकेट जनरल में हमें राय दी है कि अगर हम इसको पिछले 20 साल से लागू करते हैं तो हम कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकेंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, पंजाब ने यह बिल 11 साल के लिए पास किया है, हिमाचल प्रदे ा ने 10 साल के लिए पास किया था तथा हम भी 10 साल के समय के लिए इसको पास करवा रहे हैं। इससे ज्यादा समय का अगर हम करते हैं तो हम कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकेंगे क्योंकि ऐसी एल0आर0 और एडवोकेट जनरल की राय है। (ाोर) इन सभी के रूबरू एल0आर0 की और हमारी बात भी हुई है। (ाोर) अगर फिर भी ये इसके खिलाफ वोट देते हैं तो कोई बात नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि या तो यह बिल जब हरियाणा बना है यानि 1 नवम्बर 1966 से लागू किया जाए या आज से लागू किया जाए।

ि ाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): स्पीकर साहब, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि या तो इसको जब से हरियाणा बना है तब से लागू करो या आज से लागू करो। हम इस बारे में लीगल एक्सपर्टस की राय लेकर इसको 10 साल पीछे से लागू कर रहे हैं। यदि हम इसको बहुत पीछे से लागू करेंगे तो यह कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक असैंट के लिए राश्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा। अगर इसमें कोई कमी होगी तो वह गवर्नमैंट ऑफ इंडिया हमें बता देगी।

श्री कृश्ण लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के बारे में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः मैंने आपको व र्न सुन लिया है आप बैठ जाएं।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रामपाल माजरा वहां कह रहे थे जहां हम बैठ कर बिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मुख्य मंत्री जी इसमें आप बच जाओगे। मैं इनको बता दूं कि मैं तो बचता नीं। क्यों नहीं बचता क्योंकि मैं तो चाहे आप इसको आज से लागू कर लो तब भी नहीं बचता और 10

साल पीछे से लागू कर लो तो फिर नहीं बचता। मैं 1985–86 में भी मुख्य मंत्री था इसलिए मैं फिर भी नहीं बचता। मेरा खाता तो खुला है।

श्री रामपाल माजराः स्पीकर साहब, कहीं इन्होंने उन जवानी के दिनों में कोई गलती कर दी होगी। फिर भी हमारी यह इच्छा नहीं है कि चौधरी बंसी लाल जी कहीं फंसें। मुख्य मंत्री जी ने पिछले सै ान में ऑन दि फलौर ऑफ दि हाउस यह कहा था कि इस बिल को जब हरियाणा बना है तब से लागू कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आज ये इस बिल को उस दिन से लागू नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें भांकांए हो रही हैं।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्वायंट को क्लीयर कर देता हूं। इन्सान से जवानी में गलती हो जाती है। क्योंकि इन्सान गलतियों का पुतला है, इसलिए गलती कर भी देता है। अध्यक्ष महोदय, जब 1977 में इनकी पार्टी की सरकार थी उस समय मेरे ऊपर, मेरे लडके पर, मेरी लडकियों पर झूठे मुकदमें बनाए गए यहां तक कि मेरी अनमैरिड लड़की तक को चौधरी देवी लाल ने मुलजिम बनाया। हमने हाई कोर्ट से जमानत कराई। मेरे घरों की, मेरे रि तेदारों के घरों की 6–6 अैर 7–7 बार तलाि ायां की गई। चौधरी देवी लाल की सरकार ने मेरे खिलाफ 4 कमि ान बिठाए। तीन कमि ान्ज की रिपोर्ट तो पार्लियामैंट की टेबल पर रखी गई। और एक कमि ान की रिपोर्ट इस सदन की टेबल पर रखी गई। इसलिए इन मेरे भाईयों को मेरे बारे में कोई

गलतफहमी न रहे। इस बिल को जितना पीछे से लागू करेंगे उससे इन्हीं को नुक्सान है मेरे को नहीं।

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर साहब, इस लोकपाल बिल का हमें बहुत दिनों से इंतजार था। आज हमारे मुख्यमंत्री जी बडी अच्छी भावनाओं के साथ इस बिल को सदन में लेकर आए हैं। सारे माननीय सदस्यों ने इस बिल की तारीफ की है। स्पीकर साहब, इस बिल को बहुत पीछे से लागू करने से और आज से लागू करने से इसका औचित्य खत्म हो जाता है। अगर इस बिल को आज से लागू करेंगे तो इसका क्या औचित्य है। चौधरी साहब ने अभी कहा था कि हमने इस बिल के बोर में एल0आर0 से राय ली है और उन्हौंने यह राय दी है कि अगर इस बिल को बहुत पीछे से लागू करोगे तो यह कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा इसलिए इसको 10 साल पीछे से लागू कर रहे हैं। स्पीकर साहब, हरियाण डिफैक ान के कारण सबसे ज्यादा बदनाम हुआ है। 1980 से इस बुरी बात की भाुरूआत हुई, तो यह बिल 1980 की डिफैक ान से लागू किया जाए।

श्री अध्यक्षः आप सभी माननीय सदस्यों के व र्ान सुन लिए गए हैं। उस मीटिंग में माजरा साहब, भी थे, कैप्टन साहब भी थे और लीडर ऑफ दि हाउस भी थे। Even then I shall put it to the division.

Mr. Speaker: Question is-

That in sub-clause (c) of clause 9 for the words "twenty years" the words "ten years" shall be substitued.

After ascertianing the votes of the Members by voices, Mr. Speaker announced that 'Ayes' have it, whereupon division was claimed Mr. Speaker after calling upon those Members who were for 'Aye' and those who were for 'No', respectively, to rise in their places and on a count having been taken declared that the motion was carried.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 9, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

आवाजें: इस क्लाज की प्रोवीजन्ज के विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित समता पार्टी के सभी सदस्य वाक आउट कर गए।)

वाक आउट

दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

Clause 10

Mr. Speaker: Motion moved-

That in proposed sub-clause (2) of clause 10, for the words “appropriate case”, the words “appropriate” case for reasons to be recorded in writing” shall be substitued.

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, यह क्लाज तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने विधायकों के भत्ते बढाने संबंधी कहा था।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप बैठिये।

Mr. Speaker: Motion moved-

That in proposed sub-clause (2) of clause 10, for the words “appropriate case”, the words “appropriate” case for reasons to be recorded in writing” shall be substitued.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 10, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 11 to 23

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 11 to 23, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Coasue (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (1) of clause 1stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Titel be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Hon'ble Chief Minister will move that the Bill be passed.

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट एक बात कहना चाहूंगा। मैं सदन की भावना को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस माननीय सदन के बहुत कम साथी हैं जिनकी भाादियां होनी हैं। हममें से अधिकतर लोग उस उम्र में आ गए हैं जहां हमारे बच्चों की भाादियां होनी हैं। आजकल जो फै ान है उसमे लड़के से पूछते हैं कि उसकी तनख्वाह कितनी है या वह क्या कारोबार करता है। अगर खुद कारोबार नहीं करता है तो बाप की कितनी आमदनी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले सै ान में एम0एल0एज0 के एमोलुमैंटस बढाने की बात की थी लेकिन उस बारे में कोई विचार विम ार्श नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्षः बीरेन्द्र सिंह जी, यह समय इस बात के लिए नहीं है अभी बिल की बात है।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(2) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल 1997

Mr. Speaker: Now the Development Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

Development Minister (Sh. Kanwal Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 1997.

Sir, I also beg to move that-

The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken int consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken int consideration at once.

बैठक का समय बढ़ाना

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमि ान यह है कि बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढा लिया जाए।

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by 15 minutes ?

Voices: Yes.

Mr. Speaker: The time is extended by 15 minutes.

दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल 1997 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Question is-

The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken int consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Development Minister will move that the Bill be passed.

Development Minister (Sh. Kanwal Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(3) दि इंडियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker: Now the Revenue Minister will introduce the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

Revenue Minister (Sh. Suraj Pal Singh): Sir, I beg to introduce the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 1997.

Sir, I also beg to move that-

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, be taken int consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, be taken int consideration at once.

श्री कृश्ण लाल (असंध, अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, रैवेन्यू मिनिस्टर यह जो अमैंडमैंट बिल लाए हैं मैं इसका विरोध करने के लिए खडा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री करवाने जाता है तो तहसीलदार उस पर आब्जैक ान लगा देता है कि यह रजिस्ट्री कम पैसे की करवा रहा है। जब उस पर आब्जैक ान लगता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट रैवेन्यू आफिसर के पास जाना पडता है उसके बाद एस0डी0एम0, फिर डिप्टी कमि नर के पास जाता है। अगर वहां भी बात न बने तो वह सै ान जज के पास जा सकता है। यह सरकार ज्यूडि ारी से बचने के लिए यह पावर कमि नर को दे रही है। अगर ऐसा होगा तो आम आदमी सरकार के हाथों में कठपुतली बन कर रह जाएगा। यह सरकार ज्यूडि ारी से बचने के लिए ऐसा कर रही है मैं इस अमैंडमैंट बिल का विरोध करता हूं।

Mr. Speaker: Question is-

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, be taken int consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Revenue Minister will move that the Bill be passed.

Revenue Minister (Sh. Suraj Pal Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(4) दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker: Now the Education Minister will introduce the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

ि ाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): स्पीकर सर, मैं कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय (सं ाोधन) विधेयक, 1997 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय (सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill, be taken int consideration at once.

डॉ0 वीरेन्द्र पाल अहलावत (बेरी): अध्यक्ष महोदय, हमारे ि ाक्षा मंत्री जी इस बिल के माध्यम से जो ये अमैंडमैंटस लेकर

आए हैं इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी संस्था और वि ोशकर वि वविद्यालय जैसी संस्था जहां पर ज्ञान वितरित किया जाता हो, जहां पर नागरिकों को चरित्र निर्माण करके इस दे ा का उज्जवल भविश्य बनाने की बात की जाती हो तथा जहां तक सभी मनुश्यों का भाारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक भाक्तियों का विकास करके उनको अपने पैरों पर खडे करने लायक बनाया जाता हो तो ऐसी ि ाक्षा संस्थाओं की कार्य प्रणाली के अंदर वहां की मौजूदा परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए अमैंडमैंटस लाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम किसी संस्था के अंदर सुधार के लिए अमैंडमैंटस नहीं लाएंगे तब तक उसकी प्रगति रूक जाती है तथा वहां विपरीत स्ट्रैगने ान आ जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नोटिस में यह बात लाना चाहूंगा कि हमारे ि ाक्षा मंत्री जी जो कि स्वयं एक ि ाक्षाविद हैं, इस बिल के द्वारा जो ये अमैंडमैंटस लेकर आए हैं, इनसे ि ाक्षा का स्तर सुधरने के बजाए और ज्यादा निम्न स्तर तक ही जाएगा। क्योंकि अगर आप इस बिल पर नजर डालें तो स्पश्ट हो जाता है कि सरकार की जो नीयत है, सरकार का जो वि वास है, वह रूल ऑफ लॉ में न होकर व्यक्ति वि ोश के अंदर ज्यादा है। 1986 के एक्ट की सैक ान 11–बी में यह स्पश्ट है कि रजिस्ट्रार की अप्वायंटमैंट गवर्नमैंट द्वारा नि ि चत की गयी टर्म्ज एंड कंडी ांज को समाप्त करके सरकार की ऐडवाइस पर जो कि किसी टर्म एंड कंडी ांज पर आधारित न हो, की जाए और रजिस्ट्रार ऐसी भाक्तियों को इस्तेमाल करने की डियूटीज परफॉर्म करे जिनका

स्टेचूटस के अंदर वर्णन न हो तो उनके अनुसार ही वह डियूटीज परफॉर्म करे। हमारे इन अमैंडमैंटस बिल के अंदर इस बारे में जो सुझाव किया गया है उसके अनुसार वाईस चांसलर का सीधा रजिस्ट्रार की अप्वायंटमैंट पर नियंत्रण होगा और वह उसको डायरैक्ट निर्दे ा देगा। स्पीकर सर, यह बहुत ही हास्यास्पद है क्योंकि जहां यूनिवर्सिटी की स्टैचूट, ऐक्ट एंड रूल्ज उसको गाईड करते हैं तो उसके बजाए अगर कोई व्यक्ति वि ोश उसको गाईड करें तब मैं नहीं समझता कि यह किस ढंग से इस यूनिवर्सिटी के अंदर वहां के ि ाक्षा के वातावरण को सुधारने में सहायक होगा। यह मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि इस बात को कहीं पर भी स्पश्ट नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस एक्ट की सैक ान 21 की सब सैक ान 2 में किसी भी नये या अतिरिक्त स्टैचूट को अमैंड या रिपील करने के लिए ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल यूनिवर्सिटी की किसी भी अथोरिटी को, उसकी पावर को या स्टैचूट को परिवर्तित करेन के प्रस्ताव को प्रभावित करने वाली जब तक नहीं बनेगी या सं ाोधित नहीं करेगी जब तक अथोरिटी को लिखित राय व्यक्त करेन का समय न दिया जाए और उसके द्वारा व्यक्त की गयी ओपिनियन ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा कंसिडर न की जाए। अध्यक्ष महोदय, तब तक ये अमैंडमैंटस नहीं होनी चाहिएं जब तक ये सारी बातें इनमें न आ जाएं। इसी तरह से हमारे प्रस्तावित जो सं ाोधन हैं उसमें इसके बजाय कि चांसलर सरकार की ऐडवाइस या अपने आप इलैक ान कमि ानर को यह अमैंडमैंट बनाने के लिए सं ाोधित करने के लिए निर्दे ा देने का

प्रावधान रखा गया है। अगर ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल उनको 60 दिन में इम्पलीमैंट न कर पाए तो उसके कारण बताए।

श्री अध्यक्षः वीरेन्द्र पाल जी, इसमें इलैक ान कमि नर कहां से आ गया।

श्री वीरेन्द्र पाल अहलावतः सौरी सर, ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल है। अगर मैंने गलती से इलैक ान कमि नर कह दिया है तो उसे ऐग्जीक्यूटिव काउंसिल समझा जाए। स्पीकर सर, तो मैं कह रहा था कि उसे रिकंसीड्रे ान के लिए चांसलर के पास भेजा जाए। इस प्रकार किसी पद पर आसीन व्यक्ति को अपनी पोजी ान क्लीयर करने का अवसर न दिया जाए या उसके अंदर आने वाली अडचनों को सीधे चांसलर या किसी व्यक्ति के द्वारा इन चीजों का सं ाोधन लाया जाए जिससे इनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा। मैं तो यह कहूंगा कि यह एक बात आपने सुनी होगी। It is better to visit a place rather than to read 10 books. जो आदमी इन चीजों के साथ डील करते हैं इस बारे उनकी राय को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए न कि सरकार के क्लर्कों, सरकार के अधिकारियों या खुद सरकार की राय को क्योंकि वे इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे सुधार करे सरकार प्रस्ताव लाकर यह स्पश्ट कर रही है कि ि ाक्षा के सुधार के लिए नहीं बल्कि सरकार प्रभुत्व और अधिकारियों की सीमाएं बढाने के प्रयास कर रही है जो किसी भी कीमत पर यूनिवर्सिटी में सुधार लाने में मदद नहीं

करेगी। एक जो हमारे मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है कि स्टेट उनकी एक मेजर फंडिंग एजेंसी है इसलिए हम उसे नियंत्रण में लेना चाहते हैं। यह ठीक है कि स्टेट एक मेजर फंडिंग एजेन्सी होगी।

श्री अध्यक्षः इसमें भी कोई भाक है कि आप कह रहे हैं कि स्टेट एक मेजर फंडिंग एजेंसी होगी।

डॉ0 वीरेन्द्र पाल अहलावतः मैं कह रहा था कि स्टेट एक मेजर फंडिंग एजेंसी है इसका मतलब यह नहीं कि यूनिवर्सिटी के उददे य को ही समाप्त कर दिया जाए। यूनिवर्सिटी तो ऑटोनौमस बौडी हैं जो अपने आप में ि ाक्षा का वातावरण आजादी के माहौल में सबको देन के लिए कृत संकल्प है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर अपना नियंत्रण बढा कर अपना प्रभुत्व बढाने का प्रयास न करे। जहां तक मोड आफ अपाइन्टमैंट की बात है, रजिस्ट्रार की मोड आफ अपाइन्टमैंट के बारे में ि ाक्षा मंत्री ने सुझाव दिया है कि स्टेट और सैंट्रल गवर्नमैंट की एजूके ानल पौलिसी को अक्षर ाः लागू करने के लिए ऐसा किया गया है। मोड ऑफ अपाइन्टमैंट का नीतियों को लागू करने पर क्या प्रभाव पडेगा। मैं जो बात कहना चाहता हूं वह इस प्रदे ा के और इस दे ा के हित और मानवता के हित के लिए की जा रही है, इसलिए अगर आप बातों को सुन बिना इसको पास करने पर उतारू हैं तो अलग बात हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker: I am keenly listening to you.

डॉ0 वीरेन्द्रं पाल अहलावतः मोड ऑफ अपाइन्टमैंट का किसी आदमी की कार्य ौली के ऊपर कैसे प्रभाव पड सकता है। स्टेट और सैंट्रल गवर्नमैंट ऐसी कौन सी पौलिसी है जिसके मॉड आफ एप्यांटमैंट एक्ट के तहत नियुक्त किए गये रजिस्ट्रार पर लागू नहीं कर सकते। ऐसी क्या अडचन है जो इस सरकार के पास आई हुई है। इस बारे कोई विवरण इसमें नहीं दिया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। यह तो खाली गवर्नमैंट का इंटरफियरैंस बढाने के लिए किया गया है। इसके अलावा इसमें ि ाक्षा और यूनिवर्सिटी को ध्यान में नहीं रखा गया है। यूनिवर्सिटी और ि ाक्षा के हितों को ताक पर रखकर अपने चहेतो को महत्वपूर्ण पद देने का रास्ता प्र ास्त किया गया है। यही कारण है कि यह स्टेच्यूट के ऊपर और कानून को ध्यान में न रखकर ऐसी बातों का प्रावधान किया गया है। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए और बढा दी जाये।

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time be extended by one hour ?

Voices: Yes.

Mr. Speaker: The time of the House is extended by one hour.

दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997 (पुनरारम्भ)

डॉ0 वीरेन्द्र पाल अहलावतः अपने चहेतों को यह पद देने का रास्ता सरकार ने प्र ास्त किया है। अगर वास्तव में ि ाक्षा मंत्री महोदय और यह सरकार ि ाक्षा के माहौल को सुधारना चाहते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप कंक्लूड करिये।

डॉ0 वीरेन्द्र पाल अहलावतः तो इसे मोड ऑफ अपॉइन्टमैंट के अंदर न लाकर ऐसे अमैंडमैंट के अंदर लेकर आते ताकि गवर्नमैंट और सैंट्रल गवर्नमैंट की पोलिसी को लागू करने के लिए कानून के दायरे में रखकर किये जाते। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आपने इतनी उदारता दिखाते हुए माननीय सदस्य को बोलने का समय दिया हो और अभी माननीय सदस्य चेयर पर ऐसप र्न कर रहे हैं। इन्होंने यह कैसी गलत आदत बना रखी है।

श्री अध्यक्षः ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब और हम तो ि ाक्षा क्षेत्र से जुडे हुए हैं।

डॉ0 वीरेन्द्र पाल अहलावतः अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी कौन सी एसप र्न की है ? अगर मैंने कोई गलत बात कही हो तो मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं, मुझे इस बारे बताया जाये। मैं दलाल साहब जैसी अनपार्लियामैंटरी भाशा तो इस्तेमाल नहीं

करता जो इन्होंने की थी और सस्पैंड हमारे को होना पडा। सारे सदन को पता है और ये ज्यादा अहमियत पाने की कोि ा ा न करें। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप दो मिनट में कंक्लूड करें।

डॉ0 वीरेन्द्र पाल अहलावतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस प्रकार का सं ाोधन लाकर इस प्रदे ा को अनपढता और अनैतिकता की ओर धकेलने का काम न करे। वैसे भी सरकार के पास इस अमैंडमैंट के लिए कोई भी कारण नहीं है। तो मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि सरकार का ि ाक्षा के मामले में इस तरह के कदम उठाना न केवल प्रदे ा के लिए बल्कि समुचित मानवता के लिए अभि ााप का कदम है। इस काले बिल को किसी भी कीमत पर पास न किया जाये। मैं इसका विरोध करता हूं।

वाक आउट

आवाजेंः हम इस बिल में की गई प्रोवीजन्ज के विरोध में वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित समता पार्टी के सभी सदस्य वाक आउट कर गए।)

दि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997 (पुनरारम्भ)

ि ाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी (सं ाोधन) में 13.1.1997 को एक अमैंमैंट की

गई थी, तब इन सभी ने यह कह कर इसका विरोध किया था कि the appointment of the Registrar of the University should not be made by the Government. उस समय हमारा यह कहना था कि वह गवर्नमैंट के द्वारा नहीं होनी चाहिए। ये इस अमैंडमैंट को आज अनडन कर रहे हैं। Now the Registrar will be appointed by the Chancellor. जो इनके सुझाव थे, उनका भी ये विरोध कर रहे हैं।

Mr. Speaker: Question is-

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill, be taken int consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Sh. Ram Bilas Sharma): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(5) दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker: Now the Education Minister will introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Sh. Ram Bilas Sharma): Sir, I introduce the the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1997. Sir, I also beg to move-

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, be taken int consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, be taken int consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, be taken int consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Sh. Ram Bilas Sharma): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(6) दि पंजाब ऐक्साइज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1997

Mr. Speaker: Now the Prohibition and Excise Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1997 and will also move the motion for its consideration.

Food and Supplies Minister (Sh. Ganeshi Lal): Sir, I introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1997.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, be taken int consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, be taken int consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, be taken int consideration at once.

The motion was carried.

क्लाज 2

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, इस बिल में धारा 68ए का प्रावधान किया गया है। जिसके द्वारा जो भाराब के औफैंसिज हैं उनको और स्ट्रिक्ट किस प्रकार बनाया जाए। यह इस बिल की स्प्रिट है। हम इस बात की ताईद करते हैं कि जो व्यक्ति भाराबबंदी का उल्लघंन करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता के समक्ष यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे कि जिस प्रकार से 1985 के एन0डी0पी0एस0

एक्ट में हिन्दुस्तान की संसद ने प्रावधान किया है कि जो व्यक्ति इस तरह के औफैंस में पकडा जाएगा, उसमें बडी एग्जम्पलरी करने वाले को आप सजाए मौत भी है। मैं यह तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाराबबंदी का उल्लंघन करने वाले को आप सजा ए मौत दिजिए। इस बिल की स्प्रिट से मैं समझा हूं कि उस व्यक्ति को कडी से कडी सजा मिलनी चाहिए परन्तु इसके अंदर एक बात ऐसी है जो मेरे मन को खटकती है वह मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 के उल्लंघन में दूसरे औंफैंस में पकडा जाएगा उसको डबल सजा मिलेगी। यह प्रावधान सैक ान 68ए की सब क्लाज ए में किया है। वह इस प्रकार है।

"For a second offence be punished with not loss than twice the punishment awarted to him on his first conviction."

यह जो प्रावधान किया है भाायद इस लैंगवेज को बदल कर लाने की जरूरत है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। संविधान के आर्टीकल 20 के अंदर डबल सजा के लिए ज्योपर्डी का एक कंसेप्ट है कि हर आदमी को एक औफैंस की एक बार सजा मिल सकती है और जो दूसरा औफैंस है उसकी सजाइडिपैंडैंट होगी। पहले औफैंस की वजह से उसको सजा नहीं दे सकते। ऐसा प्रावधान संविधान के आर्टीकल 20 के अंदर किया गया है। आप इसमें सजा को कडी से कडी करें, आप इसको और स्ट्रिक्ट बनाएं। जितनी ज्यादा सजा रख सकते हैं वह रखें लेकिन

अगर आप औफैंस के बेस पर दूसरे औफैंस के लिए डबल सजा देने का प्रावधान रखेंगे तो यह एक तरह से लिटिगे ान के द्वार खोल देगा। बहुत सारी लिटिगे ांज होंगी उनका नतीजा कुछ निकलता नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के आर्टीकल 20 को पढ कर अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा अगर सदन के नेता उसको ठक समझें तो इस सूटेबल अमैंडमैंट को असैप्ट कर लें। संविधान के आर्टीकल 20 में साफ साफ लिखा है कि–

"No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of commission of the Act charged as offence nor be subjected to a penalty greater than that much might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offence.

No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once."

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, यह जो सुरेजवाला जी कान्स्टीच्यू ान्ज से पढ रहे हैं उस कान्स्टीच्यू ांज में यह है कि एक औफैंस के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। एक बार भाराब लाता पकडा जायेग तो एक औफैंस होगा और दुबारा लाता पकडा जायेगा दूसरा औफैंस होगा। It is not for the same offence. It means the offence is the second time.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, वह सैकिण्ड टाईम की पहले वाले औंफिंस के बिनाह पर डबल सजा देगा। अगर आप ठीक समझते हैं कि ऐसा ठीक है फिर कोई बात नहीं। मेरी मं ाा

सिर्फ यह थी कि भाराबबंदी को कडे से कडा करने का कानून भी बनायें और फिर यह कानून अगर चल न पाये तो उस पर अजीब सी समस्या हो जाती है। अगर सदन के नेता यह समझते हैं कि यह वैध होगी, इससे कोई लिटिगे ांज नहीं बढेंगी, लिटिगे ान के नए द्वार नहीं खोलेगी तो ठीक है। हम इस बात का जहां समर्थन करते हैं, वहां अगर इसे ठीक समझते हैं तो ठीक है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि भाराबबंदी का उल्लंघन करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, परन्तु इस बात का ख्याल रखा जाये। धन्यवाद।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई नई बात नहीं है। पहले भी इसमें इस किस्म का प्रोवीजन था। अब तो हम सिर्फ सजा को बढा रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी): स्पीकर साहब, वैसे तो मेरे कुछ प्वायंटस सुरजेवाला जी ने कवर कर दिए हैं लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस बिल को जल्दी में लेकर आयी है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसे आप सोच विचार करके तसल्ली से लेकर आयें। इस भाराब बंदी के पीदे एक ब्रेन काम कर रहा है वह लिकर माफिया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके खिलाफ गलत काम करने के लिए फायर आर्म्ज का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी इसमें सजा मिले तो बात ठीक है। ऐसा प्रावधान होने के बाद ही यह बिल लाया जाये तो ठीक रहेगा। इस कानून को आप बारीकी से बनायें जो भाराब बिकवाने वाला व्यक्ति

है उसको सजा अव य मिले। (विघ्न) इस काम को वह करेगा जो अनएम्पलायड है लेकिन जो लोग इस काम को करवा रहे हैं उनको सजा मिले, ऐसा इस बिल में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ अव य ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, यह तो सभी चाहते हैं कि भाराब बंद हो, लेकिन एक्साईज मिनिस्टर बारीकी से इसे देखें यह मेरी उनको सलाह है। इस बारे में मेरी एक सलाह है कि इस बिल को जल्दबाजी में लाने की बजाये सिलैक्ट कमेटी को दे दिया जाये। उस कमेटी में बाकायदा हर पार्टी के मैम्बर हों जो इसकी बारिकियों पर जाकर अंतिम निर्णय लें। यह तरीके से बंद हो और सही बंद हो और अच्छा बिल बने। हम यही चाहते हैं कि बार बार इसमें अमैंडमैंट लाने की आव यकता न पडे। यही मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्री गणे ी लाल): अध्यक्ष महोदय, भाराब बंदी का विशय बडा गम्भीर विशय है। यह सबके मस्तिश्क में है कि यह बंद होनी चाहिए और इसके लिए सब सहयोग करने को तैयार हैं। यह सदन में बार बार कहा जा रहा है। इसलिए प्रथम चरण के अन्दर हमने जो व्यक्ति बार बार औफैंस करता है, दो बार या तीन बार करता है उसकी सजा का प्रावधान बढाया है जो बाकी बातें इन्होंने कही हैं उसके लिए prior permission of the President of India is required and that is being sought. सब के सहयोग से ही यह काम ठीक होगा। यह ठीक है कि हम इसके लिए कोई सिलैक्ट कमेटी नहीं बना सके लेकिन जो इसकी संचालन समिति है, जो कमेटी स्टेट लैवल पर

बनी है उसमें विचार विम र्श करने के प चात ही इसका प्रावधान किया गया है।

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Excise & Prohibition Minister will move that the Bill be passed.

Food & Supplies Minister (Sh. Ganeshi Lal): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

***15.00 hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Friday, the 21st March, 1997).